पशुपालन विभाग जनपद पिथौरागढ

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल वर्ष 2013-14

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 dh /kkjk&4

17 मैनुअलों का संग्रह

भाग–1

euvy l[;k 1] 2] 3 4 ,o 5

mRrjk[k.M “kklu

i kikyu foHkkx tuin fiFkkjkx<

ikdFku

सूचना अधिकार अधिनियम 2006 के अनुच्छेद धारा–4 के अर्न्तगत विभिन्न कार्यालयों,विभागों में अधिनियम की धारा–4 के अर्न्तगत 17 मैनुअल्स बनाये जाने का प्राविधान है प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकृत सूचना उपलब्ध रहेगी ताकि नागरिको द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन किया जायेगा तो आधार भूत सूचनायें एवं मैनुअलों में ही उपलब्ध हो जायेगी तथा शेष सूचनाओं के लिए अन्य श्रोतो का आशय लेना होगा।

पशु पालन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा अधिनियम की धारा–4 द्वारा निर्धारित 17 मैनुअलो के अर्न्तगत विभिन्न विभागीय सूचनाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है । विभाग के लिए जहॉ यह एक अभिनव एवं चुनौती पूर्ण कार्य था तब विभागीय मैनुअलो को अध्यावधिक रूप से व्यस्थित करने की पुरानी परम्परा को पुर्नजीवित करने में सहभाग करने हेतु एक सुखद अनुभव भी था, इसी अवधारणा से इस कार्य को सम्पन्न किया गया है मैनुअलो को 6 भागों में विभाजित किया गया है ।

भाग–1– मैनुअल संख्या 1,2,3 एवं 4
भाग–2– मैनुअल संख्या 5
खण्ड 1,2,3 एवं 4
भाग–3– मैनुअल संख्या 6,7 एव 8
भाग–4– मैनुअल संख्या 9 एवं 10
भाग–5– मैनुअल संख्या 11,12 एवं 13
भाग–6– मैनुअल संख्या 14,15,16 एवं 17

उल्लेखनीय है कि अधिकारी के अर्न्तगत वर्णित 17 मैनुअल के अतिरिक्त एक मैनुअल 17–ए के रूप में अलग से बना दिया गया है जिसमें सभी मैनुअल की विषयसूची एक स्थान पर उपलब्ध करा दी गई है । वर्तमान में जो मैनुअल का रूप उभर कर आया है वह एक प्रारम्भिक अवस्था है तथा इसे निरन्तर अध्यावधिक किया जायेगा इसके अतिरिक्त मैनुअल को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत कर वैबसाईट में भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी ताकि जनसामान्य को यह संबंधित जानकारियां सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो सके ।

इस मैनुअल संग्रह को तैयार करने का दायित्व डा0 रामानन्द नोडल अधिकारी ,(सूचना अधिकार अधिनियम) उप निदेशक पशुपालन विभाग पशुलोक ऋषिकेश को सौपा गया था तथा इस कार्य में मुख्यतः श्री जे0पी0त्रिपाठी,मुख्य लिपिक,श्री अलबर सिह,आशु लिपिक तथा श्री उजैर अहमद,कनिष्ठ सहायक,पशुलोक द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया उनके प्रायासों की सराहना की जाती है ।

मैनुअल संग्रह को एक व्यस्थित रूप देने में श्री (डा0) आर0एस0टोलिया,मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड श्री एस0के0दास,प्रमुख सचिव बन एवं ग्राम्य विकास तथा पूर्व प्रमुख सचिव बन एवं ग्राम्य विकास श्रीमती विभापुरी दास का बहुमूल्य मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ । इसके लिए उनका विशेष आभार प्रकट करती हूँ । श्री नवीन चन्द्र शर्मा,सचिव,पशुधन एवं सहकारिता तथा विभाग के अन्य अधिकारियो का भी दिन प्रतिदिन मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ जिसके लिए आभारी हूँ ।

दिनांक 10 फरवरी 2006
स्थान–देहरादून

दमयन्ती दोहरे,
पशुपालन निदेशक,
उत्तराखण्ड

Hkkx&1

gLriqfLrdk dh lkexzh

dz0l0	fooj.k	i`"B la[;k
1	eSuqvy&1 laxBu dh fof'kf"B;ka d`R; vkSj dRrZO;	1 ls 18
2	eSuqvy&2 vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh “kfDr;ka vkSj dRrZO;	19 ls 23
3	eSuqvy&3 fofu'p; djus dh izfdz;k esa ikyu dh tkus okyh izfdz;k ftlesa i;Zos{k.k vkSj mRrjnkf;Ro ds ek/;e lfEefyr gSA	24&36
4	eSuqvy&4 dRrZO;ksa ds fuoZgu ds fy, Lo;a }kjk LFkkfir eki ekuA	37&46

मैनुअल–1

lxBu dh fof kf’B;k]dR; vkj dr0;
The particulars of its Organization] Functions and duties

euqvy&1

fo'k; lwph

lxBu dh fof'kf"B dR; vkSj dr0;

The particulars of its Organization] Functions and duties

d0l0	fooj.k	i`"B uEcj
1.1	i`"BHkwfe fo|ky; dk xBu rFkk LFkkiuk dk laf{kIr bfrgkl	1 ls 3
1.2	lxBu fof'kf"B;k¡ ,oa dr0;	4 ls 5
1.3	fo|ky; ds dk;Zdyki	6 ls 8
1.4	mRrjk[k.M 'kklu cu ,oa xzkE; fodkl 'kk[kk nsgjknwu ds vkns'k la[;k 317 fn0 18&7&2005 fofHkUu ckMksa dk xBu A	9
1.5	;0,l0MC;w0Mh0ch0 ds rRok/kku esa lEikfnr fd;s tkus okys dk;Zdeksa ds lEcU/k esa fn'kkfunsZ'k	10 ls 14
1.6	i`"B dkjrk ls lEcaf/kr ykd iz.kkfy/kdj.k ds dr0;	15 ls 17
1.7	f=Lrjh; iapk;rksa ds dr] nkf;Ro ,oa Hkwfedk	18 ls 19

LFkkiuk dk lf{kIr bfrgkl

fcfV k साम्राज्य द्वारा वर्ष 1892 में सिविल वैटनरी विभाग की स्थापना की गई जिसका उददेश्य प्रदेश में अश्व उत्पादन को प्रार्थमिता देना था इसके अर्न्तगत (बाबूगढ़ मेरठ) में एक डिपों खोला गया जहॉ सामान्य प्रबन्धक के साथ—साथ प्राथमिक चिकित्सा तथा अश्व प्रदर्शनी मैलो का आयोजन कराया जाता था । इसको प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 1901 में 7 पशु चिकित्सालयो की स्थापना की गई ।

वर्ष 1899 में ग्लाईन्डर एण्ड फारसी तथा 1910 में पशु फार्म म्इरा (लखीमपुर) एवं वर्ष 1913 में माधुरी कुण्ड (मथूरा) स्थापित किये गये पंजाब पशु चिकित्सा विद्यालय लाहौर में पशु संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ।

वर्ष 1916 मे पशु पालन कार्य को गति देने के लिए डिप्टी सुपरटेन्डेन्टों के अधीन रख कर तीन सर्किलो में बाटा गया तथा अधिनस्थ कर्मचारी जिला परिषदो द्वारा उपलब्ध कराये गये डिस्टिक बोर्ड एक्ट 1922 के लागू होने पर कार्यो में आयी समस्याओ के फलस्वरूप इसी वर्ष कैटिल ब्रीडिग कार्य हेतु मझरा फार्म (खेरी) माधुरीकुण्ड फार्म (मथूरा) कृर्षि विभाग को सौप दिये गये तथा बैनीपुर
(आगरा) व आटा (जालौन) में क्वारनटाईन स्टैशन खोले गये वर्ष 1933 में सब सर्किलो को समाप्त करने उपरान्त वर्ष 1935 मे वैटनरी इनवेस्टीगेशन आफिसर नियुक्त किये गये । पशु प्रजनन कार्य कृषि विभाग द्वारा संतोषजनक न होने के कारण 1939 में यह कार्य सिविल वैटनरी डिपाटमेन्ट को सौप दिया गया । इस प्रकार 1944 तक धीरे—धीरे पशु संबंधी सभी कार्य सिविल वैटनरी डिपाटमेर्न्ट को स्थानान्तरित कर दिये गये ।

इस प्रकार अविभाजित उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी,इससे पूर्व सिाविल वैटनरी डिपाटमेन्ट एवं कृषि विभाग द्वारा पशुपालन संबंधी कार्य सम्पादित किये जाते थे उस समय सिविल डिपाटमेन्ट मुख्यतः अश्व प्रजनन एवं पशु रोग नियंत्रण कार्य से संबंधित था कृषि विभाग द्वारा गोवंशीय साडो की पूर्ति पशु प्रजनन के लिए की जाती थी, बाद में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना होने पर पशु चिकित्सा रोग नियंत्रण,पशु प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम भी पशुपालन विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये ।

निदेशक पशुपालन विभाग की स्थापना की गई जिसके द्वारा वर्ष 1946 तक सिविल वैटनरी डिपार्टमेन्ट के सभी कार्य निदेशक पशुपालन के नियंत्रण में ग्रहण कर लिये गये ।

पशु पालन निदेशालय स्थापित होने के पश्चात लधु पशु,मछली,कुक्कुट डेरी गौशाला रोग नियंत्रण एवं बचाव कार्य हेतु विभिन्न पदों की स्थापना की गई । वर्ष 1945 में वैक्सीन एवं सीरम के निर्माण हेतु बी0पी0 सेक्शन एवं कृत्रिम गर्भाधान व बाझपन हेतु ऐंनीमल जेनेटिस्ट की नियुक्ति की गई व वर्ष 1946 में माधुरीकुण्ड (मथूरा) क्षेत्रीय पशुधन अनुसंधान केन्द्र खोला गया । 1947 में पशु चिकित्सालय के नियत्रण हेतु यू0पी0 प्रोविलाईजेशन आफ हास्पीटल ऐक्ट तथा वैटनरी प्रेक्टिशनर के पंजीकरण हेतु यू0पी0 वैटनरी कौन्सिल ऐंक्ट पारित किये गये
वर्ष 1953 में गौ संवर्धन इनक्वायरी कमेटी का गठन किया गया जिसके फलस्वरूप उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 1955 अस्तित्व में आया आने वाले समय की माग को देखते हुये क्रमशः 1947 व 1960 में पशु चिकित्सा विभाग एवं पशु पालन महा विद्यालय मथूरा तथा पन्तनगर (नैनीताल) की स्थापना की गई जिसके अर्न्तगत 4 वर्षीय वी0बी0एस0सी0 तथा दो वर्षीय एम0वी0एस0सी0 पाठयक्रमो को
प्रारम्भ किया गया । वर्ष 1964 में यू0पी0 लाईवस्टाक डेवलपमेन्ट एक्ट यू0पी0 गौशाला ऐक्ट पारित किये गये एवं इसके अतिरिक्त यू0पी0 काऊ स्लोटर नियम बनाये गये ।
उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित पशु पालन निदेशालय में सर्व प्रथम निदेशक की सहायता हेतु अपर निदेशक,उप निदेशक,मुख्यालय,लधुपशु (की विलेज स्कीम) (रिन्डर पेस्ट) बनाये । इसके अतिरिक्त निम्न अनुभाग पशुधन अनुभाग सामान्य अनुभाग आडिट एवं लेखा स्थापना योजना सांख्यकी पशुधन एवं कृर्षि प्रक्षेत्र

स्थापित किये गये । पशुधन विकास के अर्न्तगत नस्ल सुधार को ध्यान में रखते हुये स्थानीय परिस्थितियो के अनुसार कालसी फार्म देहरादून तथा चकगजरिया लखनऊ पर यह योजना चलाई गई एवं

बुल रियरिंग फार्म (मथूरा) तथा आटा जालौन निदेशक के नियंत्रण में स्थापित किये गये तथा ग्रामीण जनपदों को लाभ देने के लिए राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र पशु पालन विभाग के अर्न्तगत 14 प्रक्षेत्रों पर काम किया गया जिसमें उत्तराखण्ड राज्य में पशुपालन विभाग केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र पशुलोक ऋषिकेश एवं राजकीय पशुधन एवं दुग्धशाला प्रक्षेत्र कालसी देहरादून में स्थापित है । बेहतर प्रशासनिक एवं नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु 9 सर्किलो में बाटा गया और प्रत्येक सर्किल में उप निदेशक के पद सृजन कर कार्य का दायित्व सौपा गया ।

वर्ष 1982 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में त्वरित विकास हेतु अपर निदेशक,पशुपालन विभाग,पर्वतीय के पद का सृजन कर पर्वतीय क्षेत्र के सभी (8 जनपदों–पूर्वतीय राज्य उत्तर प्रदेश) में विभाग की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का नियंत्रण एवं संचालन का उत्तरदायित्व सौपा गया जो वर्तमान में भी कार्य कर रही है । अपर निदेशालय स्तर पर विभिन्न योजनाओं में समन्वयक/कार्यक्रमों के संचालन हेतु निम्नानुसार प्रशासनिक व्यवस्था की गई ।

1– अपर निदेशक	1 पद
2– संयुक्त निदेशक	1 पद
3–चारा विकास अधिकारी	1 पद
4–पर्यवेक्षण अधिकारी स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	1 पद
5–वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1 पद
6–वैयक्तिक सहायक	1 पद

वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य में दो सर्किल उप निदेशक पशुपालन विभाग कुमायू मण्डल नैनीताल तथा उप निदेशक पशुपालन विभाग गढवाल मण्डल पौडी कार्यरत है जिसके अधीन जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का पद स्वीकृत है जिसके अधीन पशु चिकित्सालय,पशुसेवा केन्द्र, भेड़ फार्म, कुक्कुट इकाई, चारा विकास कार्यक्रम तथा विभाग की अन्य योजना संचाचिल की जा रही है ।)

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में पशु पालन विभाग के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड एवं कार्यालय एवं पशु चिकित्सालय पशुसेवा केन्द्र की स्थापित किये गये ।

वर्ष 2003 की पशु गणना के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ की 525577 पशुधन सम्पदा तथा 50606 कुक्कुट सम्पदा उपलब्ध है । राज्य सरकार पशुपालन विभाग के माध्यम से इस बात कि लिए प्रयत्नशील है कि राज्य में उपलब्ध समस्त पशु एवं कुक्कुट पक्षियो का विकास इस दृष्टि से किया जाय कि पशुपालन,कृषक व पिछडे वर्ग के परिवारो को उत्तम साधन सुलभ हो सके और वे आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बन सके । इस उददेश्य की पूर्ति के लिए उत्तराखण्ड की विभिन्न भौगोलिक परिस्थियों के उपलब्ध संशाधनो में अन्तर तथा प्रर्यावरणीय संतुलन को दृष्टिगत रखते हुये पशुधन उत्पादन में वृद्वि एवं उसके पोषण संरक्षण तथा रख रखाव को सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखण्ड प्रजनन नीति 2005 स्थापित की जा चुकी है । पशुधन के उन्नत नश्लो के संरक्षण, सम्वद्वन, स्वास्थ्य एवं विकास कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्व देते हुये विभाग तथा विभिन्न परिषदो (उत्तराखण्ड लाईव स्टाक डवलपर्मेन्ट बोर्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड,राज्य पशु कल्याण बोर्ड,उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद) के माध्यम से राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक आधुनिक विधि अपना कर विभिन्न योजनाओं का संचालन पशु पालक के द्वार तक किया जा रहा है ।

dR; vkj dr0;

1–पशु चिकित्सा संबंधी,नीति निर्धारण
2– पशु सम्पदा जिसमें कुक्कुट भी सम्मिलित है विकास के संबंध में भावी योजना तैयार करना,
(अ) पशु औषधि साज सज्जा उपकरण आदि की पशु चिकित्सा संस्थाओ को उपलब्ध का अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार करना विनियमन करना ।
(ब) विभागीय कार्य कलापो के निष्पादन व अनुश्रवण हेतु आवश्यक मानव संशाधन की व्यवस्था विनियमन व प्रशस्त करना ।
3– नस्ल सुधार कार्यक्रम को आधुनिकतम विधि तथा क्षेत्रिय आवश्यकता अनुरूप संचालन करने हेतु अनुसंधान करना व उससे प्रोन्नति करना ।
4– विस्तार कार्यक्रमों की प्रोन्नति ऋण वितरण व अनुसंधान आदि कार्यो हेतु निजी क्षेत्र,गैर सरकारी एजेन्सी व अनुसंधान संस्थान की भागीदारी का प्रयास करना ।
5–पशुधन विकास के माध्यम से रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन गतिविधियो को बढ़ावा व प्रोन्नत करना ।
6–पशुधन उत्पादन प्रसस्करण व विपणन की स्थापना व विस्तार हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना
7–पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु संस्थाओ की स्थापना एवं प्रोन्नति करना ।
8– पशु चारा एवं संतुलित पशु आहार उत्पादन के कार्यक्रमों की प्रोन्नति हेतु नीति निर्धारण करना ।
9– राज्य सैक्टर–केन्द्र पोषित व वाहय सहायतार्थ योजनाओं के अर्न्तगत वित्तीय सहायता परियोजनाये प्रस्तुत करना ।
10–विभागीय भवनो तथा अन्य परिसम्पत्तियों के रख–रखाव के संबंध में धनराशि के आवंटन हेतु नीति निर्धारण व धनराशि की व्यवस्था करना ।
11– शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन–मानव संशाधन विकास (कम्प्यूटर व अनुप्रयोग सूचना तकनीकी) ।

ftyk ¼e[; i k fpfdRlkf/kdkjh½ Lrj ij&

1–जनपद स्तर पर पशुपालन हेतु योजना तैयार करना, कार्यान्वित करना और उनका सर्वेक्षण करना ।
2– पशु चिकित्सालयो की स्थापना रख–रखाव व प्रबन्धन
3–द, श्रेणी पशु औषधालयो व पशु सेवा केन्द्रो की स्थापना व रख–रखाव का प्रबन्धन ।
4– कृत्रिम गर्भाधान तथा नैसर्गिक अभीजनन द्वारा स्थानीय पशुओं की नस्ल सुधार ।
5– डेरी कुक्कुट,सूकर,भेड, बकरी आदि अन्य स्थानीय पशुओं की नश्ल सुधार हेतु कार्यक्रम चलाना ।
6– पशुओं के संक्रामक रोगों महामारी के बचाव हेतु समयवद्व कार्यक्रमानुसार टीकाकरण अभियान चलाना महामारी का निवारण तथा नियंत्रण ।
7–संतुलित आहार व चारा घास क्षेत्रो का विकास ।
8–कृषको व पशुपालकों एवं अन्य उपभोगता समुदाय को प्रशिक्षण ।
9–भेड़,बकरी सूकर आदि क्षेत्रो का विकास एवं प्रोन्नति तथा पशु पालन संबंधी योजनाओ का प्रसार एवं प्रचार गोष्ठीयो का आयोजन ।
10–विभागीय परिसम्पत्तियों एवं भवनो का अनुश्रवण एवं अवस्थापना सुविधाओ का विकास

[k.M ¼i k fpfdRlky;½ Lrj ij&

विभाग द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन यथा–
1–पशु चिकित्सा एवं पशु संम्पदा का विकास
2–पशुओं एवं कुक्कुट में महामारी व छूत के रोगों का निवारण एवं नियंत्रण ।
3–सघन पशु नश्ल संधार कार्यक्रम,कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पशु पालक के द्वार पर उपलब्ध कराना ।
4–चारा एवं घास उत्पादन के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।

5–परिसम्पत्तियों एवं भवनों का रख–रखाव

–5–

uke ¼i k/ku i:lkj vf/kdkjh½ Lrj ij

विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का ग्राम्य स्तर पर कार्यान्वयन यथा

1–प्राभ्भिक पशु चिकित्सा एवं पशु सम्पदा का विकास

2–पशुओं एवं कुक्कुट पक्षियो में महामारी व छूत रोगों के निराकरण हेतु समयवद्व कार्यक्रमानुसार टीकाकरण।

3–पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम पशु पालक के द्वार पर जाकर कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु गर्भित करना ।

4–चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण हेतु चारा बीज व चारा मिनीकिट्स का प्रदर्शन करना व प्रोत्साहित करना ।

5–परिसम्पत्तियों एवं भवनो का रख–रखाव ।

foHkkx d dk;ldyki

i kikyu foHkkx tuin& fiFkkjkx<

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है । विभाग के अन्तर्गत मुख्यतः निम्न संस्थायें कार्यरत हैं :—पशु चिकित्सालय— 27, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र— 2, कुक्कुट प्रक्षेत्र— 1, पशु सेवा केन्द्र— 55, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र —38,भेड़ एंव ऊन प्रसार केन्द्र —18, चारा पौधालय—7 ।

foRrh; o’k 2013&14 e lEikfnr dk;

1&i k fpfdRlk ,o jkx fu;=.k dk;de

पशुओं की उत्पादन क्षमता का समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उनको स्वस्थ रखना परम आवश्यक है पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने के उददेश्य से जनपद पिथौरागढ के अर्न्तगत 25 पशु चिकित्सालय, 52 पशु सेवा केन्द्र कार्यरत है, मण्डल स्तर पर विभिन्न रोगो की जाच एवं उनके तत्काल निदान हेतु एक मण्डीय प्रयोगशाला नैनीताल में व्यवस्थित है । पशु संक्रामक रोगों की नियंत्रण की दशा में भी विभाग पूर्णतया सजग है । विभागीय पशुओं की माहामारी की रोकथाम तथा उसकी सुरक्षा के लिए समय—समय पर गला घोटू लगड़िया,पी0पी0आर0, एच0एस0बी0क्यू0,आर0डी0,एफ0पी0 एन्थैक्स आदि रोगों के निवारण हेतु टीके लगाये जाते है । जिसे राज्य के पशुओ को विभिन्न संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु से बचाया जा सके ।

वर्ष 2005—2006 में राष्ट्रीय महत्व के पशु रेागों की रोकथाम हेतु 641500 रू0 की धनराशि एस्कैड योजना के अर्न्तगत प्राप्त हुई है । जिसके तहत जनपद में वृहद टीका कार्यक्रम प्रत्येक विकास खण्ड में एक—एक पशु पालक गोष्ठी तथा जनपद स्तर पर एक जनपदीय गोष्ठी सम्पन्न की गई एवं शिविरो के माध्यम से भी योजना का लाभ पशु पालकों को दिया गया ।

2&i k fodkl dk;de

पशु विकास कार्यक्रम का मूल उददेश्य प्रदेश में उपलब्ध गायों एवं भैसों की नश्ल सुधार कर उनकी उत्पादकता एवं उत्पादन क्षमता में तीव्र गति से वृद्धि करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड लाइव स्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना केन्द्र सरकार की शत प्रतिशत सहायता से की जा चुकी है । बोर्ड द्वारा जुलाई 2002 से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है वर्तमान में जनपद में उपलब्ध गौ एवं महिशवंशीय पशुओं को उन्नत प्रजनन सुविधा प्रदान की जा रही है वर्ष 2005—2006 में 38 पशुपालन संस्थाओं द्वारा, तथा 3 उपसा प्राईवेट केन्द्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान सुबिधा प्रदत्त की जा रही है । दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों जहॉ पर वर्तमान में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नही हो पा रही है उन स्थानों पर उन्नत नश्ल के गौ एवं महिशवंशीय साड़ों का निःशुल्क वितरण कर चयनित पशु पालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है । इस प्रयोजन हेतु अबतक 42 गाय साड़, 128 भैसा साड़ वितरित किये जा चुके है । पशु प्रजनन कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद में कार्यरत अधिकॉश पशु चिकित्साधिकारियो,वैटनरी फार्मास्टिों एवं पशुधन प्रसार अधिकारियों को पशु प्रजनन से संबंधित नवीनतम जानकारी एवं प्रशिक्षण राज्य स्तर पर तथा राज्य से बाहर ख्याति प्राप्त संस्थाओं से दिया जा चुका है ।

3&dDdV fodkl अण्डा एवं कुक्कुट मांस की बढ़ती हुई माग को पूरा करने हेतु वृहद प्रयास किये गये है । इसी उददेश्य को ध्यान में रखते हुये शासन द्वारा कुक्कुट प्रक्षेत्र विण का सुद्दढ़ीकरण कर विलेज पोल्ट्री (भारत सरकार की 80 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अर्न्तगत) की स्थापना की गई जिसमें 1500 कायलर प्रजाति के कुक्कुट पक्षियो का पैरेन्ट स्टाक रखा गया है । जहॉ से कुक्कुट चूजो का उत्पादन कर एक दिवसीय चूजे ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक पशुपालको को तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उपलब्ध करायें जा रहे है ।

यही नही जनपद पिथौरागढ के अतिरिक्त चम्पावत ,उद्यमसिहनगर, बागेश्वर आदि जिलों को भी कुक्कुट चूजे उपलब्ध करायें जा रहे है । इस योजना से गरीब परिवारों का जीवन स्तर में सुधार हुआ है तथा पशु पालकों का इस ओर रूझान हुआ है ।

कुक्कुट विकास कार्यक्रमों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने के उददेश्य से जनपद स्तर पर एक सघन कुक्कुट विकास प्रायोजना स्थापित है । जिसके माध्यम से इच्छुक कुक्कुट पालको को कुक्कुट पालन ब्ववसाय अपनाने हेतु विभिन्न प्रकार की जानकारी तथा कुक्कुट रोगथाम टीकाकरण आदि की सुविधायें प्रदान की जा रही है ।

4&HkM+ ,o Åu fodkl dk;de

जनपद पिथौरागढ़ के अर्न्तगत तहसील मुनस्यारी एवं धारचूला में पुस्तैनीरूप से भेड़पालन कार्यक्रम किया जा रहा है । इस व्यवसाय को बढावा देने के उददेश्य से विभाग द्वारा दो भेड़ फार्म बारापटटा एवं पॉगू जहां पर उन्नत नश्ल के विदेशी मेढ़ों द्वारा स्थानीय नश्ल की भेड़ो को प्रजनन कराकर उन्नत नश्ल के नर मेढें पैदा किये जाते है । जिन्हें स्थानीय भेड़ पालकों को निःशुल्क प्रजनन हेतु उपलब्ध कराये जाते है । इसके लिए 18 मेढ़ा एवं भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रो की स्थापना की गई है । उत्तराखण्ड बनने के उपरान्त शासन द्वारा यू0एस0डब्लू0डी0बी0की स्थापना की गई है । जिनके द्वारा निम्न सुविधायें प्रदत्त की जा रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम,नश्ल सुधार कार्यक्रम,उत्पादकता विकास कार्यक्रम,भेड़ों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाया जाना, शियरिग मशीन द्वारा ऊन कतरन उत्पादित होने वाली ऊन ग्रेडिंग(श्रेणीकरण व विपणन में सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम,स्वंयं सहायता समूहों तथा राजकीय संस्थाओं का चयन/गठन/एक दिवसीय भेड़ पालन गोष्ठियॉ/एक दिवसीय भेड़ प्रदर्शनियो का आयोजन,बहुउददेशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना आदि है ।

5&vxkjk “k kd ikyu

अंगोरा शशक पालन हेतु पर्वतीय क्षेत्र के 4500 से 5000 फीट की ऊचाई वाले स्थान उपयुक्त है वर्तमान में जनपद पिथौरागढ़ के स्थान डीडीहाट में एक अंगोरा शावक रिंयरिग केन्द्र हेतु भवन निर्मित है योजना की स्वीकृति न मिलने के कारण अभी योजना प्रारम्भ नही हुई है जिसे जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही की गई है योजना के अन्तर्गत इच्छुक उद्यमियों को शशक पालन प्रशिक्षण एवं शशक शावक उपलब्ध कराये जाते है ।

6&pkjk fodkl dk;de

पशुओं को वर्षभर हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद के वन पंचायतों तथा जहां पर विभागीय पशु पालन संस्थाओं में भूमि उपलब्ध है वहां पर बहुवर्षीय चारा नर्सरिया स्थापित की जा रही है वर्तमान में वन पंचायत सेरी कुम्डार एवं पशु चिकित्सालय मुनस्यारी में योजना प्रारम्भ की गई है। जहां पर से बहुवर्षीय चारा बीज कटिंग जड़ो का उत्पादन कर क्षेत्र के कृषको को उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है इसके अतिरिक्त मौसमी चारा बीजों को भी जनपद के पशुपालको को निःशुल्क वितरित किया जाता है ।

7&vU; dk;de

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा समाज के कमजोर /पिछडे वर्गो की दशा सुधारने के लिये विकास विभाग से समन्वय करते हुये डेरी/पोल्ट्री केपीटल वेन्चर,सहकारिता सहभागिता ,गर्दभ /याक सांड वितरण आदि विभिन्न योजनाओं में भी भागीदारी की जाती है।

उत्तराखण्ड शासन
बन एवं ग्राम्य विकास शाखा
पशुपालन विभाग
संख्या 317 / /पण्पाण/29(15)/2005
देहरादून दिनांक 18 जुलाई 2005

dk;ky; Kki

पशुपालन विभाग एवं उसके अन्तर्गत गठित विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभागीय कार्यो की देख–रेख एवं सम्यक सम्पादन/संचालन हेतु मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित संस्थाएं एवं विभागीय अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए विभागीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे :

1&mRrjk[k.M ykboLVkd MoyieUV ckM ¼Mk0dey flg] e[; vf/k kkl h vf/kdkjh½

क–गोवंशीय,महिषवंशीय पशुओं के साथ–साथ अश्व,गर्दभ,खच्चर ,याक, आदि बडे पशुओं तथा सूकर से सम्बन्धित पशुप्रजनन के समस्त कार्य/योजनाएं/परियोजनाएं /कार्यक्रम आदि ।

ख– राज्य में संचालित विभागीय चारा विकास संम्बन्धी समस्त कार्य/योजनाएं/ परियाजनाएं/कार्यक्रम आदि।

ग–राज्य में संचालित होने वाले समस्त प्रकार के विभागीय (पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के विषयों से सम्बन्धित) प्रशिक्षण (पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण को छोड़कर) एंव तत्सम्बन्धी समस्त कार्य योजनाएं/परियोजनाए/कार्यक्रम आदि ।

2& mRrjk[k.M "khi ,.M oy MoyieUV ckM ¼Mk0,0d0lPpj]e[; vf/k kkl h vf/kdkjh½½ भेड़–बकरी, अंगोरा शशक आदि समस्त छोटे पशुओं से सम्बन्धित समस्त कार्य/योजनाएं/ परियोजनाएं/कार्यक्रम आदि ।

3& mRrjk[k.M dDdV fodkl ckM ½ समस्त प्रकार की कुक्कुट प्रजातियों एवं अन्य पक्षियों आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य/योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रम आदि । कुक्कुट विकास बोर्ड अभी गठित होने की प्रक्रिया में है,फलस्वरूप उसके गठन होने तक उपरोक्त समस्त कार्य Mk0 vkj0 ,l0 ;kno] rduhdh vf/kdkjh द्वारा सम्पन्न किया जायेगा ।

4& foHkkxh; i{k=k lEcU/kh dk;l ½ जो विभागीय प्रक्षेत्र सम्बन्धित बोर्डो को हस्तान्तरित हो चुके है, उनको छोड़कर,विभाग के शेष समस्त फार्मो/प्रक्षेत्रों के नोडल अधिकारी mi fun kd] i kikyu foHkkx] i kykd _f'kd k रहेगें A और वे तत्सम्बन्धी समस्त कार्य/योजनाए/परियोजनाएं/कार्यक्रम आदि का सम्पादन करेगें ।

5& vU; foHkkxh; dk;@;ktuk,@ifj;ktuk,@dk;de vkfn ½

उपरोक्त के अतिरिक्त अवशेष समस्त विभागीय कार्य/योजनाएं /परियोजनाएं /कार्यक्रम,जिनमें प्रमुख रूप से पशु चिकित्सालय,पशु औषधालय,ऐस्केड योजना,पशु चिकित्सा,निदान,प्रयोगशालाएं अनुसंधान एंव विकास आदि कार्य भी सम्मलित होगें, के नोडल अधिकारी अग्रेतर व्यवस्था होने तक डा0 देवेन्द्र शर्मा, मुख्य तकनीकी अधिकारी होगें, जिनके द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य सम्पादित किये जायेगें ।

उपरोक्त समस्त नोंडल अधिकारियो द्वारा अपने विषयों/फील्ड से सम्बन्धित सूचनाएं शासन/भारत सरकार एंव अन्य अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा आवश्यकतानुसार/मांगे जाने पर उप निदेशक,(एम0आई0एस0) पशुपालन विभाग को भी सम्प्रेषित करेगें,जिससे विभाग के पास अधावधिक सूचनाएं उपलब्ध रहं । उप निदेशक, (एम0आई0एस0) हेतु सुगम प्रारूप तैयार करके सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को वांछित मासिक व अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अविलम्ब प्रेषित करेगें । जिन पर विभाग को सूचनाएं प्रेषित की जाया करेगी ।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

संख्या–237 / अ0स0 / प0पा0–यू0एस0डब्लू0डी0बी0 / 778 (क) / 2004

उत्तरॉखण्ड "kk lu

प्रेषक,

अपर सचिव,
उत्तरॉखण्ड शासन

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
अल्मोड़ा / बागेश्वर / पिथौरागढ़ / देहरादून /
पौडी / टिहरी / चमोली / रूद्रप्रयाग / उत्तरकाशी ।

पत्राक पशुपालन विभाग, देहरादून दिनांक 1 अप्रैल,2004

बिषयः– उत्तरॉखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड के तत्वाधान में सम्पादित किये जाने वाले कार्यक्रम के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

महोदय,

उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में प्रोत्साहित किये जाने तथा उन्हें अतिरिक्त विभागीय सुविधायें दिये जाने के उद्देश्य से केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड वस्त्र मत्रांलय (भारत सरकार),जोधपुर (राजस्थान) के माध्यम से उत्तरॉचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड को विभन्न कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ।

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों को उत्तारॉचल राज्य में सम्पादित करने के लिये विभिन्न जनपदों की भेड़ संख्या तथा प्रगतिशील भेड़ पालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुये दिशा निर्देश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित करते हुवे मुख्य अधिशासी अधिकारी उत्तरॉचल शीन एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा निर्धारित भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य (जो मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू0एस0डब्लू डी0बी0 द्वारा अलग से भेजे जा रहे हैं) के अनुसार अपेक्षित पूर्ति करना सुनिश्चित करें, तथा प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 10 वीं तिथि तक मुख्य अधिशासी अधिकारी उत्तरॉचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड 233 / 1 बसन्त बिहार,, देहरादून को उपलब्ध कराते रहें ।

संलग्नक– यथोपरि ।

भवदीय,

अनिल कुमार,
अपर सचिव,

संख्या 237 / (1) / अ0स0 / प0पा0 / यू0एस0डब्लू0डी0बी0 / 773 (डी0½ / 2004–तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उप निदेशक,सघन भेड़ विकास प्रायोजना, पौड़ी गढवाल ।
2– उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमांऊ / गढवाल मण्डल ।
3– अपर निदेशक,पशुपालन विभाग,उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली ।
4– मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डब्लू0डी0बी0, देहरादून ।
5– कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, हाई कोर्ट कालौनी, रातानाड़ा, जोधपुर (राजस्थान) ।

अनिल कुमार,
अपर सचिव

“kklu d vkn k l[;k 237@v0l0@i0ik0&;0,l0MCy0Mh0ch0@773 ¼D½@2004
fnukd 01 vi y 2004 dk lyXud

mRrjk[k.M e HkM fodkl dk;de grq lkekU; fn kfun k &

1– भेड़/बकरी विकास से सम्बन्धित समस्त विभागीय कार्य उत्तरॉचल के भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित भेड़/बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों, भेड़ एंव ऊन विकास केन्द्रों, भेडों के प्रवर्तन मार्गों पर स्थित बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों तथा भेड़ पालकों के ग्रीष्म/शीत कालीन प्रवास मार्गो/स्थलों पर स्थित विभागीय पशु चिकित्सालयों के माध्यम से सम्पादित किये जायेगें ।

2– भेड़ विकास कार्यक्रम में लगी समस्त विभागीय संस्थाओं के जनपदवार कोड मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू0एस0डब्लू0डी0बी0 द्धारा निर्धारित पृथक से अवगत कराये जायेगें ।

3– उत्तरॉचल भेड़ एंव ऊन विकास बोर्ड के तत्वाधान में जो भी विभागीय सुविधायें/कार्यक्रम सम्पादित किये जायेगें उनकी पृथक से पंजिका बनायी जायेगी ।

4– भेड़ पालकों को प्रदत्त की गयी समस्त विभागीय सुविधाओं की मासिक प्रगति सूचना संबंधित अधिकारियों द्धारा प्रत्येक माह की 10 वीं तिथि तक (माह मार्च को छोड़कर) सीधे यू0एस0डब्लू0डी0बी0को प्रेषित की जायेगी,जिनका प्रारूप मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू0एस0डब्लू0डी0बी0 द्धारा निर्धारित कर पृथक से भेजना जायेगा ।

5– भेड़ पालकों को दी जाने वाली समस्त विभागीय सुविधाओं के समक्ष निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित शुल्क वसूल किया जायेगा तथा प्रत्येक त्रैमास के अन्त में (माह जून,सितम्बर,दिसम्बर तथा मार्च) प्रत्येक वर्ष यू0एस0डब्लू0डी0बी0के खाते में जमा करने हेतु समन्धित पशु चिकित्सा अधिकारी द्धारा बैंक ड्राफ्ट द्धारा प्रेषित किया जायेगा ।

6– यू0एस0डब्लू0डी0बी0के माध्यम से सम्पादित किये गये समस्त विभागीय कार्यो/प्रगति को पशुालन विभाग की विभागीय प्रगति में शामिल किया जायेगा ।

7– समस्त कार्यक्रमों के सफल सम्पादन के लिये मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/जिला प्रबन्धक यू0एस0डब्लू0डी0बी0 इन कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु जनपद में तैनात मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़) को उत्तरदायित्व सोपते हुये समय–समय पर कार्यों की समीक्षा करेगें जिससे भेड़ पालकों को समयबद्ध रूप से अधिक से अधिक लाभ/प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकेगा ।

8– प्रत्येक प्रगतिशील भेड़ पालकों की सूची जनपद स्तर पर तैयार की जायेगी । जिनका पंजीकरण मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/जिला प्रबन्धक यू0एस0डब्लू0डी0बी0 द्धारा किया जायेगा । जिसके लिये भेड़ पालकों की पंजीकरण पुस्तिका यू0एस0डब्लू0डी0बी0के माध्यम से मांग अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी ।

9– केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय (भरत सरकार) जोधपुर (राजस्थान) द्धारा प्रदत्त वित्तीय सहायता यू0एस0डब्लू0डी0बी0 के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों हेतु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/जिला प्रबन्धक यू0एस0डब्लू0डी0बी0को उपलब्ध करायी जायेगी । उपयोग के पश्चात जिनका समायोजन वास्तविक मूल रसीद के साथ यू0एस0डब्लू0डी0बी0को उपलब्ध कराना होगा तथा द्धितीय प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी होगी ।

उत्तरॉचल में उपलब्ध भेड़ों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यू0एस0डब्लू0डी0बी0 के माध्यम से केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड,बस्त्र मंत्रालय(,भारत सरकार),जोधपुर द्धारा निर्धारित दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम सम्पादित किये जाने हैं उनका विस्तृत विवरण निम्नवत निर्धारित किया जाता है :–

1& fpfdRlk ,o LokLF; dk;de ¼& उत्तरॉचल की भेड़ों में मृत्यु दर में कमी लाने तथा उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये भेड़ों में दवापान,दवास्नान,चिकित्सा,बधियाकरण,टीकाकरण आदि कार्यक्रमों का संम्पादित किया जाना है जिसके लिये दवाओं/वैक्सीन के आपूर्ति संबंधित आदेश किये जा रहे हैं तथा इनका उपयोग केवल भेड़ों में ही किया जाये ।

2& uLy l/kkj dk;Zdze %& प्रगतिशील भेड़ पालकों की नस्ल सुधार कार्यक्रमानुसार में उनकी भेड़ों के प्रजनन हेतु निःशुल्क मेढों का वितरण किया जायेगा जिसके लिये वित्तीय सहायता यू0एस0डब्लू0डी0बी0 के माध्यम से दी जायेगी ।

प्रत्येक प्रगतिशील भेड़ पालक को एक मेढ़ा निःशुल्क 50 मेढ़ों में प्रजनन हेतु दिया जायेगा ।

प्रत्येक दशा में ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थलों पर प्रस्थान से पूर्व भेड़ों में प्रजनन हेतु मेढ़ा निःशुल्क वितरित कर दिया जाता है ।

उत्तराखण्ड के भेड़ बाहुल्य जनपदों में स्थित भेड़ एंव ऊन प्रसार केन्द्रों/भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध नर मेमनों/मेढो को प्रगतिशील भेड़ पालकों को पुस्तकीय मूल्य के आधार पर निःशुल्क दिया जायेगा। तथा इसकी धनराशि का भुगतान यू0एस0डब्लू0डी0बी0के माध्यम से किया जायेगा ।

2& lxBu dh fof'k"V;k dR;Zdr0; %

2-1 lxBu ds mn~ns'; &

mRrjk[k.M भेड़ एंव ऊन विकास बोर्ड के उद्‌देश्य निम्नवत हैं :–

mRrjk[k.M में भेड़ों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिये स्वास्थय रक्षा कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग देना।

mRrjk[k.M में भेड़ों की बीमारी की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम ।

mRrjk[k.M के भेड़ पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढावा देना ।

mRrjk[k.M के भेड़ पालकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना ।

mRrjk[k.M के भेड़ पालकों द्धारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करना ।

mRrjk[k.M के भेड़ पालकों को श्रोड़ पालन कार्यक्रम में नयी तकनीकों की जानकारी प्रदान करना ।

mRrjk[k.M के भेड़ पालकों को भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना ।

mRrjk[k.M के भेड़ पालकों को स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियॉ बनाने में सहयोग देना ।

mRrjk[k.M में भेड़ों की संख्या में आ रही कमी को रोकने हेतु विभन्न विभागों के माध्यम से लाभकारी योजनाएं तैयार करना ।

mRrjk[k.M में हथकरघा तथा विभिन्न प्रकार के उघोगों को तलाशने/स्थापना के प्रति तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहयोग देना ।

भेड़/बकरी पालकों एंव इस कार्य में लगे पशुपालन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण के माध्यम सेभेड़ पालन कार्यक्रम, कच्ची ऊन से ऊनी वस्त्रों के निर्माण की गयी तकनीकी जानकारियों को प्रदन करने में सहयोग प्रदान करना ।

भेड़/बकरी पालन कार्यक्रम के लगे पशुपालन विभाग अन्य विभागों को तालमेल के माध्यम से कल्याणकारी योजनाआ को एकरूपता की दृष्टि से चलाये जाने में सहायता प्रदान करना

2-2 lxBu dk fe'ku &

mRrjk[k.M राज्य में भेड़,बकरी एवं शशक पालन को सघन रूप से विकसित करके राज्य के ग्रामवासियों के जीवन स्थर को सुधारनें हेतु अवसर प्रदान करना है ।

2-3 lxBu ds dr0;%&

mRrjk[k.M शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड का मिशन निम्नवत है :–

भेड़ों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिये स्वास्थ रक्षा कार्यक्रम ।

भेड़ों की बिमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम ।

भेड़ पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम ।

भेड़ पालकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना ।

भेड़ पालकों द्धारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करना ।

भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में नयी तकनीकों की जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान करना ।
भेड़ पालकों को भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना ।

भेड़ पालकों के स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियॉ बनाने में सहयोग देना ।
हथकरघा तथा विभिन्न प्रकार के उधोगों को तलाशने/स्थापना के प्रति तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहयोग देना ।
भेड़/बकरी पालन कार्यक्रम में लगे पशुपालन विभाग, अन्य विभागों को तालमेल के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को एकरूपता की दृष्टि से चलाये जाने में सहायता प्रदान करना ।

2-4 lxBu dk e[; dR; %&

1– चिकित्सा एंव स्वास्थ्य कार्यक्रम –
2– नस्ल सुधार कार्यक्रम–
3– उत्पादकता विकास कार्यक्रम–
 3.1– भेड़ो को ऊन कतरन से पूर्व नहलाया जाना–
 3.2– ऊन की ग्रेड़िग–
 3.3 – मशीन द्धारा ऊन कतरन–
4– उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में सहायता –
5– प्रशिक्षण कार्यक्रम –
6– बहुउद्‌देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना –

2-5& lxBu)kjk inRr lokvk dh lph ,o mudk lf{kIr fooj.k %&

उत्तरॉचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड द्धारा वर्ष 2004–05 में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्पादित किये गये –

1& fpfdRlk ,o LokLF; dk;Zde %&

स्वीकृत धनराशि रूपया 30.00 लाख के अर्न्तगत मार्च 2005 तक भेड़ों में दवापान 101800 दवास्नान 88952,चिकित्सा 51235, निकृष्ट मेंढों में बधियाकरण 2826 तथा टीकाकरण 41012 आदि की सुविधायें प्रदान की गई ।

2&uLy l/kkj dk;Zde& इसके अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता 5.62 लाख के अन्तर्गत राज्य के प्रगतिशील भेड़पालको को उनके भेड़ों में प्रजनन हेतु 225 निःशुल्क मेढ़ो का वितरण मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों के माध्यम से कराया गया ।

3&mRikndrk fodkl dk;Zde& इस कार्यक्रम हेतु स्वीकृत धनराशि रूपया 2.50 लाख के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्मों को सम्पादित कराया गया ।

3-1&HkMk dk Åu drju l iw ugyk;k tkuk –भेड़ों के ऊन कतरन से पूर्व नहलाने के लिये भेड़ पालको की 25616 भेड़ो को नहलाने के उपरान्त रू0 0.5 लाख के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराते हुये लाभान्वित किया गया ।

3-2 &Åu dh xfMx& भेड़ो से प्राप्त ऊन की प्राथमिकता ग्रेडिंग के लिये 19193भेड़ो के माध्यम से भेड़ पालको को रू0 0.25 लाख के अर्न्तगत प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई ।

3-3&e khu }kjk Åu drju&भेड़ो से प्राप्त होने वाली ऊन को मशीन द्वारा कतरने/काटने के लिये 18816 भेड़ो की ऊन मशीन द्वारा काटी गई । ऊन कतरन के पश्चात उनके मालिक भेड़ पालको को रू0 1.50 लाख के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई ।

4&mRikfnr gkus okyh Åu dk foi.ku e lgk;rk&

इसके अन्तर्गत 20076.75 भेड़ो से प्राप्त ऊन को उचित प्रकार से भण्डारित करने तथा ऊन को विपणन स्थल तक ले जाने हेतु भेड़ पालको को रू0 1.00 लााख के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है ।

5–प्रशिक्षण कार्यक्रम –

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि रू0 1.50 लाख के अन्तर्गत राज्य में प्रगतिशील भेड़ पालको की भेड़ों से सम्बन्धित नवीनतम तकनीकों की जानकारी, भेड़ो का उचित प्रबन्धन,उनके प्रमुख

रोग,उनका निदान,प्राथमिक चिकित्सा एवं मशीन द्वारा ऊन कतरन आदि का तीन दिवसीय प्रशिक्षण/प्रदर्शन 15 केम्पों के माध्यम से 300 भेड़ पालको को उनके विकास खण्ड/ग्राम स्तर पर विशेषज्ञो द्वारा प्रदान किया गया ।

6&cgmnn: kh; lok dUnk dh LFkkiuk&

राज्य के भेड़ पालको को एक ही स्थान पर उपरोक्त समस्त सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से 05बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रो (एमण्ईण्सी) की स्थापना हेतु रू0 32.50 लाख की धनराशि के अन्तर्गत कालसी (देहरादून) मुनिकीरेती (टिहरी) डुण्डा (उत्तरकाशी) मुनस्यारी(पिथौरागढ़) ग्वालदम (चमोली) में इन बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रो के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है ।

2-6& lxBu dk lf{kIr bfrgkl vkj bld xBu dk ilx&

mRrjk[k.M एक कृषि प्रधान राज्य है जिसका उदय देश के 27 वें राज्य के रूप में 09 नवम्बर 2000 को हुआ । mRrjk[k.M राज्य का कुल क्षेत्रफल 53.483 वर्गकिलोमीटर है । वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर mRrjk[k.M राज्य की जनसंख्या 84,79,562 है जिसमें से 13,997,भेड़पालक है ,वर्ष 2003 की 17 पशुगणना के आधार पर इन भेड़पालकों के पास कुल भेड़ो की संख्या 2.95 लाख है ।

2-]6]1&HkMk dh l[;k e foxr o'kk l deh vk jgh g ftld iel[k dkj.k fuEuor g&

1–भेड़पालको का आधुनिक सुख–सुविधाओं के कारण व्यवसाय से पलायन ।

2–रोजगार साधनों का विविधीकरण।

3–भेड़पालको के उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त न होना ।

4–भेड पालन कार्य कठिन श्रम का होना ।

5–पारम्परिक भेड़पालकों में शिक्षा का व्यापक प्रसार होने के कारण इस कार्य में कम योगदान देना ।

6–भेड़ पालको को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से हेय की दृष्टि से देखा जाना ।

7–वनों एवं चारागाहों की कमी ।

8–विभिन्न सेन्चुरियों का निर्माण कर चरान–चुगान क्षेत्र को प्रतिबन्धित करना ।

9–बुग्यालों की स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट आना ।

10–बन अधिनियम के लागू होने से चरान–चुगान क्षेत्रों को प्रतिबन्धित करना ।

2]6]2&भेड़पालन कार्यक्रम को एकीकृत रूप से विकसित करने तथा भेड़ पालको को भेड़पालन कार्यक्रम में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये यू0एस0डब्लू0डी0बी0 की स्थापना की गई ।

2]6]3& mRrjk[k.M शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापनाः भेडपालको की विभिन्न प्रकार की समस्याएं तथा उनकी मांग को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन शासनादेश सं0 568/पण्मण्दुण्ऊणविण्बोण/2003 दिनांक 29–10–03 के माध्यम से करते हुए इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं0 21,1860 के अधीन सं0 1998 दिनांक 31–10–03 के द्वारा किया गया ।

2,7 संगठन के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढ़ांचा–

ckMZ dk lxBukRed <kpk& ;0,l0MCy0Mh0ch0 dk lxBukRed <kpk fuEuor g%
xofuZx ckMh–

अध्यक्ष (माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार) /कार्यकारी अध्यक्ष (राज्य सकार द्वारा नामित)

उपाध्यक्ष (राज्य सरकार द्वारा नामित)

मुख्य अधिशासी अधिकारी/सचिव

सदस्य 20

i k djrk
ykd ikf/kdj.k d dr0;

उत्तराखण्ड राज्य के पशुओं के कल्याण एवं उनपर हो रहे अत्याचार/क्रूरता को रोकने,पालतु पशुओं को अनुउत्पादक होने पर लावारिस हालत में छोडे जाने पर संरक्षण दिलाने,पालतु एव वन्य जीवो पर होने वाले अत्याचारो/अनावश्यक पीड़ा याचना से रोकने तथा पशुओं की दशा सुधारने हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायलय के दिशा निर्देश एवं भारत सरकार के संसद द्वारा पारित पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960(संशोधित 1982) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड का गठन 23–11–2004 को किया गया ।

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अर्न्तगत धारा–9 खण्ड क से ठ तक उल्लेखित कृत्यो का निर्वाहन कराना एवं बोर्ड के उददेश्यो की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करना ।

1–बोर्ड के सदस्य/पदाधिकारियों/कार्मिको द्वारा प्रदत्त अधिकारो के अनुसार अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही कराना ।

2–अधिकारियों एवं कर्मचारियो की नियुक्ति,शक्तियां और कर्तव्य के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित है ।

3– इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेश/उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार कार्यवाही अध्यक्ष/उपाघ्यक्षा के माध्यम से पशु पालन विभाग के कार्मिकों द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है । नियम व विनयम बनायें जाने प्रस्तावित है वर्तमान में अभिलेख के रूप में स्टाक बुक पत्र प्रेषण,प्राप्ति पंजिका उपस्थिति परिषदीय कार्यक्रम,मांग एवं आपूर्ति सुझाव शिकायत,आगन्तुक,बजट,योजना दैनिक आदेश पंजिकायें तथा संबंधित पत्रावलियॉ कार्यालय उपयोग संधारित की जा रही है ।

4– राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन नियम/नीति बनायें/क्रियान्वयन करवाने का अधिकार बोर्ड को नियत है ।

5– वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सचिव,पशुपालन विभाग/पदेन सचिव राज्य पशु कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड सरकारी तथा पशु पालन विभाग के कार्मिक ।

6–वर्तमान राज्य स्तर पर पशु कल्याण बोर्ड उत्तराचल जनपद स्तर पर पशु क्रूरता निवारण समितियॉ गठित है । इनकी बैठको का कार्यवृत्त जनता में पहुचाने के उददेश्य से बैठको का कार्यवृत्त समाचार पत्रो में प्रकाशित किया जाता है ।

7–वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष/उपाघ्यक्षा एवं सचिव पशुपालन विभाग/पदेन सचिव पशु कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड सरकार या सरकार बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अन्य(कार्यवाही प्रस्तावित है) ।

8–वर्तमान में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड व सरकार को है ।

9– वर्तमान में पशुपालन विभाग के अनुसार कार्यवाही ।

10–वर्तमान में पशुपालन विभाग के विभागीय नियमों के तहत कार्मिको सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है । भविष्य हेतु बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तावित है ।

11–वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष/अध्यक्षा की मांग/आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2004–2005 में 2.80 लाख तथा 2005–06 में हेतु 3ण्55 लाख बजट उपलब्ध हुआ ।

12– शून्य–प्रकरण पर प्रस्ताव प्रस्तावित

13–संबंधित प्रकरणेां पर प्रस्ताव प्रस्तावित ।

14– प्रस्ताव प्रस्तावित ।

15–वर्तमान में व्यवस्था नही है,भविष्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित ।

16–सूचना कार्याकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सचिव पशुपालन विभाग ।

17–बोर्ड का गठन कुछ समय पहले ही किया गया है इसके बायलोज/कार्मिको की आचार संहिता वित्तीय व्यवस्था आदि ।

2-5&ykd ikf/kdj.k dh e[; dR;

(क) जीवजन्तुओं के प्रति क्रुरता निवारण हेतु भारत में प्रवृत्त विधि का अध्यन करता रहे और ऐसी किसी विधि में समय–सयम पर किये जाने वाले संशोधनों की वावत राज्य सरकार को सलाह दें ।

(ख)जीवजन्तुओं को सामान्यतया या विशिष्ठतया जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवहन किये जा रहे हो या जब वे अभिनयकर्ता जीव जन्तु के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हो या जब वे बन्धन या प्रतिरोध में रखे गये हो तथा अनावश्यक पीडा या यातना से बचाने की दृष्टि से इस नियम के अधीन नियम बनाने वावत राज्य सरकार को सलाह दे ।

(ग) भारवाही जीव जन्तुओं पर भार कम करने के लिए यानों के डिजाईनों में सुधार हेतु सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति को सलाह दें ।

(घ) शेडो,जलनादें और तदोपरान्त चीजो का सन्ननिर्माण प्रोत्साहित या उपबन्धित करने के जीव जन्तुओं के लिए पशु चिकित्सा सहायता उपबन्धित करने पशुओं बेहतरी के लिए उपाय करने हेतु जैसा बोर्ड ठीक समझे वैसा उपाय करें ।

(ड) वधालयो की डिजाईन या बधालयो को चलाने या जीव जन्तुओं के वध के संबंध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को सलाह दें ताकि जहॉ तक सम्भव हो पशु को वध से पहले के कार्यक्रम में अनावश्यक शारीरिक या मानसिक पीडा न हो जहॉ कही जीव जन्तुओं को मार देना आवश्यक हो वहॉ यथा सम्भव मानवोचित रीति से किया जाय ।

(च)जब कभी अवांछनीय जीव जन्तुओं को नष्ट किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा या तो तुरन्त किया जाय या जीव जन्तु को अचेत करके किया जाय या जैसा बोर्ड उचित समझे वैसा करे ।

(छ)ऐसे पिजरापोलों बचावगृहों,पशुआश्रयों,पशुवनों अन्य स्थानों जहॉ पशु पक्षी बूढ़े या बेकार हो जाने पर या जब उन्हे संरक्षण की आवश्यकता हो तब शरण पा सकें इस हेतु भवन आदि के निर्माण या स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान दें या अन्यथा प्रोत्साहित करें ।

(ज)जीव जन्तु को अनावश्यक पीडा या यातना से बचाने के लिए या जीव जन्तु तथा पक्षियों की संरक्षण के लिए स्थापित संस्थाओं या निकायों के साथ सहयोग एवं उनके कार्यो का समन्वय करें ।

(झ)स्थानीय क्षेत्र में कार्यशील जीव जन्तु कल्याण संगठनो को वित्तीय या अन्य सहायता दें या किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे जीव जन्तु कल्याण संगठनों का बनाया जाना प्रोत्साहित करे ।जो बोर्ड के साधारण परिवेक्षण एवं पथ प्रदर्शन के अधीन कार्य करे ।

(ञ)जीव जन्तु अस्पतालों में जिस चिकित्सकीय देख–रेख एवं सावधानी का उपलब्ध हो उससे संबंधित विषयों पर सरकार को सलाह दें और जब कभी कोई आवश्यक समझे तीव्र अस्पतालों को वित्तीय या अन्य सहायता दें ।

(ट)जीव जन्तुओं के साथ मानवाधित प्रस्ताव करने के उददेश्य से शिक्षा/प्रशिक्षण के जीव जन्तुओ को अभिवर्धन के पक्ष में भाषणेां पुस्तकों,पोस्टरों या चलचित्र प्रदर्शनों एवं तद्रूप साधनों के द्वारा लोकमत बनाना या इस हेतु प्रोत्साहित करना

(ठ) जीव जन्तुओं के कल्याण व अनावश्यक पीडा यातना देने के निवारण हेतु किसी भी विषय पर सरकार को सलाह दें ।

2.6– लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण

2ण्7–लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों(शासन निदेशालय क्षेत्र जिला ब्लाक आदि)पर संगठनात्मक ढाचा(जहॉ लागू हो)

ckM dk lxBukRed <kpk&यू0एस0पी0डी0का संगठनात्मक ढाचा निम्नवत है ।

1– मा0 मंत्री महोदय पशुधन एवं मत्स्य उत्तराखण्ड	प्रदेश अध्यक्ष
2–राज्य सरकार द्वारा नामित(पशु कल्याण के आधार पर)	उपाध्यक्ष
3–सचिव/अपर सचिव,पशुधन मत्स्य उत्तराखण्ड शासन	पदेन सचिव
4–निदेशक,पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड	सदस्य
5–मुख्य बन जीव संरक्षक उत्तराखण्ड–	सदस्य
6–गौशाला के 10 (राज्य सरकार द्वारा)चयनित प्रतिनिध	सदस्य
7–पाच पशु प्रेमी(राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
8– समाज सेवी संस्थाओं के दो सदस्य जो पशु कल्याण का कार्य कर रहे हो (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
9–प्रमुख सचिव गृह उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
10–निदेशक स्थानीय निकाय उत्तराखण्ड राज्य–	सदस्य
11– जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तराखण्ड का एक प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
12–विद्यान सभा के दो मा0 विधायक(राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
13–सेवा निवृत्त न्यायधिश न्यायिक सेवा/प्रशासनिक सेवा से जुडे दो प्रतिनिधि (उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नामित)	सदस्य

2.8–लोक प्राधिकरण की कार्य दक्षता बढाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षायें

2.9–जनसहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था

2.10–जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतो के निराकरण की व्यवस्था

2.11– मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयो के पते (कृपया पदो का जनपदवार वर्गीकरण करे

राज्य स्तरीय यू0एस0पी0बी0 मुख्यालय पशु चिकित्साधिकारी,पशुलोक ऋषिकेश (देहरादून)

2.12–खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे कार्यालय बन्द होने का समयः– अपरान्ह 5.00 बजे

ifjf k’V&1

f=Lrjh; i pk;rk d dR;]nkf;Ro ,o Hkfedk

1&jkT; Lrj

1–पशु चिकित्सा संबंधी नीति का निर्धारण ।

2–पशु सम्पदा जिसमें कुक्कुट,डेरी भी शामिल है के विकास के संबंध में भावी योजना तैयार करना ।

(अ) पशु औषधि व उपकरण व संयंत्रो की पशु चिकित्सा संस्थाओं को उपलब्धता अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार करना विनियमन करना ।

(ब) विभीय कार्यकलापो के निष्पादन व अनुश्रवण हेतु आवश्यक मानव संशाधन की व्यवस्था विनियमन व प्रशस्त करना ।

3–नश्ल सुधार के संदर्भ में अनुसंधान कराना व उसे प्रोन्नति करना ।

4–विस्तार कार्यक्रमो की प्रोन्नति ऋण वितरण व अनुसंधान हेतु निजी क्षेत्र,गैर सरकारी एजेन्सी व अनुसंधान की भागेदारी का प्रयास करना ।

5–पशुधन विकास के माध्यम से रोजगार,सृजन व गरीबी उन्मूलन व गतिविधियो को बढावा व प्रोन्नत करना ।

6–पशुधन उत्पादन प्रसंस्करण व विपणन की स्थापना व विस्तार हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ।

7–पशु चिकित्सा,शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं प्रोन्नति करना

8–हडडी वर्ग तथा अन्य पशु उत्पादो के उत्पादन प्रसंस्करण की प्रोन्नति करना ।

9–मांस कुक्कुट,अण्डा हडडी अन्य पशु उत्पादो के निर्यात को प्रोत्साहित करना ।

10–घास क्षेत्रो के विकास व पशु चारा एवं संतुलित पशु आहार उत्पादन के कार्यक्रमों की प्रान्नति हेतु नीति निर्धारित करना ।

11– अन्तराष्टीय एजेन्सीयों व वित्तीय संस्थाओं के सम्मुख वित्तीय सहायता हेतु परियोजनायेक प्रस्तुत करना।

12–विभागीय भवनो तथा अन्य परिसम्पत्तियो के रख–रखाव के संबंध में धनराशि के आवंटन हेतु नीति निर्धारण ।

2&ftyk i pk;r Lrj

1–जनपद हेतु पशुपालन हेतु योजना तैयार कराना ।कार्यान्वित करना और उनका परिवेक्षण करना ।

2–पशु चिकित्सालयो की स्थापना,रख–रखाव एवं प्रबन्धन ।

3–मध्य श्रेणी के पशु चिकित्सालयो व डिसपेन्सरी की स्थापना व रख रखाव व प्रबन्धन ।

4–कृत्रिम गर्भाधान व अन्य साधनो से गौधन,कुक्कुट एवं अन्य पशुओं की नश्ल सुधार करना ।

5–डेरी,कुक्कुट एवं सूकर पालन के विकास को प्रोत्साहित करना ।

6–पशुओ के खुरपका मुहपका रोगो सहित संक्रामक रोगों,महामारी का निवारण तथा नियंत्रण ।

7–संतुलित आहार चारा व घास क्षेत्रो का विकास ।

8– कृषको,पशुपालको एवं अन्य उपभोगता समुदाय का प्रशिक्षण ।

9– हडडी चर्म व पशु उत्पादो के प्रसंस्करण हेतु केन्द्रो की स्थापना व उन्हें प्रोन्नत करना ।

10–नश्ल सुधार चारा व पशु आहार के कार्यक्रम के नियोजन अनुसंधान एवं विपणन हेतु नीति क्षेत्रों की संस्थाओं व गैर सरकारी एजेन्सीयों को सम्बद्व करना ।

11–पशु नश्ल सुधार प्रक्षेत्रो के कार्यकलापो का पर्यवेक्षण तथा सांड़ व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना ।

12–बकरी भेड़ व सूकर पालन प्रक्षेत्रो का विकास व प्रोन्नति ।

13–पशुपालन से संबंधित योजनाओ का प्रसार एवं प्रचार ।

14–जिला परिषद के निहित सम्पत्तियो एवं भवनो का अनुरक्षण ।

3&{k=h; i pk;r Lrj&

1–क्षेत्र पंचायतों को अभ्यर्पित समस्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन ।

2–ग्राम पंचायतो का पर्ववेक्षण व जिला पंचायतो की आख्या ।

3—ग्राम पंचायत द्वारा संस्तुति स्थल व लाभार्थियो को सामग्री वितरण हेतु चयन ।
4—प्राकृतिक पशुपालन केन्द्रो का नियोजन तथा अनुश्रवण ।
5— कार्यक्रमों का कार्यान्वयन यथाः
1—चिकित्सा एवं पशु सम्पदा के विकास,सेवाओं व स्टाकमैन केन्द्रो का रख—रखाव व प्रबन्धन ।
2—पशुओं एवं कुक्कुट में महामारी व छूत के रोगों का निवारण एवं नियन्त्रण ।
3—सघन पशु विकास कार्यक्रम ।
4— विकसित चारा एवं घास के उत्पादन की प्रोन्नति ।
6—क्षेत्रिय पंचायतो में निहित परिसम्पत्तियो एवं भवनो का रख—रखाव ।

4&xke ipk;r Lrj &

1—डेरी कुक्कुट व सूकर से संबंधित पशुपालन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।
2—पशु कुक्कुट तथा अन्य पशु सम्पदा के नश्ल सुधार कार्यक्रम ।
3—जनता के सहयोग से सार्वजनिक तराई क्षेत्रों का विकास एवं रख—रखाव ।
4—पशुओ में महामारी के निवारण एवं नियंत्रण हेतु सहायता करना ।
5—पशु गृहों,सदनों की स्थापना तथा छुटटा पशु के नियंत्रण हेतु प्रयास करना ।
6— पशु कंकालो के एकत्रीकरण व उपयोग हेतु केन्द्रों की स्थापना ।
7—ग्राम पंचायत में निहित संपत्तियो एवं भवनो का रख—रखाव ।
8—चारा विकास सार्वजनिक चारागाहों का रख—रखाव तथा उसके दुरूपयोग का नियंत्रण व बाधाओं का निवारण ।

¼eSuqvy &2½

vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh “kfDr;k
vkSj drZO; %&

The Power of its Officers and employees

eSuqvy&2

dz0 la0	fooj.k	ist uEcj
2-1	tuinh; vf/kdkjh dh "kfDRk;ka ,ao drZO;ksa dk fooj.k	20
2-2	tuinh; vf/kdkjh dh foRrh; "kfDr;ka	21
2-3	i'kq fpfdRl kf/kdkfj;ksa ds drZO; ,oa mRrjnkf;Ro	22
2-4	i0i0v0ds drZO; ,oa mRrjnkf;Ro	23 ls 24

vf/kdkfj;ks@deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ka ,oa drZO; %&
eq[; i'kq fpfdRlkf/kdkjh dh 'kfDr;ka ,oa drZO;

प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, वेतनमान 8000–275–13500 में वेतन आहरण, वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश स्वीकृत करना, मंडलीय उपनिदेशक पशुपालन के अनुमोदन पर जनपद में स्थानान्तरण, संस्थाओं का निरीक्षण एंव भौतिक सत्यापन आदि कार्य।
विविध अधिकार	(1) जनपद में पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन, योजनाओं का प्रस्तुतीकरण, क्रियान्वयन तथा विभागीय अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्यो का प्रतिपादन करना । समस्त कार्यक्रमों के लिये शासन के प्रति उत्तरदायी । (1) उच्च अधिकारियों/शासन स्तर से सौंपे गये कार्यो का निष्पादन (2) निदेशालय/शासन स्तर पर आयोजित बैठकों का निष्पादन (3) क्षेत्र में पशु चिकित्सा रोग निदान (4) विभागीय कार्यो की समीक्षा

2-2 foRrh; 'kfDr;ĭ

शासनादेश सं0 ए–2/970/दस–96–24(7)/95, दि0 23 जून, 1996 के अनुसार मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्राप्त वित्तीय अधिकार निम्न प्रकार हैं ।

क0सं0	मद	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्राप्त अधिकार
1	अपने कार्यालय एंव अपने अधीनस्थ क्षेत्र के प्रयोग के लिए पुस्तकें एंव समाचार पत्रों का कय	रू0 1200.00
2	अपने कार्यालय एंव अधीनस्थ कार्यालयों के लिए मुद्रण कराना	रू0 5000.00
3	डेमेज/क्षतिपूर्ति आदि	रू0 1000.00
4	छोटे निर्माण कार्यो के लिए स्वीकृति	रू010000.00
5	सामान साज–सज्जा के लिये	रू01000.00
6	निष्प्रोज्य सामान का विकय	रू05000.00

i'k fpfdRlk vf/kdkfj;k d dRk0; ,o mRrjnkf;Rok dk fooj.k

1. कृत्रिम गर्भाधान :— न्याय पंचायत स्तर हेतु समस्त आवश्यक निवेशों की सामयिक आपूर्ति कराना विकास क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले समस्त कार्यक्रमों के लक्ष्यों को शत प्रतिशत पूर्ति कराना, विभिन्न कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने के लिये नियमित निरीक्षण एंव न्याय पंचायत स्तर के कार्यो का अनुसरण करना, न्याय पंचायत स्तर पर आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना तथा न्याय पंचायत स्तर/जिला स्तर के मध्य में समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व पशु चिकित्साधिकारियों का होगा ।
2. उत्पन्न संतति :— तदैव
3. चिकित्सा :— बीमार पशु की चिकित्सा
4. बधियाकरण :— निकृष्ट सांडों का बधियाकरण करना
5. टीकाकरण :— क्षेत्र के सभी पशुओं को रोग—निरोधक टीके लगाना
6. भेड़ों को सामयिक रूप से दवापान :— विकास क्षेत्र स्तर पर मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड) पशु चिकित्साधिकारी मेढ़ा केन्द्रों / भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों हेतु सामयिक निविशों की व्यवस्था कराना। केन्द्रों का निरीक्षण/अनुश्रवण एंव केन्द्रों पर आने वाली कठिनाईयों का निराकरण कराने का उत्तरदायित्व होगा ।
7. भेड़ों में गर्भाधान :— तदैव
8. बकरियों में गर्भाधान :— तदैव
9. सूंकरों में गर्भाधान :— तदैव
10. कुक्कुट विकास :—

    अण कुक्कुट प्रशिक्षण :— सघन कुक्कुट विकास परियोजना तथा उसके बाहर के क्षेत्रों के कुक्कुट पालकों को विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुलभ करवाने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियों/कुक्कुट निरीक्षकों/सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य तकनीकी अधिकारी को सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे ।

    बण राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर चूजा उत्पादन एंव वितरण :— सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य तकनीकी अधिकारी अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों से उत्पादित लेयर/ब्रायलर/क्रायलर चूजों के वितरित कराने हेतु पशुधन प्रसार अधिकारियों/कुक्कुट निरीक्षकों समन्वय बनाये रखना, संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना तथा रोगग्रसित पक्षियों का निदान एंव चिकित्सा, स्थापित काम्पलैक्सेज को नियमित रूप से कार्यशील बनाये रखना, आवश्यक निवेशों की सामयिक टीकाकरण एंव वितरण निदान की व्यवस्था ।
11. चारा विकास कार्यक्रम :—

    अ. चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एंव सघन विकास योजना(जिला योजना) :— पशु चिकित्साधिकारी द्वारा विकास क्षेत्र हेतु सामयिक निवेशों को पशुधन प्रसार अधिकारियों को उपलब्ध कराना तथा अनुश्रवण।

    ब. अपौष्टिक चारे एंव सैल्यूलौजिक वेस्ट्स को उपचारित कर पौष्टिक बनानाः—पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से प्राप्त निवेशों को पशुधन प्रसार अधिकारियों को उपलब्ध कराना, अनुश्रवण निरीक्षण/तकनीकी मार्ग दर्शन देना । प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना ।

    स. बायोमांस उत्पादन में वृद्धि हेतु सिल्विपाश्चर की योजना :— तदैव

    द. चारा मिनीकिट वितरण एंव प्रदर्शनः—पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों से प्राप्त मिनीकिटों को पशुधन प्रसार अधिकारियों को उपलब्ध कराना तथा चारा प्रदर्शनों का निरीक्षण ।

i'k/ku ilkj vf/kdkfj;k d dRk0; ,o mRrjnkf;Rok dk fooj.k

1– विभागीय संस्थाओं/क्षेत्र भ्रमण पर बीमार पशुओं/पक्षियों की आवश्य कतानुसार प्राथमिक चिकित्सा/उपचार करना

2–विभागीय संस्थाओं के मुख्यालय तथा क्षेत्र भ्रमण पर अनैच्छिक नर पशुओं का बधियाकरण करना ।

3–मुख्यालय/क्षेत्र भ्रमण पर पशु/पक्षियों के संक्रमण बीमारियों की रोकथाम हेतु रोग नियंत्रक तथा टीकाकरण करना ।

4–संक्रामक बीमारियों के संक्रमण (न्ज ठतमं) होने पर उसके निवारण के उपाय करना, तथा उच्च अधिकारी को सूचित कर उनके मार्ग दर्शन में कार्य करना ।

5–अपने कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत गंभीर रोगी पशुओं को अपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा/उपचार सेवायें उपलब्ध कराना ।

6–अपने मुख्यालय तथा क्षेत्र भ्रमण पर कृत्रिम गर्भाधान कार्य करना, गर्भ, परीक्षण करना, संतति निरीक्षण करना तथा तदनुसार अभिलेख तैयार करना ।

7–आन्तरिक अंगो को छोड़कर लघु शल्य चिकित्सा (डपदवत व्वमतंजपवद) द्वारा पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा/उपचार करना ।

8–भेड़ों एंव बकरियों को डेचिंग एंव डिपिंग कराना ।

9–अपने कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत पशुधन विकास कार्यक्रमों की प्रगति सूचनायें आंकडे आदि संकलित करना एंव विकास सम्बन्धी अन्य कार्यो के निरीक्षण/अनुश्रवण/समीक्षा/हेतु विभागीय उच्चधिकारियों के भ्रमण के समय उनके साथ रहना, तथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करना ।

10–विकास मेला, पशु मेला, पशु प्रर्दशनी, पशु रैली, टीकाकरण कैम्प हेतु प्रचार प्रसार करना उसके लिये अनुकुल वातावरण बनाना तथा सम्पन्न कराने में उच्चधिकारियों का सहयोग करना ।

11–मादा पशुओं की जनन क्षमता का पूरा सहयोग करने हेतु बांझ निवारण कैम्प आयोजित करना, तथा पशु चिकित्साधिकारियों के मार्ग निर्देशन में पीड़ित पशु की प्राथमिक चिकित्सा/उपचार करना ।

12–पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव, पालन पोषण तथा सन्तुलित पशु आहार के सन्दर्भ में जानकारी देना ।

13–चारा विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत पशुपालकों को हरे चारे के महत्व की जानकारी देना, कृषकों का चयन कर चारा प्रर्दशन करना, यथासमय उन्नत चारा बीज/चारा जडें/चारा वृक्ष उपलब्ध कराना तथा ग्राम पंचायतों/वन पंचायतों/स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा विकसित चारा वनों/चारागाहों का समय–समय पर अनुश्रवण/निरीक्षण करना तथा उसकी प्रगति उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराना

14–अपने पदस्थापना से सम्बन्धित संस्थाओं की पंजिकाओं एंव अभिलेखों को निर्धारित प्रारूप पर तैयार करना तथा चार्च डिस्प्ले तथा प्रगति सूचनायें कार्यक्रमवार दर्शाना ।,

15–वीर्य संग्रह केन्द्रों पर सांडों का रखरखाव, वीर्य संग्रह परीक्षण, डाइल्यूसन प्रिजर्वेसन तथा वितरण में संग्रह केन्द्र के प्रभारी को सहयोग प्रदान करना ।

16–राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर पक्षियों का रखरखाव, अंडा उत्पादन हैचिंग, रियरिंग, टीकाकरण तथा विपणन आदि की व्यवस्था करना, रोग निदान करना तथा मृत्यु की दशा में पशु चिकित्साधिकारी के निर्देशन में शव विच्छेदन (Postmortem) करना।

17–इच्छुक कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण करने के लिये प्रेरित करना, तकनीकी प्रशिक्षण देना, कुक्कुट इकाईयों की स्थापना करना, उनका अनुसरण/निरीक्षण करना तथा अण्डों एंव चूजों के विपणन में सहयोग करना ।

18–राजकीय शशक प्रक्षेत्र शशकों का रखरखाव, टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा/उपचार प्रजनन विपणन आदि का कार्य करना ।

19—राजकीय भेड/बकरी प्रक्षेत्रों पर भेड़ों/बकरियों का रखरखाव, टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा/उपचार, प्रजनन ऊन शेयरिंग, ग्रेडिंग तथा विपणन आदि कार्य करना ।

20—राजकीय सूंकर प्रक्षेत्रों पर सूकरों का रख—रखाव, टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा, उपचार, प्रजनन तथा विपणन आदि कार्य करना ।

21—क्षेत्र के इच्छुक सूंकर पालकों को प्रशिक्षण के लिये प्रेरित करना, उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देना, सूंकर इकाईयों की स्थापना करना, उनका अनुसरण/निरीक्षण करना तथा उनके विपणन में सहयोग करना

22—राजकीय दुग्धशाला प्रक्षेत्रों पर पशुओं के रख—रखाव, फ्रीडिंग, रियरिंग, टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा, पशु प्रजनन संतति प्रशिक्षण करना, दुग्ध उत्पादन, अभिलेखन तथा विपणन आदि कार्य करना ।

23—क्षेत्र में अग्निघात, विद्युत आघात, आकस्मिक दुर्घटना में घायल पशु का तुरन्त उपचार करना, तथा मृत्यु की दशा में उसके शव विच्छेदन हेतु पशु चिकित्साधिकारी को अवगत कराना ।

24—क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान मैदानी जनपदों में 10 दिन व पर्वतीय जनपदों में 15 दिन अपने क्षेत्र के अन्तर्गत रात्री विश्राम करेगा, तदनुसार कार्य की प्रगति, गन्तवय स्थान, मुख्यालय से दूरी प्रस्थान का समय तथा वापसी का समय सूचना पट तथा दैनिक डायरी में उल्लेख करेगा।

25—पशुपालकों की मांग पर उन्नत नस्ल के गाय सांडो, भैंसा सांडो, बकरा,मेढ़ा ,घोड़ा गधा तथा सूकर सांड़ आदि अंशदान पर उपलब्ध कराना

26—अपने कार्य क्षेत्र के अर्न्तगत प्रति वर्ष ग्रामवार पशुओं की गणना करना तथा नियोजन हेतु आंकडे जुटाना ।

27—पशु क्रूरता निवारण के सम्बन्ध में पशुधन प्रसार अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी एंव मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को आवश्यक सूचना एंव सहायता प्रदान करेंगे ।

28—प्राकृतिक आपदा जैसे बाड़, सूखा, भूस्खलन आदि के समय आवश्यकतानुसार राहत कार्य करना तथा उच्चाधिकारियों को सूचित करना

29—समय—समय पर बैंक द्वारा पोषित परियोजनाओं में पशुधन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना, स्वयं सहायता समूह गठित करना तथा आवश्यक कार्यो का सम्पादन करना ।

30—मुख्यालय/क्षेत्र में सम्पादित कार्य प्राथमिक चिकित्सा, उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान, टीकाकरण, बधियाकरण, ड्रेचिंग, डिंपिंग हेतु निर्धारित सेवाशुल्क (स्मअल) एंव वैक्सीन, चारा, दाना, ऊन, खाल, हड्डी, मांस, अण्डा, इत्यादि मदों की विक्रय से प्राप्त धनराशि राजकीय कोष में जमा करना तथा जमा की गयी धनराशि व अवशेष धनराशि का विवरण पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को मासिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में रखे गये अभिलेख भी पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, को अवलोकित कराये जायेंगे ।

31—सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

32—पशुधन प्रसार अधिकारी, सम्बन्धित पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्साधिकारी/जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के नियन्त्रणाधीन होंगे तथा उनके द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्देशानुसार सम्पादन करेंगे ।

33—शासन/विभाग/जनपद के उच्चाधिकारियों द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अन्य कार्यो का सम्पादन नियम अनुसार सुनिश्चित करेंगे ।

¼eSuqvy &3½

fofuf p; djus dh izfdz;k esa i kq ikyu dh tkus okyh izfdz;k ftlesa i;Zos{k.k vkSj mRrjnkf;Ro ds ek/;e lfEefyr gS

euvy&3

fo"k; lph

d0l0	fooj.k	
3.1	i'kikyu foHkkx tuin Lrj l xke ipk;r Lrj rd	24
3.2	i kikyu foHkkx d egRoi.k dk;de	**25.26**
3.3	i0ik0fo0d U;k;ipk;r Lrj ij mRrjnkf;Rok dk fu/kkj.k	**27**
3.4	i0ik0fo0d fodkl {k= Lrj ij mRrjnkf;Rok dk fu/kkj.k	**28**
3.5	i0ik0fo0d ftyk Lrj ij mRrjnkf;Rok dk fu/kkj.k	**29.30**
3.6	i kikyu foHkkx d fofHkUu dk;de rFkk lok "kYd	**31.33**
3.7	;0,y0Mh0ch0d dk; fcUn	**34.35**
3.8	vij0funs kd i0ik0d i0l0 307 fn0 3&6&05 LFkkukUrj.k uhfr 05&06	**36**

fofu'p; djus dh izfdz;k esa ikyu dh tkus okyh izfdz;k ftlesa i;Zos{k.k vkSj mRrjnkf;Ro fuEuor gS A

tuin Lrj ij	eq[; i'kq fpfdRlkf/kdkjh
fodkl [k.M Lrj ij	i'kq fpfdRlkf/kdkjh
xzke iapk;r Lrj ij	i'kq/ku izlkj vf/kdkjh

i'kqikyu foHkkx] mRrjk[k.M

महत्वपूर्ण विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों का समयबद्ध क्रियान्वयन प्रदेश के विकास व लोक प्रशासन की दक्षता बढानें की दिशा में अत्यन्त आवश्यक है। इसी क्रम में शासन ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/योजनाओं को चिन्हांकित कर इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/योजनाओं के सम्बन्ध में वार्षिक लक्ष्य/बैच मार्क्स तय करके इनकी प्राप्ति के लिए शासन में विभागध्यक्ष कार्यालय में फील्ड में जिला स्तर से लेकिन सबसे छोटी इकाई तक अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय ताकि समय से निर्धारित लक्ष्य/बैच मार्क्स प्राप्त नहीं किये जाने पर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।

पशुधन विभाग का प्रमुख उद्देश्य पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं के सम्भावित रोगों के बचाव हेतु टीकाकरण,रोगग्रस्त पशुओं की सामयिक चिकित्सा उपलब्ध कराना,दुग्ध,अण्डा,मांस एंव ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना,कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से स्वदेशी नस्लों का सुधार, स्वदेशी प्रजातियों का संरक्षण एंव सवंर्धन, विदेशी नस्लों की प्रजातियों का प्रसार तथा उन्नतशील प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने एवं पशु पालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध आदि कराना है। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन से सम्बन्धित कार्यक्रमों का विस्तार, ग्रामीण अंचलों में पिछडे एंव निर्बल वर्ग के लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु पशुधन विभाग द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य निर्धारण हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं :–

1–प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में पशुधन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु प्रादेशिक प्रजनन की नीति निर्धारित की गई है । इसके अन्तर्गत, विदेशी डेरी प्रजातियों के साथ गैर प्रजातीय गौ पशुओं को संकरण कराना, उत्तरांचल क्षेत्र में जर्सी प्रजाति तथा अन्य क्षेत्रों में फ्रीजियन प्रजाति से संकरण कराना, गौ एंव महिशवंषीय स्वदेशी प्रजातियों का अनुवांशिक सुधार करने से सम्बन्धित नीति अपनाई जा रही है 2–पशु चिकित्सा एंव संक्रामण रोगों से बचाव के उपाय, पशु प्रजनन की सुविधा, पशु चिकित्सालय शिविरों का आयोजन, हरा चारा उत्पादन में वृद्धि, लघु पशुओं के विकास कार्यक्रमों के माध्यम से पशु उत्पादों में वृद्धि लाने हेतु तथा ग्रामीण अंचल के कमजोर वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है ।

3–प्रदेश में लघु एंव सीमान्त कृषकों के आश्रित बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराने एंव उनके आर्थिक उन्नयन हेतु ग्रायलर्स काम्पलेक्सों की स्थापना पर बल दिया गया है। प्रदेश के समस्त राजकीय पशुधन को लाभकारी बनाने तथा आधुनिक संसाधनों एंव नवीनतम तकनीक से सुसज्जित करने के उद्देश्य से उत्तरांचल में लाइव स्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है, जो प्रगति की ओर अग्रसर है ।

4–पशुधन विकास में पौष्टिक चारे के विकास हेतु बायोमास उत्पादन, प्रमाणित चारा बीज उत्पादन, चारा बीज मिनिकिट्स के वितरण तथा कृषि योग्य भूमि पर सिल्वी–पाश्चर विकसित करने पर बल दिया गया है ।

5–भेड़ एंव ऊन विकास कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार लाने हेतु उत्तरांचल शीप एण्ड वूल डेवलेपमेन्ट बोर्ड के शत प्रतिशत सहयोग से एकीकृत ऊन विकास परियोजना प्रारम्भ की गई है तथा प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में बकरी, कुक्कुट, सूंकर/अंगोरा शशक के विकास हेतु विभिन्न स्वरोजगार योजनायें कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है ।

6–पशुपालन विभाग द्वारा विश्व बैंक की सहायता से यू0पी0डी0ए0एस0पी0का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु पैराबैट्स कार्यक्रम लिया गया है जिसमें पशुधन विकास की विभिन्न सेवायें शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर उनके द्वारा पशुपालकों के द्वार पर ही विभागीय सेवायें उपलब्ध करायी जानी है ।

7–नवीं पंचवर्षीय योजना काल में गौ–शालाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण एंव प्रभावशाली रूप से स्वदेशी प्रजाति के गौ–वंश संरक्षण एंव संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है । इसके अतिरक्त अम्बेदकर विशेष रोजगार योजना अर्न्तगत उपरोक्त इकाईयॉ स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराने एंव उनके आर्थिक उन्नयन का प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्त कार्यक्रमों का सम्पादन शासन द्वारा आयोजनात्मक क्षेत्र में स्वीकृत विभिन्न योजनाओं द्वारा किया जा रहा है । योजनार्न्तगत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विभागीय अधिकारियों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । जिसका विवरण आगे दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न विकास योजनाओं मे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निदेशालय, मण्डल तथा जनपद स्तर पर उत्तरदायी अधिकारियो का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है । इसका विवरण भी आगे दिया जा रहा है ।निर्धारित लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति की जायेगी । यदि लक्ष्यों की पूर्ति में किसी स्तर पर शिथिलता पायी जाती है, तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित करके उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

i'kqikyu foHkkx ds HkkSfrd ,oa foRrh; y{;ksa dh 'krizfr'kr vkiwfrZ gsrq fofHkUu Lrjksa ij mRrjnkf;Ro dk fu/kkZj.k %&

कार्यक्रम का नाम – न्याय पंचायत स्तर

कार्य अधिकारी – पशुधन प्रसार अधिकारी

कृत्रिम गर्भाधान :– कृत्रिम गर्भाधान कार्य कराने के लक्ष्यों को शतप्रतिशत प्राप्त करने, उनका अनुसरण करना तथा संतति परीक्षण आदि का उत्तरदायित्व पशुधन प्रसार अधिकारी का होगा ।

अतिहिमिकृत वीर्य उत्पादन कार्यक्रम :– तदैव

उत्पन्न संतति – तदैव

टीकाकरण –

चिकित्सा –

बधियाकरण –

भेडों का सामुहिक रूप से दवापान :– भेड़ों को सामुहिक रूप से दवापान, भेड़ों में गर्भाधान हेतु लक्ष्यों के शतप्रतिशत पूर्ति एंव अनुसरण हेतु भेड एंव ऊन प्रसार केन्द्र के प्रभारी पशुधन प्रसार अधिकारी उत्तरदायी होंगे ।

भेड़ों में गर्भाधान :– तदैव

बकरियों में गर्भाधान :– तदैव

अम्बेडकर स्वरोजगार योजना :– अम्बेडकर स्वरोजगार योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति के लिए पशुधन प्रसार अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह विभिन्न प्रकार की पशुपालन इकाईयों की स्थापना हेतु बेरोजगार युवक/युवतियों का चयन करेगा। इकाईयों की स्थापना हो जाने पर उनका सुपरविजन करेगा ।

कुक्कुट विकास :–

अ– कुक्कुट प्रशिक्षण – इच्छुक कुक्कुट पालकों को कुक्कुट पालन के प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करना, प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण संस्थाओं की जानकारी कराने के सम्पूर्ण दायित्व सघन कुक्कुट विकास परियोजनाओं के कुक्कुट निरीक्षक/ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक तथा सघन कुक्कुट परियोजना के बाहर पशुधन प्रसार अधिकारियों का होगा।

40

ब– राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर चूजा उत्पादन एंव वितरण :– राजकीय प्रक्षेत्रों पर उत्पादित चूजों के वितरण हेतु सघन कुक्कुट विकास परियोजनाओं के अर्न्तगत कुक्कुट निरीक्षक/ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक तथा परियोजना से बाहर पशुधन प्रसार अधिकारी निजी क्षेत्र के कुक्कुट पालकों को प्रेरित कर कुक्कुट इकाई/प्रक्षेत्र स्थापित करना, क्षेत्रीय मांग के अनुसार संबंधित पशु चिकित्साधिकारी को बराबर मांग उपलब्ध कराना, पक्षियों में सामयिक टीकाकरण तथा चिकित्सा व्यवस्था सुलभ कराना ।

चारा विकास कार्यक्रम :–

अ– चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एंव सघन विकास योजना (जिला योजना) – पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन,पशु चिकित्साधिकारियों से प्राप्त बीज का कृषकों में वितरण ।

ब– अपौष्टिक चारे एंव सैल्यूलौजिक वेस्ट्स को उपचारित कर पौष्टिक बनाना :– पशुधन प्रसार अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों का चयन पशु चिकित्साधिकारियों से प्राप्त निवेशों को लाभार्थियो में वितरित कर योजनाओं का क्रियान्वयन करना तथा प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना ।

स– बायोमास उत्पादन में वृद्धि हेतु सिल्वी–पाश्चर की योजना – तदैव

द– चारा मिनिकिट वितरण एंव प्रदर्शन – पशुधन प्रसार अधिकारियों द्वारा कृषकों का चयन कर प्राप्त मिनिकिटों को कृषकों के यहॉ जाकर प्रदर्शन कराना प्रगति उपलबध कराना ।

i'kikyu foHkkx d HkkSfrd ,o foRrh; y{;k dh 'kriifr kr vkifrZ gsrq fofHkUu Lrjk ij mRrjnkf;Ro dk fu/kkZj.k :–

कार्यक्रम का नाम – विकास क्षेत्र स्तर

कार्य अधिकारी – पशु चिकित्सा अधिकारी

कृत्रिम गर्भाधान :– न्याय पंचायत स्तर हेतु समस्त आवश्यक निवेशों की सामयिक आपूर्ति कराना विकास क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले समस्त कार्यक्रमों के लक्ष्यों का शतप्रतिशत पूर्ति कराना, विभिन्न कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए नियमित निरीक्षण एंव न्याय पंचायत स्तर के कार्यो का अनुसरण करना, न्याय पंचायत स्तर पर आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना तथा न्याय पंचायत स्तर/जिला स्तर के मध्य में समन्व्य स्थापित करने का उत्तरदायित्व पशु चिकित्साधिकारी का होगा ।

उत्पन्न संतति – तदैव

टीकाकरण – क्षेत्र के सभी पशुओं को रोग–निरोधक टीके लगाना।

चिकित्सा – बीमार पशुओं की चिकित्सा।

बधियाकरण – निकृष्ट सांडो का बधियाकरण कार्य ।

भेडों का सामुहिक रूप से दवापान :– विकास क्षेत्र स्तर पर मुख्य तकनीकी अधिकारी(भेड़) पशु चिकित्साधिकारी मेढा ऊन एंव प्रसार केन्द्रों हेतु सामयिक निवेशों की व्यवस्था कराना। केन्द्रों का निरीक्षण/अनुश्रवण एंव केन्द्रों पर आने वाली कठिनाईयों का निराकरण कराने का उत्तरदायित्व होगा ।

भेड़ों में गर्भाधान :– तदैव

बकरियों में गर्भाधान :– तदैव

सुकरियों में गर्भाधान :– तदैव

अम्बेडकर स्वरोजगार योजना :– अम्बेडकर स्वरोजगार योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति के लिए पशु चिकित्साधिकारी उत्तरदायित्व होगें। वह बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलबध कराने के लिए चयन हेतु मार्ग दर्शन देगें। बैंको से ऋण प्राप्त करने में सहयोगादेगें, तथा इकाई की सफलता के लिए दिशा निर्देश सुपरविजन/निरीक्षण भी करेंगे ।

dDdV fodkl

अ– कुक्कुट प्रशिक्षण – सघन कुक्कुट परियोजना तथा उसके बाहर के क्षेत्रों के कुक्कुट पालकों को विभिन्न सतर के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुलभ करवाने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियों/कुक्कुट निरीक्षकों/सम्बनिधत चिकत्साधिकारी/मुख्य तकनीकी अधिकारी सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे ।

ब– राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर चूजा उत्पादन एंव वितरण :– सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य तकनीकी अधिकारी अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार राजकीय राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों से उत्पादित लेयर/ब्रायलर चूजों को वितरित कराने हेतु पशुधन प्रसार अधिकारियों/कुक्कुट निरीक्षकों से समन्वय बनाये रखना, संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण की व्यवस्था को सुनिशिचित करना तथा रोगग्रसित पक्षियों का निदान एंव चिकित्सा, स्थापित काम्पलैक्सेज को नियमित रूप से कार्यशील बनाये रखना, आवश्यक निवेशों की सामयिक टीकाकरण एंव वितरण निदान की व्यवस्था।

1- चारा विकास कार्यक्रम :–

अ– चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एंव सघन विकास योजना (जिला योजना) – पशु चिकित्साधिकारी द्वारा विकास क्षेत्र हेतु सामयिक निवेशों को पशुधन प्रसार अधिकारियों को उपलब्ध कराना तथा अनुश्रण ।

ब– अपौष्टिक चारे एंव सैल्यूलौजिक वेस्ट्स को उपचारित कर पौष्टिक बनाना :– पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से प्राप्त निवेशों को पशुधन प्रसार अधिकारियों को उपलब्ध कराना, अनुश्रवण निरीक्षण/तकनीकी मार्ग दर्शन देना। प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना ।

स– बायोमास उत्पादन में वृद्धि हेतु सिल्वी–पाश्चर की योजना – तदैव

द– चारा मिनिकिट वितरण एंव प्रदर्शन – पशु चिकित्साधिकारी द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से प्राप्त मिनिकिटों को पशुधन प्रसार अधिकारियों को उपलब्ध कराना तथा चारा प्रदर्शनों का निरीक्षण ।

i'kikyu foHkkx d Hkkfrd ,o foRrh; y{;k dh 'krifr kr vkifr gr fofHkUu Lrjk ij mRrjnkf;Ro dk fu/kkj.k %&

dk;de dk uke & ftyk Lrj

dk; vf/kdkjh & e[; i'k fpfdRlk vf/kdkjh

d`f=e xHkk/kku & जनपद के अर्न्तगत आने वाली समस्त संस्थाओं के अर्न्तगत कार्यरत कार्यक्रमों को सफल एंव लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति कराने के लिए आवश्यक निवेशों की आपूर्ति कराना, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति , पर्याप्त मात्रा में धन व्यवस्था करना, विकास क्षेत्र स्तर पर आने वाली कठिनाईयों का त्वरित निस्तारण करना, विकास क्षेत्र मण्डल/प्रदेश स्तर पर समन्वय रखना/जनपद स्तर, विभिन्न कार्यक्रमों का अनुश्रवण एंव संस्थाओं का निरीक्षण आदि का उत्तरदायित्व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा ।

उत्पन्न संतति – तदैव

टीकाकरण – तदैव

चिकित्सा – तदैव

बधियाकरण – तदैव

भेड़ों का सामुहिक रूप से दवापान– भेड विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित कार्यक्रमों का लक्ष्य पूर्ति हेतु आवश्यक सामुहिक निवेशाों की पूर्ति अनुश्रवण आवश्यक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की व्यवस्था विकास स्तर पर आने वाली कठिनाईयों का निराकरण कराना तथा विभिन्न स्तर पर समन्वय रखने का उत्तरदायित्व मुख्य तकनीकी अधिकारी(भेड़)मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा ।

भेड़ों में गर्भाधान– तदैव

बकरियों में गर्भाधान– तदैव

सुकरिंयो में गर्भाधान – तदैव

विभिन्न वैक्सीनों का उपयोग– जनपद में प्राप्त वैक्सीन का उपयोग समय से कराना तथा समय से मॉग प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा ।

तरल नत्रजन संयत्रों से तरल नत्रजन उत्पादन – तरल नत्रजन उत्पादन केन्द्र का मुख्य तकनीकी अधिकारी(एल0एन0) तरल नत्रजन के उत्पादन के लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति हेतु उत्तरदायी होंगे। संयत्र को कार्यशील रखना, संयत्र की क्षमता अनुसार नत्रजन का उत्पादन सुनिश्चित करना, आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना, संयत्र में दैनिक वित्तीय आवश्यकताओं हेतु धन की व्यवस्था हेतु प्रयास करना आदि होगा। मुख्य तकनीकी अधिकारी संयत्र के नियंत्रक अधिकारी(प्रायोजना अधिकारी) के मार्ग निर्देशन में कार्य करेगा। संयत्रों में उत्तरदायित्व प्रायोजन अधिकारी का होगा जो संयत्र का अनुश्रवण उत्पत्ति नत्रजन का वितरण कराना तथा आने वाली कठिनाईयों का निराकरण मण्डल/ प्रदेश स्तर पर समन्वय बनाये रखना एंव तरल नत्रजन हेतु आवश्यक निवेशों की व्यवस्था करना ।

अतिहिमिकृत वीर्य उत्पादन कार्यक्रम – तदैव

अम्बेडकर स्वरोजगार योजना– इस योजना के अन्तर्गत शतप्रतिशत प्राप्ति हेतु परियोजनाओं को तैयार कर स्वीकृत कराने का उत्तरदायित्व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा । अग्रणी बैंक से ऋण हेतु

सहमति/जिलाधिकारी का अनुमोदन/इकाईयों की स्थापना हेतु दिशा–निर्देश मण्डल एंव क्षेत्र विकास स्तर पर समन्वय बनाये रखेगें। इकाईयों में उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करने का भी उत्तरदायित्व होगा।

कुक्कुट विकास :–उत्तराचंल कुक्कुट विभाग बोर्ड समस्त प्रकार की प्रजातियों एंव अन्य पक्षियों आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य योजनायें,परियोजनायें आदि ।

v& dDdV if k{k.k %& जनपद के इच्छुक कुक्कुट पालकों तथा कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियों को कुक्कुट पालन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाने का दायित्व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का है। तथा न्याय पंचायत स्तर,विकास क्षेत्र स्तर एंव मण्डल के स्तर पर समन्वय बनायें रखना ।

ब–jktdh; dDdV i{k= ij pitk mRiknu ,o forj.k %& प्रक्षेत्रों पर स्वीकृत पक्षियों के अनुसार वर्ष भर पैरेन्ट की व्यवस्था बनाये रखना । लक्ष्य के अनुरूप अण्डा'/चूजा उत्पादन,उच्च कोटि की प्रबन्धकीय व्यवस्था द्वारा मृत्यु दर नियंत्रित रखते हुए प्रक्षेत्र को लाभकारी बनाने का दायित्व मुख्य तकनीकी अधिकारी (प्रक्षेत्र) प्रबन्धक(कु0)का होगा। जनपद में कार्यरत कुक्कुट प्रक्षेत्रों की मानीटरिंग तथा सामयिक निर्देशों की व्यवस्था/प्रक्षेत्रों पर आने वाली कठिनाईयों का निराकरण कराना। प्रक्षेत्रों के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था एंव विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रक्षेत्र के फार्म मैनेजर /मुख्य तकनीकी अधिकारी(कु0) /कु0 निरीक्षक का होगा साथ ही मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि वह अपने जनपदीय प्रक्षेत्र की मानीटरिंग एंव दिशा निर्देश करेगा जनपद में स्थापित कुक्कुट काम्पलैक्सों का कियान्वयन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा ।

15& jktdh; Ik k/ku i{k=k ij pkjk :–जनपद में कार्यरत पशुधन प्रक्षेत्रों पर चारा बीज के उत्पादन के शतप्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक चारा,बीज,पानी एवं श्रमिकों की व्यवस्था समय से सुनिश्चित करायेगा । बीज उत्पादन हेतु आवश्यक निवेशों की व्यवस्था सुपरविजन /आने वाली कठिनाईयों का निराकरण उप निदेशक (प्रक्षेत्र) से समन्वय बनाये रखेंगे

16& pkjk fodkl dk;de %&

v&pkjk fodkl dk;de dj l?kuhdj.k ,o l?ku fodkl ;ktuk ¼ftyk ;ktuk½ %&मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारियों को सामयिक निवेशों को उपलब्ध कराना,आवश्यक धन की व्यवस्था,कार्यों हेतु मार्ग दर्शन देना एंव निरीक्षण तथा अनुश्रवण पशु चिकित्साधिकारियों एंव मण्डल से समन्वय स्थापित करना, विकास हेतु नई योजनाएँ बनाना एंव उपलब्ध कराना।

c&vkf'Vd pkj ,o lY;uykftd oLVl dk mipkfjr dj ikf'Vd cukuk %&मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निवेशों को पशुचिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराना,तकनीकी मार्ग दर्शन देना,निरीक्षण एंव अनुश्रवण करना । मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एंव मण्डल में समन्वय स्थापित करना ।

l & ck;kekl mRiknu e of} gr flYoh&ik pj dh ;ktuk %& तदैव

n& pkjk fefufdV ,o in ku %& मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा मण्डल /उप निदेशक (सघन पशु विकास योजना) हल्द्वानी से मिनिकिट प्राप्त कर पशु चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराना। प्रदर्शनी का निरीक्षण/अनुश्रवण ।

i'kqikyu foHkkx] tuin fiFkkSjkx<+ }kjk fd;s tkus okys dk;ZdykiksA dk fooj.k fuEu izdkj gS&

1. पशु चिकित्सा एंव रोग नियंत्रण कार्यक्रम
2. पशु विकास कार्यक्रम
3. कुक्कुट विकास कार्यक्रम
4. भेड एंव ऊन विकास कार्यक्रम
5. अंगोरा शशक पालन
6. चारा विकास कार्यक्रम

पशु चिकित्सा एंव रोग नियंत्रण कार्यक्रम :– पशुओं के उत्पादन क्षमता का समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा एंव रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद के अर्न्तगत 27 पशु चिकित्सालय, तथा 55 पशु सेवा केन्द्र कार्यरत हैं। विभाग द्वारा समय–समय पर पशुओं की महामारी की रोकथाम एंव सुरक्षा के उपाय हेतु टीकाकरण जैसे गलाघोंटू, लंगडिया, पी0पी0आर0खुरपका मुंहपका, बी0क्यू0, एफ0पी0, आदि किया जाता है ।

पशु विकास कार्यक्रम :– पशु विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जिले में गायों एंव भैसों की नस्ल सुधार कर उनकी उत्पादकता एंव उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है। जिसके उद्देश्य पशु प्रजनन कार्यक्रम के प्रयोजन हेतु जनपद के दूरस्थ एंव दुर्गम क्षेत्रों में जहॉ–जहॉ प्रजनन सम्बन्धी समस्यायें जटिल हैं उन ग्रामों में गाय एंव भैंसा सांडो का निशुल्क वितरण किया जा रहा है, तथा जनपद के सुगम स्थानों पर जहां पर यातायात के साधन सुलभ है वहा पर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना कर पशुपालकों के द्वार तक कृत्रिम गर्भाधान सुविधायें प्रदान की जाती हैं ।

कुक्कुट विकास :– अण्डा व कुक्कुट मॉस की बढती हुई मॉग को पूरा करने हेतु जनपद पर 1 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र विण में स्थित है, जिसके माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु कुक्कुट चूजे सस्ते मूल्य पर वितरित किये जाते हैं, तथा कुक्कुट विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत कुक्कुट पालन व्यवसाय अपनाने हेतु सघन कुक्कुट विकास योजना के अर्न्तगत जनपद में विण, गंगोलीहाट,विकास खण्डों के माध्यम से कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षित किया जाता है एंव कुक्कुटों में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है ।

भेड़ एंव ऊन विकास :– उत्तरांचल राज्य में उपलब्ध स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार तथा ऊन उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से विकास खण्ड धारचूला /मुनस्यारी में 18 भेड एंव ऊन विकास केन्द्र स्थापित हैं, जिनके माध्यम से भेड पालकों की भेड़ों को प्रजनन सुविधायें आदि उपलब्ध करायी जाती हैं। तथा भेड़ों में कृमि नाशक दवापान /स्नान कराया जाता है ।

अंगोरा शशक पालन :– पर्वतीय क्षेत्र के 4500 से 5500 फीट की ऊॅचाई वाले स्थानों में अंगोरा शशक कार्यक्रम को बढावा देने हेतु जनपद के विकास खण्ड डीडीहाट में एक शशक पालन केन्द्र हेतु भवन निर्मित है जिसमें भेड़ विकास वोर्ड द्वारा शशक पालन करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है जहां पर शावक उत्पन्न कर इच्छुक उघमियों को उपलब्ध कराये जायेंगें ।

चारा विकास कार्यक्रम :– पर्वतीय क्षेत्र में कृषि योग्य सिंचित भूमि पर पशुओं के पोषण हेतु पौष्टिक आहार उत्पादन के लिए उन्नत चारा बीजों को कृषकों में वितरित किया जाता है ।

i'kikyu foHkkx }kjk i'kikydk dk inr lsokvk dk fooj.k fuEu ildkj g &

सेवा का नाम	सेवा का विवरण	सेवा हेतु किससे सम्पर्क करना है	सर्विस चार्ज यदि कोई हो
प्राथमिक पशु चिकित्सा / पशु चिकित्सा / आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवा	ग्राम सभा / न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एंव तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालयों के माध्यम से	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	प0से0के0 / प0चि0पर बडे पशुओं प्रति 10.00 रू0 छोटे पशु प्रति 5.00 रू0 प्रति कुक्कुट निःशुल्क
बधियाकरण	ग्राम सभा / न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एंव तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालयों के माध्यम से अनुपयोगी पशुओं को बधियाकरण किया जाना	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	बडे पशु (संस्था पर) 15.25 रू0 पशुपालकों के द्वार पर 25.00 रू0 छोटे पशु (संस्था पर) 10.00रू0 पशुपालकों के द्वारा पर 15.00 रू0 प्रति
टीकाकरण	ग्राम सभा / न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एंव तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालयों एंव शिविर स्थल पर टीकाकरण किया जाता है	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	एच0एस0 / बी0क्यू0 रू0 2. 30एफ0एम0डी0मूल्य 8.00 शीप पाक्स रू0 4.00 इन्टर टॉक्सीनिया रू0 5.00 स्वाइन फीवर रू0 8.00 फाउन पॉक्स रू0 1.00 रू0 प्रति डोज पी0आर0मूल्यों पर 2.00
कृत्रिम गर्भाधान	ग्राम सभा / न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र विकास खण्ड स्तर पर पशु चिकित्सालयों प्रशिक्षित पैराबेट एवं शिविर आयोजन स्थल पर कृत्रिम गर्भाधान सेवा	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0 / पैराबेटस	50.00 रू0 प्रति स्ट्रा प्रति कृत्रिम गर्भाधान
जॉच सेवायें	रक्त, मल, मूत्र जॉच	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	रक्त 10100 रू0 मल 6.00 रू0 मूत्र 5600 रू0
स्वास्थ्य परीक्षण	बडे तथा छोटे पशुओं को स्वास्थ्य परीक्षण पशु बीमा तथा योजनार्न्तगत प्रमाण पत्र जारी	प0चि0अ0	बडे पशु 55.00 रू0 छोटे पशु 22.00 रू0

	करना		
शव विच्छेदन	बीमित पशुओं तथा पशुपालकों की मॉग पर पशुओं का शव विच्छेदन प्रमाण पत्र जारी करना	प0चि0अ0	बडे पशु 110.00 रू0 छोटे पशु 22.00 रू0
चारा बीज वितरण	मौसमी चारा बीज बीजों का वितरण	प0चि0अ0	निःशुल्क
कृमि नाशक दवापान एंव दवास्नान	भेडों में आन्तरिक एंव वाह्य पारजीवियों से बचाव हेतु दवापान एंव दवास्नान	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	शुल्क निर्धारण की प्रकिया गतिमान है
बडे पशुओं में दवापान	आन्तरिक पारजीवी से बचाव हेतु बडे पशुओं में दवापान	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	शुल्क निर्धारण की प्रकिया गतिमान है

दुग्ध समितियों के मार्गो पर पशुपालन सम्बन्धी सुविधायें	दुग्ध समिति के सदस्यों को प्राथमिक उपचार किट तथा द्वार पर पशुपालन सुविधा उपलब्ध कराना	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	प्राथमिक किट निःशुल्क अन्य सुविधा विभागीय नियमानुसार

अनुसुचित जाति / जनजाति योजनान्र्तगत दुधारू पशुओं तथा बैक्यार्ड कुक्कुट पालन योजना	अनुसुचित जाति / जनजाति के लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु दुधारू पशु तथा कायलर कुक्कुट पक्षी उपलब्ध कराना	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	योजना के प्राविधानों अनुसार
बॉझपन निवारण शिविर / गोष्ठि	सुदूरवर्ति क्षेत्रों में पशुपालन सम्बन्धी सुविधाएं तथा प्रचार प्रसार करना	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	विभागीय नियमानुसार
पशु प्रदर्शनी	पशुपालन के प्रति जागरूकता एंव प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने हेतु पशु प्रर्दशनी का आयोजना	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	निःशुल्क

mRrjk[k.M dfVy ,o cQyk ikstDV dk vuqlkj ;0,y0Mh0ch0 dk dk;Z foUnq

भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तरॉखण्ड में पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम को संपादित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक ऐसी स्वायतशासी संस्था की स्थापना की निम्नलिखित कार्यविन्दुओं के अनुसार परियोजना के समस्त प्रशासनिक,वित्तीय तथा व्यवहारिक कार्यो का सम्पादन करना थाः–

1–कृत्रिम गर्भाधान तथा भ्रूणप्रत्यारोपण कार्यक्रमों का सुद्ढ़ीकरण,पुनगर्ठन एवं विस्तार तथा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में नैसर्गिक गर्भाधान कार्यक्रम हेतु सांड़ों की व्यवस्था करना ।

2– तरल नत्रजन गैस की व्यवस्था हेतु विभागीय श्रोतो कि अलावा औद्योगिक गैस उत्पादको से बल्क में तरल नत्रजन गैस की व्यवस्था और उसके भण्डार तथा परिवहन की व्यवस्था करना ।

3–उच्चतर दुग्ध उत्पादन क्षमता के अनुवांशिक शुद्वता (true to Breed) के साडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फील्ड रिकार्डिग प्रोजेनी टैस्टिग तथा ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिग पद्वती को प्रारम्भ कर उसे प्रचलित करना ।

4–प्राईवेट मोवाईल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (सचल केन्द) के कार्यकर्ताओं के चयन व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

5– राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को मोबाईल (सचल) बनाना,छोटे तरल नत्रजन पात्रों (कन्टेनेरों) तथा उच्च गाुणवत्ता के बीर्य स्ट्रा की व्यवस्था करना और पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान करके उसकी उपयोगीता व समयानुकूल बनाया जा कें ।

6–बीर्य विघायन प्रयोगशाला तथा भण्डारण में वीर्य स्ट्रा के उच्चतर मापदण्ड (उच्च क्वालिटी कन्ट्रोल) निर्धारित कर उसकी व्यव्स्था करना तथा साड़ों की अनुसंशता पर नियंत्रण रखना । इस कार्यक्रम के लिए कमप्यूटर नैटवर्क की स्थापना करना ।

7–जिन क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान कार्य का आच्छादन प्राकृतिक तथा भौगोलिक कारणों से नही हो सकता,उनमें नैसर्गिक गर्भाधान केलिए चयनित स्थानों पर साड़ों की व्यवस्था करना ।

8–संस्थागत ढाचे के पुर्ननिमार्ण काग्रक्रम के अर्न्तगत शुद्व प्रोफेश्नल स्पेशलाइजेशन (विषय विशेषज्ञता) को प्रोत्साहन देना । स्वायत्ताशाली विशेषज्ञ संस्थानों/संस्थाओं को सीर्य स्ट्रा तथा रतल नत्रजन उत्पादन में भागीदारी बनाना । पशु प्रजनन प्रकिया में जी0बी0पंन्त कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय,पंन्तनगर (उद्यमसिहनगर) के सहयोग से वीर्य की गुणवत्ता तथा उत्पादकता का अध्ययन करना और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थानीय नश्लों के विकास के लिए योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करना ।

9–उपरोक्त कार्यक्रम के प्री–प्रोजेक्ट सर्वे,प्रोजेक्ट बनााने तथा वीर्य विधायन प्रयोगशालाओं पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों व फील्ड परफारमैन्स रिकार्डिग यूनिटों का कम्प्यूटरीकरण करना ।

10–परियोजना के अर्न्तगत वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृढीकरण करना ।

11–स्टेट इम्पलीमेन्टिग ऐजंसी (यू0एल0डी0बी0) को व्यवसायिक दृष्टि से सक्षम (ViaBle) बनाना जो अपनी आय (Operating income)से अवस्थापना पर होने वाले व्यय को निकाल सकें । प्रारम्भ में कुछ वर्षो तक इस व्यय को ऐजंसी अपनी मैनेजीरियल ग्रान्ट (प्रबंधकीय अनुदान) से वहन करेगी एवं उत्तरॉचल राज्य की पशु प्रजनन नीति तथा राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करेंगी ।

5-1 उत्तरॉचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना तथा बजट व्यवस्थाः–

कार्यक्रम के संचायलन हेतु शासनादेश संख्या 193/गप/प0पा0/यू0एल0डी0बी0/2002 दिनांक 9 जुलाई 2002 द्वारा उत्तरॉचल लाइवस्टाक डेवपलेवमेंन्ट बोर्ड का गठन शासन द्वारा किया गया बोर्ड का मुख्यालय 233/1 बसन्त विहार देहरादून में स्थापित किया गया बोर्ड के कार्यो का संचालन वस्तुतः जुलाई 2002 से प्रारम्भ हुआ ।

5.2 भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार नैशनल प्रोजेक्ट फार कैटिल एण्ड बफैलो ब्रीडिग को उत्तरॉचल में कार्यान्वित करले के लिए उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना को भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत Grant in aid वित्तीय सहायता के रूप में स्वीकृत की गई । इसमें से प्रथम किश्त के रूप में 248ण्00 लाख रूपयें की धनराशि अवमुक्त की गई जिसका विवरण निम्नवत है ।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
1	2	3
1	स्टेट इम्पलीमेन्टिग ऐजेन्सी मैनेजीरियल ग्रान्ट यू0एल0डी0बी0	20.00
2	कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में रिफ्रेशर प्रशिक्षण	12.66
3	स्पर्म स्टेशन/सीमन बैक का सुदृढकरण	114.00
4	राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सचल केन्द्रो में परिवर्तीत करना	42.34
5	तरल नत्रजन स्टोरेज एवं डिलीवरी सिस्टम का विकास	29.00
6	नैसर्गिक अभिजनन हेतुं साडों का क्रय एवं वितरण	20.00
7	मानव शक्ति विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण	10.00
	योग	248.00

अपर निदेशक पशुपालन विभाग, गोपेश्वर चमोली के पत्रसंख्या 307/स्था0–1/ स्थाना0नीति/04 दिनांक 3 जून 2005 की प्रति जो समस्त उप निदेशक/श्रेणी 1 के अधिकारी उत्तराखण्ड के अतिरिक्त समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को प्रेषित है :–

विषयः– सरकारी अधिकारी कर्मचारियो के लिए वर्ष 05–06 की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्रसंख्या 292 /पशुपालन–डेरी/05–06 दिंनाक 28 मई 2005 द्वारा जारी पशुपालन विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियो के वार्षिक स्थानान्तरण नीति की छाया प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप स्थानान्तरण नीति का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें ।

प्रायः यह देखा गया है कि अधिनस्थ अधिकारियो द्वारा स्थानान्तरण नीति को ध्यान में रखते हुये नियम विरूद्व स्वैच्छा से कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जाते है । जिसको ध्यान मे न रखते हुये अधिनस्थ अधिकारियो को स्थानान्तरण नीति के साथ–साथ निम्न निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतुं निदेश दिये जाते है ।

1– स्थानान्तरण नीति के अर्न्तगत निर्धारित संख्या से अधिक कार्मिको के स्थानान्तरण किसी भी दशा में न किये जाय ।

2–जनपद के अर्न्तगत स्थानान्तरण नीति के अनुसार समूह ग के जिन कार्मिको को स्थानान्तरण किया जाना हो उन्हें जनपद स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त उन पर मण्डलीय उप निदेशक के माध्यम से विभाघ्यक्ष का अनुमोदन तथा समूह घ के कार्मिको के लिए मण्डलीय उप निदेशक/प्रोयाजना का अनमुोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा । स्थानान्तरण आदेश जनपद के ही मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किये जायेगें ।

3–मण्डल के अर्न्तगत स्थानान्तरण नीति के अनुसार समूह ग एवं घ के जिन कार्मिको का स्थानान्तरण किया जाना है उन्हें मण्डल स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त उन पर मण्डलीय उप निदेशक द्वारा विभाग द्वारा जारी किये जायेगें ।4–मण्डल से बाहर स्थानान्तरण नीति के अनुसार समूह ग समूह घ, के जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण किया जाना हो उन्हें विभागाघ्यक्ष पर गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने के उपरान्त स्थानान्तरण आदेश विभागाध्यक्ष/अपर निदेशक द्वारा निर्गत किये जायेगें ।

भवदीय

(दमयन्ती दोहरे)
अपर निदेशक,

¼eSuqvy &4½

d`R;ksa ds fuoZgu ds fy, LFkkfir ekud@fu;e

The norms set by its for discharged its fumctions

euvy&4

fo'k; lph

d0 l0	fooj.k	i`t uEcj
1	2	3
1	tuin fiFkkjkx< dk fodkl dk;k dh Hkkfrd ixfr 05&06	**37 l 38**
2	vk;k tuRrj ;k tukvk dk vkoVu@0;; ,oxkeh.k LFkkuh; ifrfu;fDr vkoVu ,o 0;; @jkT; i k/ku ,o df'k lc/kh i{k= dk vkoVu@0;;	**39 l 41**
3	vk;k tukxr ;k tukvk d vUrxr ftyk lDVj ;k tuk dk vkoVu@0;;	**42 l 46**
4	;0,y0Mh0ch0 d fd;kdykik @dk;deks d ekud rFkk fu;e A	**47**
5	;0,l0MCy0Mh0ch0 d fd;kdykik @dk;deks d ekud rFkk fu;e A	**48 l 49**
6	fj;k;rks d vuKk i=k rFkk ijkf/kdkjk d iklr drkvk d lc/k e fooj.k	**50**

foHkkxh; fodkl dk;ksa dh Hkkfrd ixfr ekg ekpZ
2014

d0l0	bdkbZ	en	okf'kZd y{; 2013&14	ekfld	dqfed
1	2	3	**4**	**5**	**6**
1	l[;k	i kq fpfdRlk	335000	54190	337691
2		cf/k;kdj.k	15700	3421	15890
3		Vhdkdj.k			
		1& ,p0,l0	230000	–	3091
		2& ch0 D;w0		135	20340
		3& ,Q0,e0Mh0		3368	221252
		4& ih0ih0vkj0		3800	95814
		5& lhi ikDl		–	–
		6& bUVsjkbfDlfe;k		–	–
		7& ,Q0ih0		–	–
		8& vkj0Mh0		–	–
		9&vkj0ih0		–	–
		10&,UVh jscht		10	1283
		vU;		–	5823
		;ksx&	23000	7313	347603
4		ikd`frd xHkk/kku&xk;	1200	1074	1319
		HkSl	2200	684	2459
5		iz0x0lslmRiUu lrfr xk;	550	456	568
		HkSl	1100	350	1122
6		d`0xHkk/kku xk;&	16500	1275	12226
		HkSl	3700	113	1119
7		d`0x0 ls mRiUu lrfr&xk;	7100	753	6303
		HkSl	1000	36	432
8		ijkoV& xk;		–	–
		HkSl&		–	–
9		ijkoV ls mRiUu lrfr&xk;		–	–

		Hkl&		–	–
10	l[;k	dDdV forj.k	200000	39861	209417
11	]]	nokiku&cM i'kvk e	13500	2775	14125
12		lkefgd nokiku&NkV i'kvk e	79500	9772	111750
13	]]	HkMk e nokLuku	79500	22101	83954
14	d0e	pkjk cht forj.k	–	–	92.29
15	l[;k	pkjk feuhfdV forj.k	–	–	209
16	]]	o{kkjki.k	–	125	2075
17	:0e	vYiopr	6000000-00	1642600.00	6944495.00

(डा0 जी0 एस0 धामी)
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पिथौरागढ़ ।

i'kikyu foHkkx tuin fiFkkjkx< dh Li kyy dEikuUV lyku dh Hkkfrd ixfr] o"k 2013&2014

en	pky foRrh;2013&14 o'k dh ixfr		o'k e ykHkkfUor ifjokj
	y{;	dfed ifr 3@2014	
1	5	7	9
पशु चिकित्सा	65000	108614	
बधियाकरण	3100	4338	
टीकाकारण –:	44000		
1– एच0एस0		775	
2–बी0 क्यू0		1906	
3 रैबीज		&	
4–एफ0एम0डी0		46316	
5–एफ0पी0		&	
6–आर0डी0		&	
7–पी0पी0आर0		43172	
8–अन्य		69	
योग–	44000	92238	
कृ0गर्भाधान–			
विभागीय गाय–	3135	2144	
भैंस	700	183	
योग–	3835	2327	
बैफ द्वारा गाय–		0	
भैस–		0	
महायोग– गाय	3135	2144	
भैस	700	183	
योग	3835	2327	
कृ0ग0से उत्पन्न संतति–			
विभागीय गाय–	1350	1182	
भैंस–	190	100	
योग–	1540	1282	
बैफ द्वारा उ0सं0 गाय–		&	

भैस–		&	
महायोग–वि0 / बैफ गाय		1182	
भैंस		100	
महायोग(गाय–भैस)		1282	
गाय–		1182	
भैंस		100	
योग–		1282	
प्रा0ग0से उ0सं0गाय–		44	
भैंस		376	
योग		420	
कुक्कुट वितरण	40000	88741	
सामूहिक दवापान	15000	21494	
दवास्नान	14500	17053	
चारा बीज वितरण		26-2295	
मिनीकिट्स वितरण		46	
अनुसूचित जाति हेतु स्वरोजगार परक योजना		&	
1–बछिया पालन		0	
2–वैकयार्ड कायलर कुक्कुट पालन		0	
कुल लाभान्वित पशुपालक	–	0	

tuin fiFkkjkx< e dk;jr HkM ,o Åu ilkj dUnk dh okf"kd ixfr o"k 2013&2014

क0 सं0	मद विवरण	जनपद पिथौरागढ़	
		लक्ष्य	पूर्ति
1	कुल मेढ़ा केन्द्रों की संख्या	18	18
2	प्रारम्भ में मेढों की संख्या	50	50
3	प्राप्त मेढों की संख्या	–	–
4	मृत मेढों की संख्या	12	12
5	नीलाम मेढों की संख्या	8	8
6	वितरित मेढ़ो की संख्या	11	11
7	अन्त में शेष पशुधन सं0	50	50
8	गर्भित भेडों की संख्या	13000	2157
9	उत्पन्न संतति संख्या	8000	3518
10	सामूहिक रूप से दवापान	13200	11892
11	सामूहिक रूप से दवास्नान	7000	8826
12	चिकित्सा संख्या	4000	8554
13	टीकाकरण संख्या	8000	27500
14	बधियाकरण संख्या	432	107

(डा0 जी0 एस0 धामी)
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पिथौरागढ़ ।

enuke@dk Mkd	vkoVu 2013&14	dfed 0;;
1	2	5
2403&i'kikyu vk;ktuRrj		
01—वेतन	10843954.00	10843954.00
03—महंगाई भत्ता	9014119-00	9014119-00
04—यात्रा भत्ता	100000.00	100000.00
05—स्था0या0भत्ता	79323	79323
06—अन्य भत्ता	962892	962892
;kx&vf/k"Bku	**21000288**	**21000288**
02—मजदूरी	30000.00	30000.00
08—कार्यालय व्यय	200000.00	200000.00
09—विद्युत	50000.00	50000.00
10—जलकर	45000.00	45000.00
11—लेखन सामग्री	15000.00	15000.00
12—कार्यालय फर्नीचर	60000.00	60000.00
13—टेलीफोन	45000.00	45000.00
15—मोटर गाड़ी	60000.00	60000.00
16—व्याव0वि0से0	77000.00	77000.00
17—किराया	32000.00	32000.00
18—प्रकाशन	20000.00	20000.00
19—विज्ञापन व्यय	20000.00	20000.00

21–छात्रवृत्ति	30000.00	30000.00
26–म0सा0स0	80000.00	80000.00
27–चिकि0प्रतिपूर्ति	150000.00	150000.00
29–अनुरक्षण	100000.00	100000.00
31–सामग्री सम्पूर्ति	1400000.00	1400000.00
39–औषधि रसायन	800000.00	800000.00
42–अन्य व्यय	150000.00	150000.00
44–प्रशिक्षण व्यय	60000.00	60000.00
46–कम्प्यूटर क्रय	0	0
47–कम्प्यूटर स्टेशनरी	20000.00	20000.00
;kx%&vkdfLed 0;;	**3448500.00**	**3448500.00**
egk;kx%&	**24448788.00**	**24448788.00**

lkf[;dh; idk'B dh LFkkiuk ¼50 ifr kr dUn ikf'kr ½ ¼o'k 2013&14 ½

वर्ष 2013–14	वर्ष 2013–14 आवंटन	dfed C;;
01–वेतन	242850.00	242850.00
03–महंगाई भत्ता	210000.00	210000.00
04–यात्रा भत्ता	25000.00	25000.00
05– स्था0या0भत्ता	0	0
06–अन्य भत्ता	30000.00	30000.00
;kx%&vf/k"Bku%&	**507850.00**	**507850.00**
08–कार्यालय व्यय	0	0
11–लेखन सामग्री	0	0
15–मोटर गाड़ी	0	0
26–म0सा0स0	0	0
;kx%&vkdfLed%&	**0**	**0**
egk;kx%&	**507850.00**	**507850.00**

¼Mk0 th0 ,l0 /kkeh½
e[; i k fpfdRlkf/kdkjh]

mRrjk[k.M ykboLVkd MoyieUV ckM d fd;kdykik@dk;dek d lEiknu grq i;kx fd;s tku okys ekud @dk;k dk fooj.k&

1–राज्य के पशु प्रजनननीति के अन्तर्गत समस्त प्रजनन योग्य गाय एवं भैसों को कृत्रिम गर्भाधान एवं नैसर्गिक अभिजनन द्वारा अगले 10 वर्षो में पूर्ण रूप से आच्छादित कर ले ।

2–उत्तराखण्ड में समस्त गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में नश्ल सुधार कर आनुवांशिक सुधार लाना ।

———————————————————————————————

नैसर्गिक अभिजनन हेतु साड वितरण के मापदण्डः–

गाय साडों हेतु मानक

नश्ल –जर्सी,जर्सी क्रास,एच0एफ0क्रास,रेड सिन्धी

स्वास्थ्य– उत्तम

नर जननेद्रिय–विकसित

भैस साड हेतु मानक

नश्ल –मुर्रा

स्वास्थ्य– उत्तम

नर जननेद्रिय–विकसित

तरल नत्रजन एवं अतिहिमीकृत वीर्य के वितरण का मापदण्डः–

प्रत्येक माह में निश्चित अंतराल पर निरंतर ए0आई0 केन्द्रों पर यू0एल0डी0बी0 के वितरणकर्ता द्वारा मांग के अनुसार चालान द्वारा संबंधित केन्द्र प्रभारी को अतिहिमीकृत बीर्य तरल नत्रजन शीथ व स्टेशनरी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित जिसका विवरण यू0एल0डी0बी0 द्वारा प्रदत्त पंजिकाओं में अंकित करना अनिवार्य ।

प्रत्येक माह में अधिकतम 35 ली0 तक तरल नत्रजन की आपूर्ति एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र हेतु निश्चित ।

अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा की आपूर्ति न्यूनतम 80 की पैकिंग में ।

कृत्रिम गर्भाधान हेतु मापदण्डः–

पशु के गर्मी में आने की सूचनाओं प्राप्त होने पर पशुपालक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान कार्य होगा पशु को केन्द्र पर लाने की बाध्यता नही ।

प्रत्येक राजकीय कृत्रिम गर्भाधान पर सेवा शुल्क रू0 50 मात्र लकर पशुपालक को रसीद देवा अनिवार्य होगा।

प्रत्येक कृत्रिम गर्भाधान हेतु एक ही स्ट्रा का प्रयोग निर्धारित प्रत्येक अतिरिक्त स्ट्रा के उपयोग पर रू0 50 मात्र का शुल्क जमा करना अनिवार्य । प्राप्त शुल्क को उसी दिन विभागीय कैश बुंक में अंकित करना अनिवार्य ।
निर्धारित किये गये लक्ष्यों के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जाना अपरिहार्य ।
अधिकतम क्षतिग्रस्त स्ट्रा की सीमा वर्ष में कुल आपूर्ति का 3 प्रतिशत तक ही मान्य । अधिक क्षतिग्रस्त की स्थिति में प्रति स्ट्रा रू0 50 मात्र का भुगतान अनिवार्य ।
15– कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम–
परियोजना को कार्यान्वित करने समय–समय पर विभागीय मानको के अनुरूप समीक्षा करते हुये आवश्यक निर्देश जारी किये जाते है । विभागीय मानक निम्न प्रकार हैः–
1–प्रति मेढा गर्भाधान– 50 भेड
2–उत्पन्न संतति– 60 प्रतिशत
3–मृत्युदर– –10 प्रतिशत वयस्क,वत्सों में 12 प्रतिशत
4–ऊन उत्पादन– प्रतिवर्ष प्रति भेड़ डेढ किग्रा से 2.00 किग्रा0
लक्ष्यानुसार प्रगति समीक्षा की जाती है । राज्य में स्वीकृत राजकीय मेढ़ा/भेड एवं ऊन प्रसार केन्द्रों का वार्षिक प्रगति के आधार पर श्रेणीकरण किया जाता है ।

lxBu dh fof'kf'V;k dR; vkj dRk0; lxBu dh fof'kf'V;k dR; vkj dRk0; %&
2-1 lxBu d mnn ; &
उत्तराखण्ड भेड एंव ऊन विकास बोर्ड के उद्देश्य निम्नवत हैं :–
उत्तराखण्ड में भेडों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग देना ।
उत्तराखण्ड में भेड़ों की बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम ।
उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढावा देना ।
उत्तराखण्ड के भेड पालकों द्वारा के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना ।
उत्तराखण्ड के भेड पालकों द्वारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करना।
उत्तराखण्ड के भेड पालकों को भेड पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना ।,
उत्तराखण्ड के भेड पालकों के स्वंय सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग देना ।
उत्तराखण्ड में भेड़ों की संख्या में आ रही कमी को रोकने हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से लाभकारी योजनाएं तैयार करना ।
उत्तराखण्ड में हथकरघा तथा विभिन्न प्रकार के उद्योगों को तलाशने/स्थापना के प्रति तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहयोग देना ।

- भेड/बकरी पालकों एंव इस कार्य में लगे पशुपालन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण के माध्यम से भेड पालन कार्यक्रम, कच्ची ऊन से ऊनी वस्त्रों के निर्माण की नई तकनीकी जानकारियों को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना ।
- भेड/बकरी पालन कार्यक्रम में लगे पशुपालन विभाग, अन्य विभागों को तालमेल के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को एकरूपता की दृष्टि से चलाये जाने में सहायता प्रदान करना।

2.2 संगठन का मिशन :–
उत्तराखण्ड राज्य में भेड बकरी एंव शशक पालन को सघन रूप से विकसीत करके राज्य के ग्राम्य वासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अवसर प्रदान करना है।
2.3 संगठन के कर्त्तव्य :–
उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड का मिशन निम्नवत है ।

- भेड़ों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिये स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम ।

- भेड़ों की बीमारी की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम ।
- भेड पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम ।
- भेड पालकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना ।
- भेड पालकों द्वारा उत्पादित ऊन का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करना ।
- भेड पालकों को भेड पालन कार्यक्रम में नई तकनीकी जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- भेड पालकों को भेड व्यवसाय के प्रति जागरूक करना ।
- भेड पालकों के स्वंय सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग देना ।
- हथकरघा तथा विभिन्न प्रकार के उद्योंगों को तलाशने/स्थापना के प्रति तकनिकी सहायता प्रदान करने में सहयोग देना ।,
- भेड/बकरी कार्यक्रम में लगे पशुपालन विभाग, अन्य विभागों को तालमेल के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को एक रूपता की दृष्टि से चलाये जाने में सहयोग प्रदान करना ।

2.4 संगठन के मुख्य कृत्य :–

1. चिकित्सा एंव स्वास्थ्य कार्यक्रम ।
2. नस्ल सुधार कार्यक्रम ।
3. उत्पादकता विकास कार्यक्रम ।
   3.1 भेडों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाया जाना ।
   3.2 ऊन की ग्रेडिंग ।
   3.3 मशीन द्वारा ऊन कतरन ।
4. उत्पादित होने वाले ऊन के विपणन में सहायता ।
5. प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
6. बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना ।

fj;k;rk]vuKki=k rFkk ikf/kdkjk ds ikLrdrkvk ds lc/k e foojk.k

विभाग द्वारा कूमांयू मण्डल के अर्न्तगत मण्डलीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई है जिसमें विभागीय नीतियों के अनुसार शुल्क प्राप्त किया जाता है । जिसका मुख्यालय नैनीताल में है जिसमें निम्न मुख्य कार्य सम्पन्न किये जाते है :–

1– क्षेत्र में फैलने वाली विभिन्न बीमारियों के रोकथाम हेतु चिकित्सा कार्य टीकाकरण आदि प्रमुख है ।

2–लैव के अर्न्तगत दुग्ध परीक्षण,रक्त परीक्षण,त्वचा ,मल मूत्र परीक्षण तथा शव विच्छेदन के कार्य सम्पन्न किये जाते है ।

3–जनपद को आवश्यकता पड़ने पर मण्डलीय प्रयोगशाला से दिशा निर्देश प्राप्त किये जाते है तथा जनपद से विभिन्न बीमारियों के नमूने लेकर प्रयोगशाला को भेजा जाता है जिसे पशुपालक लाभान्वित हो रहे है ।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,

पिथौरागढ़ ।

¼eSuqvy &5
fu;a=.kk/khu /kkfjr ;k
viu s deZpkfj;ksa }kjk
viu s d`R;ksa ds fuoZgu ds
fy, iz;ksx fd, x;s

fu;e] fofu;e] vuqns'k] funsZf'kdk vkSj vfHkys[k

46

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005

yksd izkf/kdkjh bdkbZ;ksa esa yksd lwpuk vf/kdkfj;ksa]lgk;d yksd lwpuk vf/kdkfj;ksa ,oa foHkkxh; vf/kdkfj;ksa dk fooj.k&

क0सं0	लोक प्राधिकारी इकाईयों	सक्षम अधिकारी	अपीली अधिकारी
1	2	3	4
1	पशु सेवा केन्द्र/ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत स्तर	पशुधन प्रसार	पशु चिकित्सा अधिकारी (संबंधित)
2	पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्साधिकारी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
3	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	मण्डलीय उप निदेशक
4	उप निदेशक कार्यालय	उप निदेशक	अपर निदेशक पशुपालन विभाग
5	कार्यालय केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पशुलाक ऋषिकेश	उप निदेशक	अपर निदेशक पशुपालन विभाग
6	विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैड चमोली	प्रभारी	अपर निदेशक पशुपालन विभाग
7	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मक्कू	परियोजना निदेशक	अपर निदेशक पशुपालन विभाग

8	राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र पशुलोक	मुख्य तकनीकी अधिकारी	उप निदेशक पशुलोक
9	राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र विण एवं हवालवाग	क्षेत्र प्रबन्धक	संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
10	भेड प्रजनन प्रक्षेत्र,अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र/अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र	क्षेत्र प्रबन्धक	संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी मुख्य अधिशासी अधिकारी उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड देहरादून
11	अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र चम्पावत	प्रायोजना अधिकारी	अपर निदेशक पशुपालन विभाग
12	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग	अपर निदेशक	सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन देहरादून
13	कार्यालय यू0एल0डी0बी0 देहरादून	अपर प्रबन्धक (ब्रीडिग)	मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एल0डी0बी0 देहरादून
14	कार्या0मु0प0चि0अ0पिथौरागढ़	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्या0मु0प0चि0अ0पिथौरागढ़
15	अपीलीय अधिकारी/मु0प0चि0अ0	अपीलीय अधिकारी	कार्या0मु0प0चि0अ0पिथौरागढ़

tuin fiFkkjkx< d i kikyu l lcf/kr ykd lpuk vf/kfu;e 2005 d lc/k e lpuk d 0;kj ftul lpuk ikIr dh tk ldrh g %&

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	संस्था का नाम	दूरभाष नम्बर	विवरण
1	विकास खण्ड विण	मु0प0चि0अ0 पिथौरागढ	225319	जिला लोक सूचना अधिकारी
2		प0चि0अ0 पिथौरागढ	225159	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
3		कुक्कुट पक्षेत्र विण	225279	–
4	विकास खण्ड मूनाकोट	प0चि0मूनाकोट	266422	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
5		प0चि0झूलाघाट	259349	–
6	विकास खण्ड डीडीहाट	प0चि0डीडीहाट	232126	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
7	विकास खण्ड धारचूला	प0चि0 धारचूला	222248	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
8	विकास खण्ड मुनस्यारी	प0चि0 मुनस्यारी	222211	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
9	विकास खण्ड गंगोलीहाट	प0चि0 गंगोलीहाट	242431	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
10	विकास खण्ड बेरीनाग	प0चि0 बेरीनाग	240133	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
11	विकास खण्ड मुनस्यारी	प0चि0 तेजम	274773	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
12	विकास खण्ड कनालीछीना	प0चि0कनालीछीना	259050	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर

e[; i k fpfdRlkf/kdkjh]
fiFkkjkx< A

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005

Hkkx&3

eSuqvy&6] 7 rFkk 8

¼eSuqvy &6½

nLrkost tks yksd izkf/kdkjh }kjk /kkfjr ;k mlds fu;a=k.kk/khu gS] izoxksZ ds vuqlkj fooj.k

Statement of the categories of document that are held by it or under its control

Hkkx&3

gLr iqfLrdk dh lkexzh

dz0 l0	fooj.k	i`"B uEcj
1	eksM~;wy 6&nLrkost tks yksd ikf/kdkjh }kjk /kkfjr ;k mlds fu;=.kkf/ku gS iloxksa ds vuqlkj fooj.k	1 ls 7
2	eksM~;wy&7&uhfr cukus ;k mlds dk;kZUo;u ds lEcU/k esa turk ds lnL;ksa ls ijke'kZ ds fy, ;k mlds ifrfuf/kRo ds fy, fo|eku O;oLFkk	8 ls 16 rd
3	eksM~;wy&8&cksMksZ ifj"knksa lfefr;ksa ,oa vU; fudk;ksa dk fooj.k	17 ls 25 rd

eksMwy&6

fo"k; lwph

d0 l0	nLrkost	i`"B la[;k
1	eq[; i'kq fpfdRlkf/kdkjh dk;kZy; Lrj dk nLrkost	1 ls 2 rd
2	i'kq fpfdRlky;@i'kq lsok dsUnz Lrj dk nLrkost	3 ls 4 rd
3	"kklukns'k la[;k 677 fn0 tuojh 06 dk }kjk i0i0v0 dks rRdky ,oa mRrjnkf;Rok dk fu/kkZj.k	5 ls 6 rd
4	fujh{k.kky; }kjk lLrjh; leku; vf/kdkjh ds }kjk gsrq fu/kkZfjr le; vof/k	7

&1&

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ में रखे जाने वाले अभिलेखों की सूची, लेखा पटल पंजिकाए

दस्तावेज का नाम/परिचय	संस्था का नाम	प्रवर्ग		दस्तावेज प्राप्त करने की प्रकिया	धारक/ नयंत्रणाधीन

	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, कार्यालय	लेखा अनुभाग	1. बजट आवंटन सम्बम्धी पत्रावली 2. बजट अनुमान पत्रावली 3. बचत एंव व्ययाधिक्य पत्रावली 4. शासनादेश एंव सर्कुलर पत्रावली 5. भौतिक सत्यापन पत्रावली 6. विभागीय आडिट पत्रावली 7. महालेखाकार आडिट 8. विविध पत्रों की पत्रावली 9. बजट पंजिका पत्रावली 10. कन्टिजेन्ट बिल रजिस्टर नान प्लान 11.. कन्टिजेन्ट रजिस्टर प्लान 12. टी0एस0चैक रजिस्टर 13. टी0ए0बिल रजिस्टर 14. यात्रा स्वीकृत रजिस्टर 15. यात्रा भत्ता पत्रावली 16. शासनादेश की पत्रावली 17. 11 सी0रजिस्टर 18. ट्रेजरी रजिस्टर 19. नगद/चैक भुगतान पंजिका 20. कैश बुक 21. ट्रेजरी से प्राप्त चैक पंजिका 22. बैंक ड्राफ्ट प्रेषण पंजिका 23. बैंक ड्राफ्ट प्राप्ति पंजिका 24. ट्रेजरी चालान पंजिका 25. एस0पी0एस0पंजिका 26. कैश की डुप्लीकेट चााबियों की पंजिका 27. रशीद बुक 28. वेतन सम्बन्धित पंजिका 29. सामान्य पत्र व्यवहार 30. राष्ट्रीय बचत पत्रावली 31. मासिक आय विवर.ा पंजिका 32. व्यय विवर.ा पत्रावली नान प्लान 33. व्यय विवरण पत्रावली प्लान 34. बी0एम0 8 पंजिका 35. व्यय मिलान पत्रावली 36. विद्युत पंजिका 37. स्टेशनरी पंजिका 38. जी0पी0एफ0लेजर, तृ0श्रे0/च0श्रे0 39. जी0पी0एफ0बिल रजिस्टर 40. जी0पी0एफ0ब्राड सीट 41. डैड स्टाक रजिस्टर	संबंधित सहायक	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,

2	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, कार्यालय	स्था0 अनुभाग	1.उपस्थित पंजिका 2. वार्षिक वेतन वृद्धि पंजिका 3. समस्त कर्मचारियों की व्यक्तिगत पंजिका 4. कर्मचारियों की स्थानान्तरण संबंधी पत्रावली 5.सामान्य पत्र व्यवहार से सम्बन्धित पत्रावली 6. वेतन निर्धारण से सम्बन्धित पत्रावली 7. कार्या0आदेश से सम्बन्धित पत्रावली 8. पेंशन से सम्बन्धित पत्रावली 9. पेंशन चैक रजिस्टर 10. पेंशन स्वीकृति पंजिका 11. कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका 12. वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों से सम्बन्धित प0 13. आकस्मिक अवकाश सम्बन्धित पंजिका 14. टेलीफोन पंजिका 15. लो0स0/वि0स0में पूछे गये प्रश्नों की प0 16. शिकायत सम्बन्धी पत्रावली 17. मास्टर पेंशन इन्डैक्स रजिस्टर 18.. चिकित्सा व्यय पूर्ति से सम्बन्धित पत्रावली	संबंधित सहायक	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
3		पशुधन अनुभाग	1. पशुधन की सर्वे रिर्पोट 2. मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक विवर.ा से सम्बन्धित पत्रावली 3. ऊन विक्रय से सम्बन्धित पत्रावली 4. लक्ष्य पूर्ति आवंटन से सम्बन्धित पत्रावली 5. अंगोरा/भेड प्रगति प्रतिवेदन पत्रावली 6. बैठक से सम्बन्धित पत्रावली 7. कृ0ग0की मासिक/वार्षिक प्रगति पत्रावली 8. कुक्कुट विकास से सम्बन्धित पत्रावली 9. भवन निर्माण सम्बन्धी पत्रावली 10. चारा विकास से सम्बन्धित पत्रावली 11. सामान्य पत्रव्यवहार से सम्बन्धित पत्रावली	संबंधित सहायक	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
3		सामान्य अनुभाग	1. डाक टिकट से सम्बन्धित रजिस्टर 2. पत्र प्रेषण से सम्बन्धित रजिस्टर 3. स्थानीय डाक वितरण सम्बन्धी पंजिका 4. पत्र प्राप्ति पंजिका 5. पत्रावलियों की पंजिका	संबंधित सहायक	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,

पशु चिकित्सालय एंव अन्य संस्थाओं पर रखे जाने वाले दस्तावेजों का विवरण

क्र0सं0	संस्था का नाम			
	प0चि0	प0से0के0 / कृ0ग0केन्द्र	भेड एंव ऊन प्रसार केन्द्र	अंगोरा कुक्कुट प्रक्षेत्र
1	कैश बुक	वाहय रोगी पंजिका	कैश बुक	कैश बुक
2	रशीद बुक	दैनिक,औषधि वितरण पंजिका	रशीद बुक	रशीद बुक
3	बाह्य रोगी पंजिका	औषधि पंजिका	ओ0पी0डी0पंजिका	ओ0पी0डी0पंजिका
4	डेली इश्यू पंजिका	स्कन्ध सामग्री पंजिका	अंग्रजी दवा पंजिका	अंग्रेजी दवा पंजिका
5	सामान्य स्कन्ध पंजिका	निष्प्रोज्य सामग्री पंजिका	आयुर्वेदिक दवा पंजिका	आयुर्वेदिक दवा पंजिका
6	अंग्रेजी औषधि सकन्ध पंजिका	वैक्सीन पंजिका	जनरल स्टाक बुक पंजिका	जनरल स्टाक बुक पंजिका
7	देशी औषधि पंजिका	टीकाकरण पंजिका	डैड स्टाक बुक	डैड स्टाक बुक
8	डेड स्टाक पंजिका	वाहय संक्रमण पंजिका	कन्जुमेबिल स्टाक बुक	कन्जुमेबिल स्टाक बुक
9	विविध स्कन्ध पंजिका	रोकड बही	औजार पंजिका	औजार पंजिका
10	कृ0ग0पंजिका	कृ0ग0पंजिका	भेड स्टाक बुक पंजिका	अंगोरा / कुक्कुट स्टाक बुक पंजिका
11	उत्पन्न संतति पंजिका	वीर्य / तरल नत्रजन प्राप्ति पंजिका	निलामी पंजिका	निलामी पंजिका
12	सीमन स्ट्रा एंव तरल नत्रजन पंजिका	सांड पंजिका	ऊन स्टाक बुक	उपचार पंजिका
13	कृ0ग0से प्राप्त शुल्क की रसीद पंजिका (यू0एल0डी0बी0)	संतति पंजिका	राशन पंजिका	ऊन स्टाक बुक
14	प्रगति पंजिका	प्रगति पंजिका	भुगतान पंजिका	राशन पंजिका
15	चारा बीज पंजिका	पशुगणना पंजिका	अंशदान पर वितरित पशुओं की पंजिका	भुगतान पंजिका
16	टीकाकरण पंजिका	दैनन्दिनी पंजिका	कृ0ग0पंजिका	वितरित किये गये पशुधन की पंजिका
17	कुक्कुट विकास पंजिका	उपस्थिति पंजिका	संतति पंजिका	टीकाकरण पंजिका
18	डे बुक पंजिका	ब्रीडिंग एंव कवरिंग पंजिका	टीकाकरण पंजिका	ब्रीडिंग एंव कवरिंग पंजिका
19	आउट ब्रेक पंजिका	कुक्कुट विकास सम्बन्धि पंजिका	ब्रीडिंग एंव कवरिंग पंजिका	दैनन्दिनी पंजिका
20	कन्ज्यूमेबिल सामग्री पंजिका	चारा विकास सम्बन्धि पंजिका	दैनन्दिनी पंजिका	उपस्थिति पंजिका
21	विविध पंजिका		उपस्थिति पंजिका	
22	एस0पी0एस0 पंजिका			
23	डाक प्राप्ति एंव प्रेषण पंजिका			
24	भ्रमण पंजिका			
25	निरीक्षण पंजिका			

26	शवपरीक्षणवेट्रो(टमजतव)लिगल			

	पंजिका			
27	भवन पंजिका			
28	उपस्थित पंजिका			
	आकस्मिक अवकाश एंव अन्य पंजिका			
30	विद्युत पंजिका			
31	जल पंजिका			
32	टेलीफोन पंजिका			
33	लेखन सामग्री पंजिका			
34	रजिस्टर ऑफ रजिस्टर पंजिका			
35	पत्रावली सूची पंजिका			

1. विभागीय संस्थाओं/क्षेत्रों पर बीमार पशुओं/पक्षियों की आवश्यकतानुसार प्राथमिक चिकित्सा/उपचार करना ।
2. विभागीय संस्थाओं के मुख्यालय तथा क्षेत्र भ्रमण पर अनैच्छिक नर पशुओं का बधियाकरण करना ।
3. मुख्यालय/क्षेत्र भ्रमण पर, पशु/पक्षियों के संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु रोग निरोधक टीकाकरण करना ।
4. संक्रमक बीमारियों के संक्रमण(Out Break)होने पर उनकी निवारण के उपाय करना तथा उच्च अधिकारियों को सूचित कर उनके मार्ग दर्शन में कार्य करना ।
5. अपने कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत गम्भीर रोगी पशुओं को आपातकालिन प्राथमिक चिकित्सा/उपचार सेवायें उपलब्ध करना ।
6. अपने मुख्यालय तथा क्षेत्र भ्रमण पर कृ0ग0कार्य करना, गर्भ संतति निरीक्षण करना तथा तदानुसार अभिलेख तैयार करना ।
7. आन्तरिक अंगो को छोडकर लघु शल्य चिकित्सा (Minor Operation) द्वारा पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा/उपचार करना ।
8. भेड एंव बकरियों को डेंचिग एंव डिंपींग कराना ।
9. अपने कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत पशुधन विकास कार्यक्रमों की प्रगति सूचना, आंकड़े आदि संकलित करना एंव विकास सम्बन्धी अन्य कार्यो के निरीक्षण/अनुश्रवण/समीक्षा हेतु विभागीय उच्चधिकारियों के भ्रमण के समय उनके साथ रहना तथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करना ।
10. विकास मेला, पशु मेला, पशु प्रर्दशनी, पशु रैली, टीकाकरण कैम्प हेतु प्रचार–प्रसार करना, उसके अनुकुल वातावरण बनाना तथा सम्पन्न कराने में उच्चाधिकारियों का सहयोग करना।
11. मादा पशुओं की जनन क्षमता का पूरा उपयोग करने हेतु बांझपन निवारण कैम्प आयोजित करना तथा पशु चिकित्साधिकारी आदि के मार्ग निर्देशन में पीड़ित पशु की प्राथमिक चिकित्सा/उपचार करना ।
12. पशुपालकों को पशु के रखरखाव, पालन पोषण तथा सन्तुलित पशु आहार के सम्बन्ध में जानकारी देना ।
13. शासन/विभाग/जनपद के उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्यो का सम्पादन नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे ।
14. अपनी पदस्थापना से संबंधित संस्थाओं की पंजिकाओं एवं अभिलेखों को निर्धारित प्रारूप पर तैयार करना तथा चार्ट डिस्पले तथा प्रगति सूचनायें कार्यक्रमवार दर्शाना ।
15. वीर्य संग्रह के केन्द्रों पर साड़ों का रख–रखाव,वीर्य संग्रह परीक्षण डाईल्यूसन प्रिजवेशन तथा वितरण संग्रह केन्द्र प्रभारी को सहयोग प्रदान करना ।
16. राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर पक्षियों का रख–रखाव, अण्डा उत्पादन,हैचिग रियरिग,टीकाकरण एवं विपणन आदि की व्यवस्था करना ,रोग निदान करना तथा मृत्यु की दशा में पशु चिकित्साधिकारी के निर्देशन में शव विच्छेदन(Postmortem) करना ।

17– इच्छुक कुक्कुट पालको को प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना , तकनीकी प्रशिक्षण करना,कुक्कुट इकाई की स्थापना करना उनका अनुश्ररण/निरीक्षण करना तथा अण्डों चूजें के विपणन में यहयोग करना

18– राजकीय शशक प्रक्षेत्रों पर शशकों का रख–रखाव टीकाकरण प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार प्रजनन तथा विपणन आदि कार्य करना ।

19– रजकीय भेड़/बकरी प्रक्षेत्रों पर भेड़ो/बकरियो का रख–रखाव टीकाकरण प्राथमिक चिकित्सा /उपचार प्रजनन ऊन शियरिग तथा ग्रेडिग आदि का कार्यक्रम ।

20– राजकीय सूकर प्रक्षेत्रों पर सूकरो का रख–रखाव टीकाकरण प्राथमिक चिकित्सा प्रजनन आदि कार्य करना ।

21– क्षेत्र के इच्छुक सूकरों पालकों को प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना उन्हे तकनीकी प्रशिक्षण देनासूकर ईकाईयो की स्थापना करना उनका अनुश्ररण/निरीक्षण करना तथा उनके विपणन में सहयोग करना

22– राजकीय दुग्धशाला प्रक्षेत्रो पर पशुओं के रख–रखाव, खान–पान रियरिग टीकाकरण प्राथमिक चिकित्सा पशु प्रजनन संतति परीक्षण दुग्ध उत्पादन अभिलेखन तथा विपणन आदि कार्य करना

23– क्षेत्र में अग्निधात,विद्युत आघात एवं आकस्मिक दुर्धटना में घायल पशु का तुरन्त उपचार करना तथा मृत्यु की दशा में उसके शव विच्छेदन हेतु पशु चिकित्साधिकारी को अवगत कराना ।

24–क्षेत्रिय भ्रमण के दौरान मैदानी जनपदों में 10 का पर्वतीय जनपदों में 15 दिन अपने क्षेत्र मे अवश्य विश्राम करेगें । तद्नुसार कार्य की प्रगति गन्तव्य स्थान मुख्यालय से दूरी प्रस्थान का समय तथा वापसी का समय सूचना पट तथा दैनिक डायरी में उल्लेख करना ।

25– पशु पालको की मांग पर उन्न्त नश्ल के गाय साड़ों भैसा साडों,बकरा,भेड़ घोडा तथा गघा, सूकर साड आदि अशंदान पर उपलब्ध करावें ।

26–अपने कार्य क्षेत्र के अर्न्तगत प्रतिवर्ष ग्रामवार पशुओ की गणना करना तथा नियोजन हेतु आकडें जुटाना ।

27–पशु कूरता निवारण के संबंध में पशुधन प्रसार अधिकारी,पशु चिकित्साधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को आवश्यक सूचना एवं सहायता प्रदान करेगें ।

28– प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ सूखा,भूस्खन आदि के समय आवश्यकता अनुसार राहत कार्य करना तथा उच्चाधिकारियों को सुचित करना ।

29– समय–समय पर बैक द्वारा पोषित परियोजनाओं में पशुधन विकास संबंधी कार्यक्रम का संचालन करना स्वयं सहायता समूह गठित करना तथा आवश्यक कार्यो का सम्पादन करना ।

30–मुख्यालय/क्षेत्र में सम्पादित कार्य प्राथमिक चिकित्सा,उपचार,कृत्रिम गर्भाधान,प्राकृतिक गर्भाधान टीकाकरण,बधियाकरण,डेचिग,डिपिग हेतु निर्धारित सेवा शुल्क (levy) एवं वैक्सीन चारा दाना ऊन खली,हण्ही,अण्डा मांस इत्यादि मदों की विक्री से प्राप्त धनराशि राजकीय कोष में जमा करना तथा जमा की गई धनराशि व अवशेष धनराशि का विवरण पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को मासिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा तथा इस संबंध में रखे गये अभिलेख भी मासिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा तथा इस संबंध में रखे गये अभिलेख भी पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को अवलोकित करायें जायेगें

31–सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेगें ।

32–पशुधन प्रसार अधिकारी संबंधित पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्साधिकारी /जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के नियंत्रणाधीन होगें, तथा उनके द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्दैशानुसार सम्पादन करेगें ।

33–शासन/विभाग/जनपद के उच्चधिकारियों द्वारा समय–सयम पर सौपे गये अन्य कार्यो का सम्पादन नियमानुसार सुनिश्चित करगें ।

34– अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों के सम्पादन हेतु पशुधन प्रसार अधिकारी अपनी संस्था से संबंधित निम्नलिखित पंजिकाओं का उपयोग करेगा ।

1–वाहय रोगी (out Patient) पजिका
2– दैनिक औषधि वितरण पंजिका(Daily Issue)
3–औषधि पंजिका (Medicine Register)
4–स्कन्ध सामग्री पंजिका
5–निष्प्रोज्य सामग्री (Dead article) पंजिका
6–वैक्सीन/सीरा वैक्सीन पंजिका
7–टीकाकरण (Veccination)पंजिका
8–वाहय संक्रमण (Out brcak)पंजिका
9–रोकडवही (Cash BooK/ cash Receipt)
10–कृत्रिम गर्भाधान (गाय/भैस)पंजिका ,
11–वीर्य/तरल नत्रजन प्राप्ति पंजिका
12–सांड पंजिका
13–संतति पंजिका
14–प्रगति पंजिका
15–पशुगणना पंजिका
16–दैनन्दिनी (Tour Dairy)पंजिका
17–उपस्थिति पंजिका (Attendence Register)

ह0/(जे0पी0जोशी)
उप सचिव

निरीक्षणालय द्वारा संस्तुत सामान्य अभिलेखों का रीडिंग हेतु निर्धारित समय/अवधि

क्र0सं0	अभिलेखों का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाय/नष्ट किया जाय	विषेश टिप्पणी
1	सामन्य पत्र व्यवहार उपस्थित पंजिका प्रांतीय फार्म नं0 161	एक वर्ष	
2	आकस्मिक अवकाश पूंजी (एम0जी0ओ01981 संस्करण पैरा 1086)	समाप्त होने के वर्ष	
3	आडिटमहालेखाकार/विभागीय आन्तरिक लेखाधिकारी द्वारा की गयी पत्रावलियां	आपत्तियों के अन्तिम समाधान के बाद अगले आडिट होने तक	
4	आय–व्ययक अनुमान की पत्रावलियां	दस वर्ष	
5	सरकारी धन औजार का आहरण कमी निष्प्रोज्य वस्तुओं के निस्तारण आदि सम्बन्धी पत्रावली	अन्तिम निर्णय व वसूल राइट आफ के पश्चात तीन वर्ष	
6	डेड स्टाक क्षय शील/उपभोग वस्तुओं/ एंव पुस्तकालय हेतु क्रय की गई पुस्तकों आदि के पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलीयां	स्टाक बुक में प्रविष्टि, विभिन्ताओं के समाधान एंव सत्य सम्बन्धी आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष	
7	निरीक्षण टिप्पणियों एंव उनके अनुपालन संबंधी पत्रव्यवहार की पत्रावलियां	उठाये गये बिन्दुओं दिये गये सुझावों के कार्यान्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक	
8	अधिकारों के मांग के प्रस्ताव एंव अधिकारों के प्रतिनिधीयन डेलीगेशन आफ पावर्स के आदेशों से सम्बन्धित पत्रावलियां	स्थायी रूप से	
9	लेखन सामग्रीयों/प्रपत्रों के मांग पत्र इन्डेन्ट स्टेशनरी मैनुअल का पैरा 37 तथा 39 क्रमशः प्रान्तीय 173 तथा 174	तीन वर्ष तक	
10	दौरों के कार्यक्रम तथा टूर डायरी आदि कोई निर्धारित हो	एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टियां पूर्ण होने के बाद जो भी प्रतिफूल प्रविष्टियों से सम्बन्धित हो तो उसे प्रत्यावेदनों के अन्तिम निस्तारण के एक वर्ष बाद	

(eSuqvy &7½

uhfr cukus ;k mlds dk;kZUo;u ds lEcU/k esa turk ds lnL;ksa ls ijke'kZ ds fy;s ;k mlds izfrfuf/kRo ds fy;s fo|eku O;oLFkk

The particulars of any arragement that exists for consultation with of **representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation there of**

विषय सूची

क्र0सं0	विवरण	
1	नीति निर्धारण के संबंध में जनप्रतिनिधि से परामर्श को बनाई गई व्यवस्था का विवरण	8 से 11
2	दुधारू पशु क्रय योजना का शासनादेश 313 दि0 31मई 05 का परिशिष्ठ–01	12
3	लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधियों से परामर्श/भागीदारी का प्राविधान ।	13 से 15
4	कुक्कुट भेड़ एवं अंगोरा विकास कार्यक्रम ।	16

uhfr fu/kkj.k d s lEcU/k e s tu ifrfuf/k ls ijke'k dk cukbZ x;h 0;oLFkk dk fooj.k

लोक प्राधिकरण नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का प्राविधान

विषय कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है	जंनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
योजनाओं के कियान्वयन 1– नई संस्थाओं की स्थापना (अ) पशु औषधालय	जनता की भागीदारी अनिवार्य है क्योकि जबतक जनता से किसी संस्था की स्थापना हेतु परामर्श न किया जाय किसी संस्था के सृजन करने में व्यवहारिक रूप से अडचने पैदा होती है ।	1–न्याय पंचायत स्तर पर स्थान के चयन के संबंध में न्याय पंचायत संदस्य, ग्राम प्रधान तथा संबंधित क्षेत्र में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारी की एक संबंधित समिति गठित कर उपयुक्त स्थान का चयन के उपरान्त जिला नियोजन समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत किया जाना ।
(ब) नये पशु चिकित्सालयो के संबंध में	स्थान विशेष की आवश्यकता को देखते हुये जनप्रतिनिधि,माननीय विधान सभा सदस्य,संसद सदस्य के परामर्श के अनुसार सहभागिता की आवश्यकता है ।	संबंधित क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र समिति ,खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड के अर्न्तगत पशु चिकित्साधिकारी एक समन्वय समिति गठित कर उपयुक्त स्थान का चयन कर प्रस्ताव मु0प0चि0अ0 को प्रस्तुत किया जाना ।
2–भवन निमार्ण हेतु भूमि का चयन	संबंधित क्षेत्र के ग्राम प्रधान,न्याय पंचायत संदस्य तथा पशु चिकित्साधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की एक संयुक्त समिति गठित होगी जो भूमि का चयन कर भूमि अधिग्रहण संबंधित कार्य जनता की सहभागिता से सुनिश्चित करेंगी	न्याय पंचायत स्तर पर समन्वय समिति गठित किया जाना मु0प0चि0अ0 को सूचित कर निमार्ण के आगणन तैयार करने हेतु निमार्णदायी विभाग से सम्पर्क करना एवं आगणन प्राक्कलन मु0प0चि0अ0 को प्रस्तुत करने हेतु सहयोग प्रदान करेगी ।
3–चयनित भूमि को विभाग के नाम पंजीकृत किया जाना	ग्राम प्रधान एवं न्यायनपंचायत संदस्य की सहभागिता आवश्यक है	क्षेत्र पटवारी तहसीलदार एवं परगनाधिकारी की संस्तुति के आधार पर भूमि का पंजीकरण किया जाना ।
4–उन्नत शील प्रजनन योग्य साड़ो,मेढ़ो का वितरण	जनता की भागीदारी आवश्यक है जिनकी सहमति के आधार पर इच्छुक व्यक्ति का चयन किया जाना आवश्यक है ।	न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत प0प्र0अ0,ग्राम प्रधान,खण्ड विकास अधिकारी एवं प0चि0अ0 एक समन्वय समिति लाभार्थियों के चयन हेतु गठित किया जाना ।

5–पशुओं में विभिन्न महामारियो के रोकथाम हेतु टीकाकरण,चिकित्सा आदि व्यवस्था हेतु क्षेत्र में कार्यरत प0प्र0अ0 से सम्पर्क किया जाना तथा बीमारी के रोकथाम हेतु अविलम्ब प0चि0अ0 की टीम को गठित करना व ग्राम प्रधान को सूचित करना तथा बीमारियेा के विसरा पोस्टमार्टम के उपरान्त गहन जाच हेतु प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेजना एवं परीक्षण की सूचना प्राप्त होने पर निर्देशो को संबंधित प0चि0अ0/प0प्र0अ0 एवं ग्राम प्रधानो को बताकर आवश्यक निर्देश देना ।	जनता की सहभागिता आवश्यक है	न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत प0प्र0अ0,ग्राम पंधान की सहमति एवं सहयोग के आधार पर
6–अनुसूमचित जाति/जनजाति एवं निर्बल वर्ग के उत्थान हेतु वैक्यार्ड कुक्कुट इकाई,वछड़ा पालन,बकरी पालन एवं भेड़ पालन इकाई की स्थापना	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियो के चयन हेतु संबंधित क्षेत्र के न्याय पंचायत संदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रधान की सहभागिता की अनिवार्यता होगी।तांकि योजना का लाभ उपयुक्त व्यक्ति को ही मिल सके इसमें संबंधित क्षेत्र के प0प्र0अ0 को लाभार्थी के चयन हेतु सहयोग दिया जाना है ।	संबंधित क्षेत्र के प्रधान,प0प्र0अ0,प0चिअ0,खण्ड विकास अधिकारी,प्रमुख क्षेत्र पंचायत की एक समन्वय समिति गठित होगी जिसकी सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी के अवलोकनार्थ भी प्रेषित की जायेगी ।
7–पशु प्रर्दशनी/गोष्ठियों/दुधारू पशुओं के वाझपन निवारण हेतु चिकित्सा शिविरो के आयोजन की व्यवस्था	जन सहभागिता,जन प्रतिनिधि के सहयोग की आवश्यकता होगी एवं क्षेत्र में कार्यरत प0प्र0अ0/प0चिअ0 को सम्पर्क करने पर सहयोग प्रदान करना होगा	न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत प0प्र0अ0,विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, प0चि0अ0 प्रमुख क्षेत्र पंचायत की एक समन्वय समिति गठित करनी आवश्यक होगी ।
8–शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन प्रवास में भेड़ो को आवश्यक उपचार सुविधा की व्यवस्था	जन सहभागिता की आवश्यकता होगी	क्षेत्र में कार्यरत प0चि0अ0 द्वारा चिकित्सा दल का गठन किया जायेगा ।
9–दैवी आपदा सें प्रभावित पशु पालको को सहयोग प्रदान किया जाना	देवीय आपदा से पिड़ित पशुओं के उपचार की व्यवस्था के लिए जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुये क्षेत्र में कार्यरत प0प्र0अ0 को ओषधि वैक्सीन चारा आदि की माग प्रस्तुत करना एवं इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था के लिए शासन स्तर पर जनप्रतिनिधि की सहभागिता की आवश्यकता होगी	प्रभावित पशुपालको को दैवीय आपदा के निवारण हेतु एक समिति विकास स्तर पर पशु चिकित्साधिकारी,खण्ड विकास अधिकारी तथा क्षेत्र प्रमुख के स्तर पर गठित होगी ।

10— सघन वृक्षारोपण अभियान	जनसहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा	क्षेत्र के समस्त जनता को वृक्षारोपण के संबंध में पशु चिकित्साधिकारी,खण्ड विकास अधिकारी,पशुधन प्रसार अधिकारी को विस्तृत जानकारी देना ।
11—जिला योजना के अर्न्तगत समस्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन	क्षेत्र के जनसामान्य प्रतिनिधि से विस्तृत सूझाव लेते हुये जनप्रतिनिधि,क्षेत्र के विद्यायक,सांसद क्षेत्र समिति प्रमुख की सहभागिता एवं शासन स्तर से योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यथा आवश्यकतानुसार समय पर उपलब्ध कराने हेतु सहयेाग की आवश्यकता होगी ।	योजना विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना जिनके माध्यम से योजनाओ को पारित किया जाता है एवं योजनाओं के अनुमोदन के लिए शासन के लिए संस्तुति की जाती है ।
12—दुग्ध व्यवसायों को दुध उत्पादन के संबंध में पशुपालन संबंधी विविध जानकारी दिया जाना एवं राष्ट्रीयकृत किया जाना एवं राष्ट्रीकृत बैक एवं बीमा कम्पनी के माध्यम से दुधारू पशुओं के क्रय हेतु ऋण के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर सहायता प्रदान किया जाना	क्षेत्र की जनता को स्वरोजगार प्रदान किये जाने के उददेश्य से प0प्र0अ0,प0चि0अ0 से सहयेाग लेकर ऋण की व्यवस्था करवाया जाना तथा स्वयं सेवा संस्थाओं द्वारा पशुपालन संबंधी विभिन्न प्रायोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्य दिशा निर्देश तथा सम्पर्क किया जाना । डी0आर0डी0ए0 के माध्यम से कृषको/पशुपालको को पशुपालन एवं कृर्षि संबंधी जानकारी देना एवं अनुदान की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सहभागिता की आवश्यकता है इस संबंध में मु0वि0अ0,विभागध्यक्ष के आवश्यक मार्ग निदेशन प्राप्त कर कार्यवाही करने के उपरान्त सम्पूर्ण स्थिति से जंनता को सूचित करते हुये शासन को अवगत कराया जाना ।	दुग्ध व्यवसायेां को आर्थिक सहायता देने हेतु विकास खण्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियो गणमान्य व्यक्तियो से सहयेाग लेकर राष्ट्रीकृत बैको के शाखा प्रबन्धको/बीमा कम्पनियो के व्यवस्थापको तथा क्षेत्र के अर्न्तगत कार्यरत पशु चिकित्साधिकारियो एवं खण्ड विकास अधिकारियो द्वारा एक समन्वय समिति स्थापित किया जाना ।
13—उद्यमियो के आर्थिक उत्थान के लिए भैस पालन/मिनीडेरी की स्थापना के संबंध में आवश्यक जानकारी दिया जाना दुधारू पशुओं को चारे की व्यवस्था एवं इसके उचित रख—रखाव तथा पशुंओं में होने वाली विभिन्न बीमारियो की जानकारी देना एवं इसके रोकथाम हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना	जनता से प्राप्त शिकायतो को दूर करने हेतु एक सामन्जस्य स्थापित किया जाना,पशु चिकित्साधिकारी एवं प0प्र0अ0 को पशुपालन संबंधी कार्यक्रमों में विस्तृत जानकारी लेकर इसके क्रियान्वयन हेतु सहभागिता की आवश्यकता होगी ।	जंनता की भागीदारी के लिए उनसे प्राप्त होने वाले प्रस्तावो की पंजिका तैयार कर क्षेत्र में कार्यरत प0प्र0अ0/प0अच0अ0 द्वारा दर्ज करते हुये इस पर विधिवत एवं चरण वद्व रूप से अमल किया जाना

14–कृर्षि योग्य भूमि पर पोष्टिक आहार उत्पादन के लिए चारा बीच वितरण एवं चारा प्रर्दशनियो का आयोजन	क्षेत्र में पोष्टिक चारा उत्पादन के लिए चारा बीजो की उपयोगिता की जानकारी देने हेतु जनता का सहयोग एवं उनकी सहभागिता की आवश्यकता है	न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत,प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं क्षेत्र म्रें कार्यरत प0प्र0अ0 की एक समिति गठित की जानी आवश्यक हेागी ।

शासनादेश संख्या 313/गजट/सहकारिता–12/2005 देहरादून, दि0 30 मई, 2005 का परिशिष्ट–01

nq/kk: i'kq dz; ;kstuk

1- **;kstuk ifjp;** %& ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार नवयुवक/युवतियां दुधारू पशु पालकर सुगमता पूर्वक अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं । ग्रामीण एंव उप–नगरीय क्षेत्रों में दूध एंव दूध–जन्य पदार्थों की अत्याधिक मांग है । दुधारू पशु क्रय योजना के अर्न्तगत 02 क्रास ब्रीड जर्सी/हालिस्टीन–फ्रीजियन/शुद्ध साहीवाल/रेड सिन्धी गाय अथवा मुर्रा/तराई नस्ल की भैंस क्रय कर स्व–रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं। सहकारिता सहभागिता योजना के अर्न्तगत दुधारू पशु क्रय करने हेतु कृषियेत्तर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है ।

2- **ykHkkFkhZ p;u** %– समस्त वयस्क लघु/सीमान्त कृषक एंव गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्ति/परिवार सहकारिता सहभागिता योजना के अर्न्तगत दुधारू पशु क्रय करने हेतु पात्र होंगे ।

3- **bdkbZ vkdkj** :– दुधारू पशु क्रास ब्रीड जर्सी/हालिस्टीन–फीजियन/शुद्ध साहीवाल/रेड सिन्धी गाय अथवा मुर्रा/तराई नस्ल की भैंस क्रय की जा सकती है ।

4- **bdkbZ ykxr**

क0सं0	विवरण/दर	मूल्य रू0 में
1	02दुधारू पशु / रू0 15,000 प्रति पशु की दर से	30]000.00
2	पशु आहार मूल्य / रू0 500 प्रति पशु प्रति माह की दर से एक माह के लिए	1]000.00
3	पशु बीमा पशु मूल्य का 8.44 : की दर से पांच वर्ष हेतु	2]500.00
4	पशु परिवहन लागत / रू0 750	1]500.00
5	पशु आश्रय	9]000.00
6	अन्य व्यय मेन्जर/चैफ कटर आदि	3]000.00
	योग	47]000.00

तकनीकी सेवायें दुधारू पशु पालने हेतु 03 दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी द्वारा दिया जायेगा।समस्त क्रय किये गये दुधारू पशुओं को पशु चिकित्सा,कृषि नाशक दवापान,टीकारण की सुविधा शासकीय शुल्क प्राप्त कर स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशु पालक के द्वार पर उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त पशु चिकित्साधिकारी स्थापित इकाईयों का समुचित अभिलेख सहकारिता,सहभागिता योजना पंजिका में रखेंगे तथा मासिक प्रगति विवरण के साथ प्रति माह उपलब्ध करायेंगे ।

वित्तीय समायोजन दुधारू पशु क्रय योजना की संदेशात्मक इकाई लागत एंव अन्य विवरण राष्ट्रीय कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक के मानकों के अनुरूप है। वित्तीय व्यवहारिकता एंव स्थानीय परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए इकाई लागत में 10 प्रतिशत की सीमा में परिवर्तन कर सकती है।

- सम्पर्क सूत्र स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी,राजकीय पशु चिकित्सालय ।
- 7.2 सहायक विकास अधिकारी,सहकारिता ।
- 7.3 स्थानीय सचिव,प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति ।

uhfr d dk;kUo;u grq %&

क्र0सं0	विषय / कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हॉ / नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	1. पशु चिकित्सा 2. नस्ल सुधार 3. टीकाकरण 4. बधियाकरण, कृ0ग0 5. चाराबीज / किट वितरण प्रदर्शन 6. वृक्षारोपण 7. कुक्कुट वितरण 8. अल्प बचत	हॉ	1. पशु चिकित्सा, जनपद में स्थापित पशु चिकित्सालयों एंव ब्लाक तहसील स्तर पर स्थापित पशु सेवा केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय जनता के पशुओं की चिकित्सा । 2. नस्ल सुधार यू0एल0डी0बी0द्वारा जनपद में किये जा रहे कार्यो में जनता की भागीदारी से नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जाना । 3. टीकाकरण / बधियाकरण स्थानीय जनता के पशुओं की बीमारी रोकने हेतु निर्धारित रोस्टर जो अध्यक्ष जिला पंचायत / प्रमुख क्षेत्र समिति के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार ब्लाक स्तर पर पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार कर कैम्प लगाकर टीकाकरण किया जाता है । चारा बीज वितरण, यू0एल0डी0बी0द्वारा पशु चिकित्साधिकारी एंव पशुधन प्रसार अधिकारी के माध्यम से पशुपालकों को एंव कृषकों तथा विशेषतया अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में वितरित किया जाता है, तथ चारा प्रदर्शन का कार्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा कृषकों / पशुपालकों द्वारा किया जाता है । वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग कें माध्यम से पशु चिकित्साधिकारी एंव प0प्र0अ0अपने क्षेत्र मे ंकराते हैं। 3. कुक्कुट वितरण–अनुसूचित जातियों / जनजातियो तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को एक दिवसीय चूजे जनपद के कुक्कुट फार्मो से प्राप्त कर पशु चिकित्साधिकारियों / प0प्र0अ0 के माध्यम से वितरित किया जाता है । 4. अल्प बचत– जिला बचत अधिकारी से लक्ष्य प्राप्त होने पर जनपद में कार्यरत पशु चिकित्साधिकारियों / प0प्र0अ0द्वारा जनता को बचत के लिये प्रेरित कर लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है ।

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण :–

5.1 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का प्राविधान :–

कमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
1	योजना का निर्माण	हां	बोर्ड की गवर्निग बाडी में कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एंव भेड पालकों का नामांकन

5.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु :–

लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का प्राविधान :–

कमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
1	योजना का क्रियान्वयन	हां	बोर्ड की गवर्निग बाडी में कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एंव भेड पालकों का नामांकन

नीति निर्धारण हेतु

लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों के परामर्श/भागीदारी का प्राविधान

कमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है(हॉ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु की गई व्यवस्था
1	उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड(यू0एल0डी0बी0)	हॉ	यू0एल0डी0बी0के बोर्ड में जन प्रतिनिधि के रूप में उपाध्यक्ष का नामांकन शासन द्वारा किया गया है।
2	यू0एल0डी0बी0की गवर्निग बॉडी	हॉ	यू0एल0डी0बी0की नीतियों के निर्धारण में सहभागीता हेतु इसके बोंड में 1. दुग्ध संघों के प्रतिनिधि, 2. गौशालाओं के प्रतिनिधि, 3. एन0जी0ओ0के प्रतिनिधि, 4. पशुधन विशेषज्ञ एंव 5. चारा विशेषज्ञ शासन द्वारा नामित किये गए हैं ।
3	यू0एल0डी0बी0की अधिशासी कमेटी	हॉ	बोर्ड के नैत्यिक (त्वनजपदम) कार्यो में जन सहभागिता हेतु उपरोक्त में से 1. एन0जी0ओ0के प्रतिनिधि तथा 2. चारा विकास विशेषज्ञ को अधिशासी कमेटी में बोर्ड द्वारा समिलित किया गया है।

नीति के कार्यान्वयन हेतु

लोक प्राधिकरण द्वारा नीतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधयों से/की परामर्श/भागीदारी का प्राविधान

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु की गई व्यवस्था
1	चारा विकास हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना	हॉ	वन पंचायतों में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के कार्यान्वयन हेतु गठित सतिति में सम्बन्धित वन पंचायत सरपंच अध्यक्ष नामित हे, सम्बन्धित ग्राम प्रधान सदस्य नामित हैं तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधान सदस्य नामित है, तथा सम्बन्धित दुग्ध समिति (यदि हो) सदस्य नामित हैं।
2	नैसर्गिक अभिजनन हेतु सांड विवरण	हॉ	सांड क्रय हेतु गठित क्रय कमेटी में सम्बन्धित क्षेत्र/गांव का पशुपालक(जो सांड को पालेगा/रख रखाव करेगा) सदस्य के रूप में नामित है । अनुपयुक्त हो गये सांडो को निस्तारित करने सम्बन्धी कमेटी में : 1. सम्बन्धित ग्राम सभा के प्रधान–अध्यक्ष 2. सम्बन्धित दुग्ध समिति (यदि हो) के अध्यक्ष–सदस्य तथा 3. सम्बन्धित क्षेत्र/गांव का पशुपालक (जो सांड का रख–रखाव करता था) सदस्य के रूप में नामित है।
3	एन0पी0सी0बी0बी0कार्यक्रम के अर्न्तगत स्वरोजगारी ए0आई0कार्यकर्ता का प्रशिक्षण हेतु चयन ।	हॉ	जनपदीय चयन समिति में सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा दुग्ध समिति (यदि हो) के अध्यक्ष, सदस्य के रूप`में नामित हैं ।

¼3½ dDdV fodkl %&

अण्डा व कुक्कुट मांस की बढती हुई मांग को पूरा करने हेतु वृहद प्रयास किये जा रहे हैं। जनपद में वर्तमान एक राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, विण में कार्यरत है। जिसमें 1500 क्रायलर पक्षियों का पेरेन्ट स्टाक उपलब्ध है । प्रक्षेत्र पर एक दिवसीय कुक्कुट चूजों का उत्पादन कर जनपद पिथौरागढ के अतिरिक्त चम्पावत,बागेश्वर,उद्यमसिहनगर को भी वित्तीय वर्ष 2005—2006 में 1 लाख से अधिक एक दिवसीय चूजे इच्छुक कुक्कुट पालको को वितरित किये गये हे । यही नही जिला स्तर पर जिला प्रशासन के सहयोग से रेडक्रास योजना के लाभार्थियों को नगद धनराशि के स्थान पर उनके आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए कुक्कुट चूजे उपलब्ध करायें गये है । प्रक्षेत्र पर कुक्कुट पालन व्यवसाय के इच्छुक कुक्कुट पालको को कुक्कुट प्रशिक्षण भी दिया जाता है । जनता की सुविधा हेतु प्रक्षेत्र पर 10.00 रू0 तथा घर द्वार पर 1200 रू0 पर प्रतिचूजा उपलब्ध कराने की योजना है । इस प्रकार अब जनपद के अर्न्तगत कुक्कुट पालन में जंनता की रूचि बढने लगी है तथा इस उद्योग को अपनाने वाले लोगो के आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ रहा है ।

¼4½ HkM ,oa Åu fodkl dk;dze %&

उत्तरांचल राज्य में भेड पालन का स्थान भौगोलिक एंव व्यवसायिक दृष्टि से लाभदायक है । जनपद में भेडों की नस्ल सुधारने के उद्देश्य से 18 भेड एंव ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित किये गये हैं । जहॉ पर शुद्ध एंव रेम्बुले /क्रास ब्रीड की मेढे/भेडें व्यवस्थित की जाती हैं, तथा भेड़ पालको को ऋतुकाल में मेढों का वितरण कर भेड पालकों की भेडों को प्रजनन सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह कार्य जनपद के तहसील धारचूला एवं मुनस्यारी में व्यवस्थित है । इसी उददेश्य से इन तहसीलों में दो भेड प्रजनन प्रक्षेत्र पागू एव बारापटटा स्थापित है जहॉ पर शुद्व विदेशी मेढ़ो का आयात कर उनसे स्थानीय भेडों के प्रजनन कार्य करना कर क्रास ब्रीड नश्ल के मेढे उत्पन्न किये जाते है । जिन्हें स्थानीय भेड़ पालको को निःशुल्क समय—समय पर उपलब्ध कराया जाता है । अब यह कार्य यू0एस0डब्लू0डी0बी0 उत्तरॉचल शीप द्वारा चलाया जा रहा है यही नही बोर्ड द्वारा भेड़ पालन प्रबन्धन में प्रशिक्षण उन्नत नश्ल के नर मेढे,भेड़ों की ऊन कटिग एवं ग्रेडिग तथा विपणन की व्यवस्था भी निःशुल्क प्रदत्त की जा रही है । इसके अतिरिक्त बुग्याल प्रवास के दौरान इनकी चिकित्सा,दवापान,दवास्नान आदि की भी व्यवस्था बोर्ड द्वारा सम्पन्न की जा रही है ।

¼5½ vxkjk fodkl %&

अंगोरा शशक पालन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों के 4500 से 5000 फीट की ऊॅचाई बहुत अनुकुल है । जनपद में इस उद्देश्य के विकास खण्ड डीडीहाट में अंगोरा शावक रियरिग केन्द्र की स्थापना शासन से स्वीकृत है इस हेतु डीडीहाट में भवन निर्माण हो चुका है । योजना का प्रारम्भ करने हेतु उत्तरॉचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड देहरादून को पत्र लिखा गया है । जिसका प्रारम्भ निकट भविष्य में होने की सम्भावना है । योजना के प्रारम्भ होने के उपरान्त जनपद के इच्छुक पशु पालकों को शशक पालन प्रशिक्षण देकर उन्हें अंगोरा शशक पालन कार्यक्रम में प्रोत्साहित कर उन्नत नश्ल के अंगोरा शावक उपलब्ध कराये जायेगें तथा उनसे प्राप्त ऊन के विपणन आदि की सुबिधा भी उपलब्ध कराई जायेगी । जिससे कास्तकारों की आर्थिक स्थिति सुद्ण होगी ।

¼eSuqvy &8½

cksMksZ] ifj"knksa] lfefr;ksa ,oa vU; fudk;ksa dk fooj.k

A statemeny of the Boards, Council, Committes and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or the purpose of its advise, and as to whether meeting of thrse boards, council, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meeting are accessible for public

eSuqvy&8

fo"k; lwph

d0 la0	fooj.k	ist uEcj
1	mRrjk[k.M esa i'kqikyu dk egRo ,oa mRrjk[k.M ykboLVkd MsoyiesaV cksMZ	17 ls 18
2	“kklukns'k la[;k 317 fn0 18 tqykbZ 05 tks fofHkUu cksMks ds xBu ls lacaf/kr gS	19 ls 20
3	mRrjk[k.M “khi ,.M oqy MsoyiesaV cksMZ dh LFkkiuk	21 ls 23
4	mRrjk[k.M jkT; i'kqdY;k.k cksMZ ,oa jkT; i'kq fpfdRlk ifj’kn dk xBu	24 ls 25

mRrjk[k.M e i kikyu dk egRo ,o mRrjk[k.M ykbo LVkd ckM d mnn ;

उत्तराखण्ड में गाय,भैस व अन्य पशुधन के पालन का कृषि में महत्वपूर्ण अभिन्न एवं चिरस्थायी/पारम्परिक संबंध है उत्तराखण्ड राज्य एकं कृषि प्रधान राज्य है जिसका उदय देश के 27 वे राज्य के रूप में नवम्बर 11/2000 में हुआ उत्तराखण्ड प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 53.483 वर्ग किलोमीटर है इसकी जनसंख्या 84,79,562 (वर्ष 2001) है जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत मुख्य मानदिवसों (वर्ष 2001) का सृजन होता है ।

1.1उत्तराखण्ड के 13 में से 10 जनपद पूर्णतया पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित है जहॉ का जीवन अत्यन्त कठिन एवं रोजगार के अवसर अत्यधिक कम है राज्य सरकार का प्रयास नवयुवकों को पशुपालन के प्रति प्रोत्साहित कर रोजगार के नये श्रोत सृजित करना है । वर्तमान में उत्तराखण्ड की गौ एवं महिषवंशीय पशुओं की संख्या क्रमशः 21.30 एवं 10.60 लाख है,परन्तु गौवशीय पशुओं में 95 प्रतिशत देशी (अवर्गीकृत श्रेणी) कें है जिनकी गाय का औसत दुग्ध उत्पादन 1.95 लीटर प्रति दिन है,जबकि शेष 5 प्रतिशत उन्नत नश्ल से 6.22 लीटर दुग्ध उत्पादन प्रति दिन है । उच्च कोटि के सांड़ों से प्राप्त वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उन्नत संतति प्राप्त कर राज्य के औसत दुग्ध उत्पादन में वृद्वि कर पशुपालन के प्रति नवयुवकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है । पर्वतीय क्षेत्रों के दूरस्थ एवं दुंर्गम होने के कारण 5 प्रतिशत से भी कम प्रजनन योग्य पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुबिधा उपलब्ध हो पा रही है । कृत्रिम गर्भाधान हेतु केवल वही पशु उपलब्ध होते है जो सडकों से लगे गावों में है । शासन की नीति के अनुसार जिन स्थानो पर यातायात के साधन उपलब्ध नही है उन स्थानो के लिए प्राकृतिक गर्भाधान की व्यवस्था की गई है । इसके अर्न्तगत क्षेत्र के पशुपालको को अच्छी नश्ल के गाय साडों का क्रय कर पशुपालको को निःशुल्क साड देने की व्यवस्था की गई है ताकि उन क्षेत्रो में भी अच्छी नश्ल के पशु उत्पन्न हो सके । अतः कृत्रिम गर्भाधान कार्य को अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के द्वार पर पहुचे जाने की आवश्यकता है,जिससे उन पिछडे क्षेत्रों में भी उन्नत पशु संतति उत्पन्न हो सके ।

1.2–यही परिदृष्य देश के अन्य राज्यों में भी होने के कारण नवी पंचवर्षिय योजना में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गौ एवं महिष प्रजनन परियोजना (दंजपवदंस च्तवरमबज थ्वत बंजजसम ंदक ठनसिव ठतममकपदह) को स्वीकृत किया गया था । इस योजना को कार्यान्वित किये जाने के लिए राज्यों को शत प्रतिशत अनुदान के रूप में धनराशि दी जाती हे ।

1.3–उक्त परियोजना को उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड कैटिल एण्ड बफैलों ब्रीडिग प्रोजेक्ट के रूप में कार्यान्वित करने के लिए पशुपालन विभाग उत्तरॉचन द्वारा भारत सरकार की गाईड लाइन्स के अनुसार स्टेट इम्पलीमेटिग एजेन्सी की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड शासन को प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2000 को स्वीकृत प्रदान की गई । इसके क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 407/व0ग्रा0वि0/यू0सी0बी0बी0पी0 दिनांक 15 मार्च 2001 द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेन्सी "(जंजम प्उचसमउमदजपदह । हमदबल)के रूप में उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड के गठन की स्वीकृत प्रदान की गई । तद्नुसार यू0एल0डी0बी0 का गठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अर्न्तगत रजिस्ट्रेशन नम्बर–343/2001–02 दिनांक 27 जून 2001 को किया गया ।

2.1 उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड के उददेंश्यः–

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड के उददेश्य उत्तराखण्ड कैटिल एण्ड बफैलो ब्रीडिग प्रोजेक्ट में उल्लिखित निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार निम्वत हैः

- पशु प्रजनन एवं पशुधन विकास से संबंधित संस्थागत ढाचा में सुधार उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि एवं तत्संबंधी नई संस्थाओं की स्थापना कर ऐसे निवेश से लाभ प्राप्त करने में राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता करना ।

राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर गाय एवं भैसों हेतु राज्य की पशु प्रजनन नीति के अनुरूप कार्यक्रम तैयार कर पशुधन उत्पादन में निरन्तर वृद्वि करना ।

- गैर सरकारी संस्थाओं (सहकारी समितियों,गौशालाओं, ट्रस्टों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं)आदि को संगठित/प्रोत्साहित करके गुणात्मक प्रजनन सामग्री का उत्पादन/उपार्जन करना एवं लाभार्थि/पशुपालको के द्वार पर ही पशु प्रजनन सेवायें उपलब्ध कराना ।
  अतिहिमीकृत वीर्य एवं तरल नत्रजन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से सुव्यस्थित कर निरन्त उनकी आपूर्ति करना ।
- गाय एवं भैसों के परिक्षेत्रों को आधुनिक तकनीक के अनुसार स्थापित/सुदृढ़ कर देशी एवं संकर नश्ल के उच्च प्रजाति/गुणवत्ता के साड नैसर्गिक अभिजनन हेतु तैयार करना ।
  राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं को उच्चीकृत/आधुनिकीकरण कर निरन्तर बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करके लाभाथियो एवं कार्मिकों को दक्षता में आमूल–चूल सुधार करना ।

3–1 सिद्वान्त

- गोवशीय व महिषवंशीय पशुओं के संवर्धन में लगी सभी संस्थाओं को एक ही छतरी के नीचे लाकर प्रत्येक के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों की व्यवस्था तथा उनमें आपसी/तालमेल समन्वय स्थापित किया जाना ।
- परियोजना के अर्न्तगत कार्य करने वाली समस्त इकाईयों को कालान्तर में लाभदायक संस्थाओं में स्थान्तरित किया जाना व इसके कियान्यवन लागत का लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाना ।
- ऐसे प्रयास किया जाना कि पशु–पालको की रूचि पशुपालन को व्यवसाय के रूप में चुनने के लिए बनी रहे तथा वे प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके उसका लाभ उठा सके ।

उत्तराखण्ड शासन
बन एवं ग्राम्य विकास शाखा
पशुपालन विभाग
संख्या 317 / .1 / प0पा0 / 29(15) / 2005
देहरादून दिनांक 18 जुलाई 2005
कार्यालय ज्ञाप

पशुपालन विभाग एवं उसके अर्न्तगत गठित विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभागीय देख–रेख एवं सम्यक सम्पादन / संचालन हेतु मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित संस्थाओं एवं विभागीय अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित योजनाओं / कार्यक्रमों के लिए विभागीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें और उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें ।

1–उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड (डा0 कमल सिह,मुख्य अधिशासी अधिकारी)

क–गोवशीय,महिषवंशीय पशुओं के साथ–साथ अश्व,गर्दभ ,खच्चर,याक आदि बडे पशुओं तथा सूकर से संबंधित पशु प्रजनन के समस्त कार्य / योजनाए / परियोजनायें कार्यक्रम आदि ।

ख–राज्य में संचालित विभागीय चारा विकास संबंधी समस्त कार्य / योजनाए / परियोजनायें कार्यक्रम आदि ।

ग–राज्य में संचालित होने वाले समस्त प्रकार के विभागीय(पशुपालन एवं डेरी विकास विभाग के विषयों से संबंधित) प्रशिक्षण (पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण को छोड़कर) एवं तत्संबंधी समस्त कार्य योजना / परियोजनायें / कार्यक्रम आदि ।

2– उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड (डा0ए0के0सच्चर,मुख्य अधिशासी अधिकारी) भेड़ बकरी,अंगोरा शशक आदि समस्त छोटे पशुओं से संबंधित समस्त कार्य / योजनाये परियोजनायें / कार्यक्रम आदि ।

3– उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास बोर्ड

समस्त प्रकार की कुक्कुट प्रजातियों एवं अन्य पक्षियों आदि से संबंधित समस्त कार्य योजनाए / परियोजनायें / कार्यक्रम आदि ।

4–विभागीय प्रक्षेत्रों संबंधी कार्यः

जो विभागीय प्रक्षेत्र संबंधित बोडो को हस्तान्तरित हो चुके है उनको छोडकर विभाग के शेष समस्त फामों / प्रक्षेत्रों के नोडल अधिकारी उप निदेशक,पशुपालन विभाग,पशुलाक–ऋषिकेश रहेगें और वे तत्संबंधी समस्त कार्य / योजनायें / परियोनायें / कार्यक्रम आदि का सम्पादन करेगें ।

5–अन्य विभागीय कार्य / योजनाए / परियोजनाए एवं कार्यक्रम आदि :

उपरोक्त के अतिरिक्त अवशेष समस्त विभागीय कार्य / योजनायें / परियोजनायें एवं कार्यक्रम जिनमें प्रमुख रूप से पशु चिकित्सालय,पशुऔषधालय,एस्कैड योजना,पशु चिकित्सा निदान प्रयोगशाला अनुसंधान एवं विकास आदि कार्य भी सम्मिलित होगें के नोडल अधिकारी अग्रेत्तर व्यवस्था होने तक डा0 देवेन्द्र शर्मा तकनीकी अधिकारी होगें जिनके द्वारा उपरोक्त कार्य सम्पादित किये जायेगें ।

उपरोक्त समस्त नोडल अधिकारी द्वारा अपने विषयों / फील्ड से संबंधित सूचनायें शासन / भारत सरकार एवं अन्य अधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी तथा आवश्यकतानुसार मागें जाने पर उप निदेशक, (एम0आई0एस0) पशुपालन विभाग को भी सम्प्रेषित करेगें जिससे विभाग के पास अध्यावधिक सूचना उपलब्ध रहें । उप निदेशक(एम0आई0एस0) इस हेतु सुगम प्रारूप तैयार करके संबंधित नोडल अधिकारियो को वांछित मासिक व अन्य सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु अविलम्ब प्रेषित करें जिन पर विभाग को सूचनायें प्रेषित की जाया करेगीं ।

ह0 / (नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव,

पत्राक 317 /तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव, एव आयुक्त बन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तराखण्ड शासन ।

2— अपर सचिव ,पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन ।
3— संयुक्त सचिव,पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन ।
4— अपर निदेशक,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड गोपेश्वर चमोली ।
5— उपरोक्त समस्त नोडल अधिकारियों /संस्थाओं को अनुपालनार्थ ।
6— समस्त उप निदेशक,पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड ।
7— अनुभाग अधिकारी पशुपालन विभाग,उत्त्राचल शासन ।
8— डा0 आर0एस0यादव मुख्य तकनीकी अधिकारी/नोडल अधिकारी कुक्कुट ।
9— डा0 देवेन्द्र शर्मा मुख्य तकनीकी अधिकारी/नोडल अधिकारी पशुपालन ।
10—समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड ।
11— संबंधित विभागीय प्रक्षेत्र प्रबन्धक/प्रभारी विभागीय फार्म उत्तराखण्ड ।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव,

mRrjk[k.M “kh i ,.M oy MoyeUV ckM

(Uttaranchal Sheep& Wool Development Board)

उद्देश्यः–उत्तराखण्ड में भेड़ों की मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम संचालन, बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण तथाा नस्ल सुधार कर भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन एंव अन्य उत्पाद का उचित मूल्य दिलाकर, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना । नई तकनीक की जानकारी देकर भेड पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना तथा उनके स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग करना ।

परिचय :–

• स्थापना	अक्टूबर, 2003
• मुख्यालय	देहरादून पंजीकरण संख्या 1998 दिनांक 31.10.03 (सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं0 1860 के अर्न्तगत)

संचालित कार्यक्रम

- बोर्ड द्वारा जनपद पिथौरागढ़ मे पूर्व से ही स्थापित 2 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रो, 18 भेड़ एंव ऊन प्रसार केन्द्रो का पशुपालन विभाग के सहयोग से संचालित करना।
- चिकित्सा एंव स्वास्थ्य कार्यक्रम भेड़ों में दवापान, दवास्नान, चिकित्सा, प्रजनन के अयोग्य मेढों का बधियाकरण तथा भेड़ों का टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करना ।
- नस्ल सुधार कार्यक्रम–राज्य के प्रगतिशील भेड़पालकों को उनकी भेड़ों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत प्रजनन हेतु मेंढों का निःशुल्क वितरण ।

उत्पादकता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत :–

- भेड़ों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाये जाने हेतु भेड़पालकों को शिक्षित/जागरूक करना ।
- ऊन ग्रेडिंग कार्यक्रम में भेड़ों से प्राप्त ऊन की प्राथमिक ग्रेडिंग का कार्य प्रारम्भ करना ।
- मशीन द्वारा ऊन कतरने/काटने के लिए भेड़पालकों को शिक्षित एंव जागरूक करना ।
- उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में भेड़पालकों को अपेक्षित सहायता एंव मार्ग दर्शन देना।
- भेड़पालकों को ग्राम स्तर पर भेड़ों से सम्बन्धित नवीनतम तकनीक की जानकारी देना, भेड़ों के प्रबन्धन, प्रमुख रोग एंव उनका निदान तथा मशीन द्वारा ऊन कतरन आदि विषयों पर भेड़पालकों को प्रशिक्षित/जागरूक/शिक्षित करना ।
- भेडपालकों के स्वंय सहायता समूह गठन तथा गैर राजकीय संस्थाओं के चयन/गठन में सहयोग करना ।
- कालसी (देहरादून), मुनिकीरेती(टिहरी), डुण्डा(उत्तरकाशी), मुनस्यारी(पिथौरागढ) ग्वालदम (चमोली) में पांच नये भेड बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें संचालित करना।

उत्तराखण्ड शासन

पशुपालन, मत्स्य एंव दुग्ध विकास विभाग

संख्या 568 / प0म0दु0–उ0वि0बो0 / 2003

देहरादून : दिनांक अक्टूबर, 2ण्9ण्03

:: कार्यालय ज्ञाप ::

उत्तरांचल राजय में उत्तरांचल भेड एंव ऊन विकास बोर्ड का कियान्वित करने हेतु श्री राज्यपाल ''उत्तरांचल भेड एंव ऊन विकास बोर्ड'' के निम्ननवत गठक की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड भेड एंव ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय देहरादून होगा

1. मा0पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड	पदेन अध्यक्ष
2. सचिव, पशुपालन उत्तराखण्ड शासन	पदेन उपाध्यक्ष
3. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सचिव / सदस्य
4. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड, शासन	पदेन सदस्य
5. सचिव, उधोग, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
6. मुख्य कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एंव ऊन विकास बोर्ड कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार	पदेन सदस्य
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एंव ग्रामोद्योग, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
8. प्रबन्ध निदेशक, गढवाल मंडल विकास निगम, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य

बन एवं ग्राम्य विकास शाखा
पशुपालन विभाग

उत्तराखण्ड शासन
संख्या 256 / .प / ब0ग्रा0वि0 / प0पा0वि0 / यू0एस0डब्लू0डी0बी0 / 773(2) / 2004
देहरादून दिनांक 16 अप्रैल 2004

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 568 / प0मु0दु0–ऊवि0बो0 / 03 दिनांक 29–10–03 शासनादेश सं0 56 / प0पा0 / वग्रा0वि0प0पा0 / 1050 / यू0एस0डब्लू0डी0बी0 / 2003 दिनांक 19–1–04 शासनादेश सं0 26 / पशुपालन / 04 दिनांक 19–2–04 एवं शासनादेश संख 25 / पशुपालन / 04 दिनांक 19–2–04 के संदर्भ में यू0एस0डब्लू0डी0बी0 की बैठक दिनांक 23–2–04 से हुये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड की गवर्निंग बाडी को निम्नवत पुर्नगठित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है :

1–माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार (पदेन)
2–श्री कीर्ति सिह नेगी,नई टिहरी (टीकरी गढवाल)
3–डा0एस0पी0एस0रावत,स्यूंसी (पौडी गढवाल)
4–प्रमुख सचिव,वित्त उत्तराखण्ड शासन (पदेन)
5–सचिव पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन (पदेन)
6–सचिव उद्योग,उत्तराखण्ड शासन (पदेन)
7–सचिव,बन पर्यावरण एवं जलागम,उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड शासन (पदेन)
8–कार्यकारी निदेशक केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड
वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार (पदेन) अथवा उनके नामित प्रतिनिधि
9–अपर सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन (पदेन)
10–मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तराखण्ड (पदेन)
11– प्रबन्धन निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम देहरादून (पदेन)
12–प्रबन्धक निदेशक,कूमायू मण्डल विकास निगम,नैनीताल (पदेन)
13–निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान (पदेन) अथवा उनके प्रतिनिधि
14– अपर निदेशक पशुपालन उत्तराखण्ड (पदेन)
15– रक्षा कृर्षि अनुसंधान प्रयोग शाला (डी0ए0आर0एल0) पिथौरागढ के प्रतिनिधि
16– मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एल0डी0बी0 देहरादून (पदेन)
17– निदेशक,हाईफेड रानीचैरी टेहरी गढवाल ।
18–उत्तकाशी चमोली पिथौरागढ़,बागेश्वर,टिहरी तथा चम्पावत जनपदों से एक–एक प्रगतिशील भेड़पालक जिनका नामांकन अध्यक्ष की सहमति से यू0एस0डब्लू0डी0बी0 द्वारा किया जायेगा ।
19– मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एस0डब्लू0डी0बी0 देहरादून (पदेन)
20–यू0एस0डब्लू0डी0बी0 की उपरोक्त बैठक दिनांक 23–2–04 के निर्णय के अनुसार श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड की अधिशासी कमेटी (म्गमबनजपअम ब्वउउपजजमम) का पुर्नगठन निम्नवत किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है ।

1–सचिव पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन (पदेन)
2–अपर सचिव पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन (पदेन)
3– अपर निदशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड (पदेन)
4– मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू0एल0डी0बी0 (पदेन)
5–निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि
6–प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम अथवा उनके प्रतिनिधि
7–प्रबन्ध निदेशक कुमायू मण्डल विकास निगम अथवा उनके प्रतिनिधि

8– महा प्रबन्धक खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड अथवा उनके प्रतिनिधि
9–16– मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एल0डी0बी0 (पदेन)

mRrjk[k.M i'k dY;k.k ckM

¼Uttarancal Animal Welfare Board½

1. स्थापना :– 2004
2. मुख्यालय :–पशुलोक–ऋषिकेश (देहरादून) लेन नं01, डी–26, शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड, देहरादून ।,
2. पंजीकरण संख्या :– दिनांक (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अर्न्तगत)

उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य के पशुओं के कल्याण एंव उनपर हो रहे अत्याचार को रोकने, पालतू पशुओं को अनुत्पादन होने पर लावारिस हालत मे छोड़ने पर संरक्षण दिलाने, पालतू एंव अन्य वन्य जीवों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा पशुओं की दशा सुधारने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन पर उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना ।

1- बोर्ड, निगम, निकाय होगा और उसका स्वायत्व उत्तराधिकार होना एक सामान्य मुद्रा/मुहर होगी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पति का अर्जन, धारण, और व्ययन करने की उसको शक्ति होगी। आवश्यकतानुसार अपने नाम से वाद चला सकता है या उसके नाम पर वाद चलाया जा सकता है ।

e[; dR; %&

(क) जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु भारत में प्रवृत्त विधि का अध्ययन करता रहे और ऐसी किसी विधि में समय–समय पर किये जाने वाले संशोधनों की बावत राज्य सरकार को सलाह दें ।

(ख) जीव जन्तुओं को समानयतया या विशिष्ठतया जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवहन किये जा रहे हों या जब वे अभिनयकर्ता जीव जन्तु के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हो या जब वे बन धन या प्रतिरोध में रखे गये हो तब अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने की दृष्टि से इस नियम के अधीन नियम बनाने बावत राज्य सरकार को सलाह दें ।

(ग) भारवाही जीव जन्तुओं पर भार कम करने के लिए यानों के डिजाइनों मे सुधार हेतु, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति को सलाह दें ।

(घ) शेडों, जलनादों या तद्रूप चीजों का सन्निर्माण प्रोत्साहित या उपबन्धित करने, जीव जन्तुओं के लिए पशु चिकित्सा सहायता उपबन्धित करने, पशुओं की बेहतरी के लिए उपाय करने हेतु जैसा बोर्ड ठीक समझे वैसा उपाय करे ।

(ड) बधालयों की डिजाइन या बधालयों को चलाने या जीव जन्तुओं के वध के सम्बन्ध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को सलाह दें । तांकि जहॉ तक सम्भव हो पशु को बध से पहले के कार्यक्रम अनावश्यक शारीरिक या मानसिक पीड़ा न हो। जहॉ कहीं जीव जन्तुओं को मार देना आवश्यक हो वहॉ यथा सम्भव मानवोचित रीति से किया जाये।

(च) जब कभी अवांछनीय जीव जन्तु को नष्ट किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्राधिकारीयों द्वारा या तो तुरन्त किया जाय या जीव जन्तु को अचेत करके किया जाय या जैसा बोर्ड उचित समझे वैसा उपाय करें ।

(छ) ऐसे ''पिंजरापोलों'' बचावगृहों, पशुआश्रयों, पशुधनों अन्य स्थनों जहॉ पशु पक्षी बुड़ें व बेकार हो जाने पर या जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो तब शरण पा सकें इस हेतु भवन आदि के निर्माण या स्थापना के लिये वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान दे या अन्यथा प्रोत्साहित करें ।

(ज) जीव जन्तु को अनावश्यक पीडा या यातना से बचाने के लिए या जीव जन्तु तथा पक्षियों की सुंरक्षा के लिए स्थापित संस्थाओं या निकायों के साथ सहयोग एंव उनके कार्यो का समन्वय करे ।

(झ) स्थानीय क्षेत्र में कार्यशील जीव जन्तु कल्याण संगठनों को वित्तीय या अन्य सहायता दें या किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे जीव जन्तु कल्याण संगठनों का बनाया जाना प्रोत्साहित करें। जो बोर्ड के साधारण पर्यवेक्षण एंव पथ प्रदर्शन के अधीन कार्य करें ।

(ट) जीव जन्तुओं के साथ मानोचित बरताव करने के उद्देश्य से शिक्षा/प्रशिक्षण दें, जीव जन्तुओं को अभिवर्धन के पक्ष में भाषणों, पुस्तकों, पोस्टरों या चल चित्र प्रदर्शनों एंव तदनरूप साधनों के द्वारा लोकमत बनाना या इस हेतु प्रोत्साहित करना ।

(ठ) जीव जन्तु के कल्याण व अनावश्यक पीडा यातना देने के निवारण हेतु किसी भी विषय पर सरकार को सलाह दें ।

स्वरूप एंव वर्तमान सदस्य

स्वरूप :– उत्तराखण्ड सरकार का एक उपक्रम

वर्तमान सदस्य

1. मा0 मंत्री महोदय पशुधन एंव मत्स्य उत्तराखण्ड	प्रदेश अध्यक्ष
2. राज्य सरकार द्वारा नामित (पशु कल्याण के आधार पर)उपाध्यक्ष	
3. सचिव/अपर सचिव पशुधन एंव मत्स्य उत्तराखण्ड शासन	पदेन सचिव
4. निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
5. मुख्य वन जीव संरक्षक उत्तराखण्ड	सदस्य
6. गौशाला के 10(राज्य सरकार द्वारा) चयनित प्रतिनिधि	सदस्य
7. पॉच पशुप्रेमी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
8. समाज सेवा संस्थाओं के ''दो'' सदस्य जो पशुकल्याण का कार्य कर रहे हों (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
9. प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
10. निदेशक स्थानीय निकाय उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
11. जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड का एक प्रतिनिधि(राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
12. विधान सभा के दो मा0 विधायक(राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
13. सेवा निवृत्त न्यायाधीश, न्यायिक सेवा/प्रशासनिक सेवा से जुडे दो प्रतिनिधि (उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नामित)	सदस्य

mRrjk[k.M i'k fpfdRlk ifj"kn

उद्देश्यः– भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अधिनियम की धारा 45(2) के अर्न्तगत निहित प्राविधानों के अनुसार चिकित्सा बिलों का राज्य में पंजीकरण कराने का उद्देश्य है। जिससे पशुधन के सम्बन्ध में उचित उपचार एवं पशु चिकित्सा बिलों के कर्त्तव्यों एंव दायित्वों के निर्वाह हेतु उत्तम सेवा प्राप्त की जा सके।

स्थापना जुलाई , 02

मुख्यालय सहस्त्रधार रोड देहरादून

पंजीकरण संख्या –

प्रायोजक–

लागत–

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पिथौरागढ़ ।

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 dh
/kkjk&4

17 euvyk dk lxg

Hkkx &4

euvy l[;k 9 ,o 10

mRrjk[k.M “kklu
dk;ky; e[; i k fpfdRlkf/kdkjh]fiFkkjkx< A
mRrjk[k.M

¼eSuqvy &9½

vf/kdkfj;ksa@deZpkfj;ksa dh funsZf'kdk

directory of its officers and employees

Hkkx&4

gLr ifLrdk dh lkexh

d0 l0	fooj.k	i'B l[;k
1	euvy&9 vf/kdkfj;k vkj depkfj;k dh funf kdk	1 l 11
2	euvy 10 iR;d vf/kdkjh vkj depkjh }kjk iklr ekfld ifjJfed ftle mud fofu;ek e ;Fkk micf/kr ifrdj dh i.kkyh lfEefyr g A	12 l 20

vf/kdkfj;k vkj deZpkfj;k dh funsf kdk %&

fcUnq 9& vf/kdkfj;k vkj deZpkfj;k dh funsf kdk&

विभागीय उच्चाधिकारियों एवं शासन के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर विभागीय कार्यो का सम्पादन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाता है तथा जनपद के अर्न्तगत समस्त कार्यरत पशुपालन संस्थाओ का वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य जनपद मुख्यालय से ही सम्पन्न किये जाते है जनपद में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियो का विवरण निम्न है:-

अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका						
क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	विण	मु0प0चि0अ0कार्यालय	मु0प0चि0अ0	1	डा0 जी0 एस0 धामी	
			उप मु0प0चि0अ0	1	डा0 पी0 के0 जोशी	
			वरिष्ठ प्रशा0अधिकारी	1	श्री हीरा बल्लभ फुलेरा	
			प्रशासनिक अधिकारी	1	श्री के0एन0 पुनेठा	
			मुख्य सहासक	1	श्रीके0एस0 नपलच्याल	
			प्रशासनिक अधिकारी	1	श्रीमती विमला वर्मा	
			प्रवर सहायक	1	श्रीमती सरिता टम्टा	
			प्रवर सहायक	1	श्रीमती ज्योति भट्ट	
			प्रवर सहायक	1	श्री नन्दन सिंह परिहार	
			कनिष्ठ सहायक	1	श्री पवन कुमार	
			,,	1	श्री उमेश थापा	
			,,	1	श्री महिपाल सिह	अधिसंख्यक
			,,	1	श्री राजेन्द्र सिह दुबडिया	अधिसंख्यक
			,,	1	श्रीमती हंसुली देवी	अधिसंख्यक
			,,	1	श्री बृजेश कुमार कोहली	अधिसंख्यक
			अपर सांख्यिकीय अ0	1	श्री अरविन्द मिश्रा	
			सहायक सांख्यिकीय	1	–	रिक्त
			सघन कुक्कुट वि0अ0	1	डा0 निलिमा जोशी	

		,,	मु0त0अ0डी0एफ0एस0	1	–	
		,,	मु0त0अ0 भेड़	1	–	
		,,	मुख्य प्रसार अधिकारी	1	–	
			ज्येष्ठ प्रसार अधिकारी	1	–	
		,,	कुक्कुट निरीक्षक	1	–	
		,,	चाराविकास अधिकारी	1	श्री डी0एस0सजवाण	
		,,	वाहन चालक	1	श्री मदन सिंह	
		,,	वाहन चालक	1	श्री लक्ष्मण सिंह	
		,,	चतुर्थ श्रेणी	5	श्री शेर सिंह मेहता	सम्बद्व
		,,			श्री प्रेम सिंह ऐर	
		,,			श्री हीरा सिह नेगी	
		,,			श्रीमती प्रेमा उप्रेती	
		,,	रात्रि चौकीदार		श्री धरम सिह	
		,,	सफाई नायक	1	श्रीमती सन्तोष	
	विण	कुक्कुटप्रक्षेत्र विण	मुख्य तकनीकी अधि0	1	डा0 त्रिभुवन सिंह खडायत	
			क्षेत्र प्रबन्धक	1	–	
		,,	कुक्कुट निरीक्षक	1	श्री देवराम चन्याल	
		,,	वरिष्ठ लिपिक	1	मुख्यालय पर तैनात	
		,,	विद्युतकार	1	श्री आर0पी0पंत	
		गुरना	चतुथे श्रेणी	7	श्री जगदीश चन्दनगरकोटी	
		कुमलतानाघर			श्री फकीर राम	
		नाचनी			श्रीमती मुन्नी देवी	
		विण			श्री बालकृष्ण जोशी	
		,,			श्री गिरीश चन्द्र भट्ट	
		गणकोट			श्री महेन्द्र सिंह थापा	
		विण			श्री दिनेश सिंह महर	
		,,	सफाई नायक	1	श्री प्रवेश कुमार	
	विण	प0चि0,पिथौरागढ़	प0चि0अ0	1	डा0 एम0 के0 जोशी	
		,,	मु0प0औ0	1	–	रिक्त
		,,	मु0प0औ0	1	–	रिक्त
		,,	प0औ0	1	–	रिक्त
		,,	प्रयोगशाला सहायक	1	श्री चन्द्र भुवन सिह धानिक	

1	2	3	4	5	6	7
	विण	प0चि0, पिथौरागढ़	प0प्र0अ0	1	श्री अनुज कपूर	
		,,	चतुर्थ श्रेणी	4	श्री रमेश चन्द्र मखोलिया	
		,,			श्री खुशाल सिंह	
		,,			श्री त्रिलोक सिंह	
		,,			श्री गंगा सिह	प्रशिक्षण
		,,			डा0 दीप्ति जोशी	
		प0से0के0 नैनीसैनी		1	श्री ललित मोहन पुनेड़ा	
		प0चि0,पिथौरागढ़	सफाई नायक	1	श्री रणजीत लाल	
	विण	प0चि0, सिन्तोली	प0चि0अ0	1	–	रिक्त
		,,	प0औ0	1	श्री पी0 डी0 पन्त	
		,,	चतुर्थ श्रेणी	1	श्री लालमणि फुलेरा	
			स्वच्छक	1	श्री धीरज भारती	
	विण	प0चि0, जाखपुरान	प0चि0अ0	1	डा0 एस0एस0 गर्ब्याल	
		,,	प0औ0	1	श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी	
		,,	चतुर्थ श्रेणी	2	श्री शंकर दत्त भट्ट	संम्बद्व
		,,			श्री चन्द्र सिंह मेहता	
		,,	सफाई नायक	1	श्री किशोरी लाल	
	विण	पशुसेवा केन्द्र,गुरना	प0प्र0अ0	1	श्री भुवन चन्द्र जोशी	
	विण	प0से0के0,सेरीकुम्डार	प0प्र0अ0	1	श्रीमती ऋतु जोशी	
	विण	प0से0के0नैनीसैनी	प0प्र0अ0	1	श्री बी0डी0भट्ट	
	विण	प0से0के0खड़कूभल्या	,,	1	–	
	विण	,, कुमयाचौड़	,,	1	–	
	विण	,, खतीगांव	,,	1	श्री बी0डी0 जोशी	
	विण	,, विण	,,	1	श्री सौरभ भटट	प्रशि0
2	मूनाकोट	प0चि0 मूनाकोट	प0चि0अ0	1	डा0 एस0 एस0 सामन्त	
		,,	प0औ0	1	श्री प्रेम राम	
		,,	चतुर्थ श्रेणी	3	श्री पुष्कर सिंह	
		,,			श्री पूरन चन्द्र पंत	
		,,			श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय	
	मूनाकोट	प0चि0झूलाघाट	प0चि0अ0	1	डा0 मनीष सिह नेगी	
		,,	प0औ0	1	श्री आर0डी0 पाटनी	
		,,	चतुर्थ श्रेणी	2	श्री चन्द्र शेखर कापड़ी	

1	2	3	4	5	6	7
	मूनाकोट	प0चि0 झूलाघाट	चतुर्थ श्रेणी	1	–	
		,,	स0ना0	1	श्री सन्नू लाल	
		प0से0के0मरसोली	प0प्र0अ0	1	श्रीमती लुब्ना पंत	
		,, सल्ला	,,	1	–	
		,, सौन गाव	,,	1	श्री शिवराज सिंह	
		,, शकुन	,,	1	श्रीमती प्रमिला गोबाडी	
		,, सातशिलिंग	,,	1	श्री महेन्द्र सिंह मेहरा	
		,, मढ़मानले	,,	1	बिरेन्द्र सिह पल्याल	
		,, चौपाता	,,	1	–	
		,, गौड़ीहाट	,,	1	श्री प्रमोद कुमार	
		,, सिरकुच	,,	1	श्री एस0बी0 सिह	
	मूनाकोट	प0चि0 बड़ावे	प0चि0अ0	1	डा0 दीपा रिगंवाल	
			प0औ0	1	श्री बी0डी0 पुनेठा	
			चतुर्थ श्रेणी	1	श्री पिर राम	
			स्वच्छक	1	श्री दीप चन्द्र	सम्बद्व
3	कनालीछीना	प0चि0कनालीछीना	प0चि0अ0	1	–	
		,,	प0औ0	1	श्री विपिन चन्द्र जोशी	
		,,	चतुर्थ श्रेणी	3	श्री चन्द्रशेखर कापड़ी	
		,,			श्री प्रकाश चन्द्र कापड़ी	
					श्री हरीश कुमार कसौदी	सम्बन्द्व
			स्वच्छक	1	श्री मुकेश कुमार	सम्बद्व
	कनालीछीना	प0चि0पीपली	प0चि0अ0	1	डा0 सुनिल गिरी	
		,,	प0औ0	1	श्री रमेश चन्द्र मखौलिया	
		,,	चतुर्थ श्रेणी	2	श्री गिरीश चन्द्र कापड़ी	
					श्री नरी राम	
	कनालीछीना	प0चि0, भागीचौरा	प0चि0अ0	1	–	रिक्त
			प0औ0	1	–	रिक्त
			चतुर्थ श्रेणी	2	श्री पीताम्बर पाण्डेय	
					श्री मनोहर जोशी	
	कनालीछीना	प0चि0, अस्कोट	प0चि0अ0	1	–	रिक्त
			प0औ0	1	श्री देवकी नन्दन पाण्डे	
			चतुर्थ श्रेणी	2	श्री राजेन्द्र प्रसाद	
					श्रीमती कौशल्या देवी	
					–	
			स्वच्छक	1	श्री अमित कुमार	सम्बद्व
	कनालीछीना	प0से0के0 सिलचमू	प0प्र0अ0	1	–	

1	2	3	4	5	6	7
	कनालीछीना	प0से0के0 रसैपाटा	प0प्र0अ0	1	श्री के0 डी0 कापडी	
		,, देवलथल	प0प्र0अ0	1	श्री विनीत चन्द्र पन्त	
			चतुर्थ श्रेणी	1	श्री विक्रम सिंह बिष्ट	
		,, सिंगाली	प0प्र0अ0	1	श्री उमेद सिंह विष्ट	
		,, हचीला	प0प्र0अ0	1	श्री शेर सिंह जिमिवाल	
4	डीडीहाट	प0चि0, डीडीहाट	प0चि0अ0	1	डा0 तरूण कुमार गर्ग	
			प0औ0	1	श्री दीवानी राम	
			चतुर्थ श्रेणी	4	–	
					श्री जगत सिह बसेडा	
					श्री नन्दन सिंह चोहान	
					–	
	डीडीहाट	प0चि0, थल	प0चि0अ0	1	डा0वरूणकुमार अग्रवाल	
			प0औ0	1	श्री मथुरा दत्त जोशी	
			चतुर्थ श्रेणी	3	श्री भगवान सिह कार्की	
					श्री रामी चन्द	
			स्वच्छक	1	–	
	डीडीहाट	प0से0के0,चौबाटी	प0प्र0अ0	1	–	रिक्त
		,, खेतार	प0प्र0अ0	1	श्री आर0एस0थापा	
		,, जौरासी	प0प्र0अ0	1	श्री सतेन्द्र चुफाल	
		,, लामाघर	प0प्र0अ0	1	–	रिक्त
		,, सेरासोनाली	प0प्र0अ0	1	–	रिक्त
5	बेरीनाग	प0चि0, बेरीनाग	प0चि0अ0	1	डा0 प्रणव अग्रवाल	सम्बद्व
			प0औ0	1	श्री सी0एस0पंत	
			चतुर्थ श्रेणी	3	श्री नवीन चन्द्र कोठारी	सम्बद्व
					श्री हरमल सिह	
					श्री गोपाल राम	
	बेरीनाग	प0चि0, पॉखू	प0चि0अ0	1	डा0 भूपेन्द्र सिह बिष्ट	
			प0औ0	1	–	
			चतुर्थ श्रेणी	2	श्री भूपाल सिंह	
					–	

1	2	3	4	5	6	7
	बेरीनाग	प0से0के0, जयनगर	प0प्र0अ0	1	श्री सुरेश चन्द्र पाठक	
		,, मुवानी	प0प्र0अ0	1	श्रीमती हेमा जोशी	
		,, आमथल	प0प्र0अ0	1	श्री बिजेन्द्र कुमार	
			चतुर्थ श्रेणी	1	–	
		,, पुरानाथल	प0प्र0अ0	1	श्री बिनोद कुमार	
		,, चामाचौड़	प0प्र0अ0	1	श्री डी0पी0पंत	
		,, कोटमन्या	प0प्र0अ0	1	–	
6	गंगोलीहाट	प0चि0, गंगोलीहाट	प0चि0अ0	1	डा0 राजीव कुमार	
			प0औ0	1	–	
			चतुर्थ श्रेणी	4	श्री जगदीश चन्द्र	
					श्री हरीश लाल वर्मा	
					श्रीमती राजुली देवी	
		प0चि0, गणाई	प0चि0अ0	1	–	रिक्त
			प0औ0	1	श्री उर्वादत्त उप्रेती	
			चतुर्थ श्रेणी	2	श्रीकुशाल सिंह रोतेला	
			स्वच्छक		श्रीमती सारदा देवी	
		प0चि0 चौरपाल	प0चि0अ0	1	–	रिक्त
			अनवाल	सम्बद्व	श्री राम सिह,अनवाल	सम्बद्ध
		प0चि0, पव्वाधार	प0चि0अ0	1	डा0 मोहन आर्या	
			प0औ0	1	श्री एल0पी0पंत	
			चतुर्थ श्रेणी	2	श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट	
					–	
	गंगोलीहाट	प0से0के0, राममंदिर	प0प्र0अ0	1	–	
		,, पोखरी	प0प्र0अ0	1	श्री राजेश पाठक	प्रशि0
				1	–	
		,, बनकोट	प0प्र0अ0	1	–	
		,, पिल्खी	प0प्र0अ0	1	–	
		,, बज्यूड़ा	प0प्र0अ0	1	श्रीमती रमा आर्या	
		,, चहज	प0प्र0अ0	1	–	
		,, चौनाला	प0प्र0अ0	1	श्री हरीश पन्त	प्रशिक्षण
7	धारचूला	प0चि0, धारचूला	प0चि0अ0	1	डा0 के0 के0 जोशी	

1	2	3	4	5	6	7
	धारचूला		प0औ0	1	श्री एम0एस0 हयाकी	
			चतुर्थ श्रेणी	4	श्री धन सिंह पालीवाल	
					श्री बीर सिंह धामी	
					श्री हरीदत्त भट्ट	
					श्री भीमजीत सिंह	
			स्वच्छक	1	श्रीमती पिंकी देवी	
	धारचूला	प0चि0, खेत	प0चि0अ0	1	डा0 सर्वेश्वर उनियाल	
			प0औ0	1	–	रिक्त
			चतुर्थ श्रेणी	1	श्री दुर्गा सिह नेगी	
			चतुर्थ श्रेणी	1	श्रीमती भागीरथी देवी	
	धारचूला	प0चि0, बलुवाकोट	प0चि0अ0	1	डा0 पी0के0 द्विवेदी	सम्बद्व
			प0औ0	1	श्री त्रिलोक मणि भट्ट	
			चतुर्थ श्रेणी	2	–	
					श्री रतन सिह, अनवाल	सम्बद्व
			स्वच्छक	1	श्री हरपाल	
	धारचूला	प0चि0, जौलजीबी	प0चि0अ0	1	डा0 बीना बिष्ट	
			प0औ0	1	–	रिक्त
			चतुर्थ श्रेणी		श्री मुन्ना लाल	
					श्री केशव दत्त पाण्डेय	
			स्वच्छक	1	–	
	धारचूला	प0चि0, बरम	प0चि0अ0	1	–	रिक्त
			प0औ0	1	–	रिक्त
			चतुर्थ श्रेणी	3	श्री जोगा राम	
					श्री बिनोद कुमार, अनवाल	सम्बद्व
					–	
			स्वच्छक	1	श्री हर लाल	सम्बद्व
	धारचूला	प0से0के0, सिर्द्वांग	प0प्र0अ0	1	श्री कबिन्द्र सिह धामी	
		,, खेला	प0प्र0अ0	1	–	
		,, पय्यापौड़ी	प0प्र0अ0	1	–	
		,, कनार	प0प्र0अ0	1	–	
		,, चामी	प0प्र0अ0	1	श्री संजय कुमार	
	धारचूला	मेढ़ा केन्द्र,जिप्ती	प0प्र0अ0	1	–	

1	2	3	4	5	6	7
	धारचूला	मेढ़ा केन्द्र, जिप्ती	अनवाल	2	–	
					–	
		,, रॉथी	प0प्र0अ0	1	–	
			अनवाल	2	श्री किशन राम	सम्बद्व
					–	
		,, दरतीजम	प0प्र0अ0	1	श्री श्याम नारायण	
			अनवाल	2	धनजीत कुमार	
					श्री उजली राम	सम्बद्व
		,, सुवा	प0प्र0अ0	1	–	
			अनवाल	2	–	
					–	
		,, जाराजीबली	प0प्र0अ0	1	श्री राजीव धर्मसत्तु	
			अनवाल	2	श्री शेर सिह कोरंगा	
					–	
		,, पॉगू	प0प्र0अ0	1	–	
			अनवाल	2	–	सम्बद्व
					–	
		,, कुरीला	प0प्र0अ0	1	–	
			अनवाल	2	श्री बाला सिह	सम्बद्व
					–	
		,, खुमती	प0प्र0अ0	1	–	
			अनवाल	2	श्री रतन सिंह	सम्बद्व
					–	
	धारचूला	भेड़ फार्म, पॉगू	प0चि0अ0	1	डा0 दीपमणि मुप्ता	
			प0प्र0अ0	1	श्री विक्रम सिहगण्डी	
			अनवाल	7	श्री किशन सिंह	
					श्री सुरेन्द्र सिंहअल्मिया	
					श्री हयात सिंहबिष्ट	
					श्री हयात राम	
					श्री गंगा गिरी	
					–	

1	2	3	4	5	6	7
	धारचूला	भेड़ फार्म, पॉगू	अनवाल		श्री सुरेश राम	
			स्वच्छक	1	श्री सतेन्द्र कुमार	
8	मुनस्यारी	प0चि0, मुनस्यारी	प0चि0अ0	1	डा0बिजयपाल प्रजापति	
			प0औ0	1	—	रिक्त
			चतुर्थ श्रेणी	5	श्रीदयानसिह मर्तोलिया	
					श्री प्रताप गिरी	सम्बद्व विण/सदर
					श्री हयात सिंह पापड़ा	
					श्री पुष्कर सिह मेहता	सम्बद्व
					श्रीमती कुन्ती देवी	
			स्वच्छक	1	श्री मुकेश कुमार	
	मुनस्यारी	प0चि0, मदकोट	प0चि0अ0	1	डा0 मालिनी पन्त	
			प0औ0	1	—	रिक्त
			चतुर्थ श्रेणी	2	श्री मोहन सिंह जंगपा0	संम्बद्व
					श्री हुकुम सिंह	
					श्रीआन सिह चिलकोटी	
			स्वच्छक	1	श्री बाबू लाल	सम्बद्व,विण
	मुनस्यारी	प0चि0, नाचनी	प0चि0अ0	1	—	रिक्त
			प0औ0	1	श्री कल्याण राम	
			चतुर्थ श्रेणी	2	श्री प्रेम सिह वृथवाल	
					श्री मुन्नी देवी	
					—	
	मुनस्यारी	प0चि0,तेजम	प0चि0अ0	1	डा0 संजय सिह बसेडा	
			प0औ0	1	—	
			चतुर्थ श्रेणी	1	श्री दुर्गा सिह मेहता	सम्बद्व.विण
					श्रीमती बसन्ती देवी	
					—	
			स्वच्छक	1	श्री राजवीर सिह	
	मुनस्यारी	प0से0के0, क्वीटी	प0प्र0अ0	1	—	
			चतुर्थ श्रेणी	1	—	
		,, केठी	प0प्र0अ0	1	—	
		,, दुम्मर	प0प्र0अ0	1	—	
			चतुर्थ श्रेणी	1	—	सम्बद्व.मुन.

1	2	3	4	5	6	7
	मुनस्यारी	प0से0के0, मुवानीदवानी	प0प्र0अ0	1	—	
		,, बांसबगड़	प0प्र0अ0	1	—	
		,, खतेड़ा	प0प्र0अ0	1	—	
		,, सेरा	प0प्र0अ0	1	—	
	मुनस्यारी	मेढ़ा केन्द्र मुनस्यारी	प0प्र0अ0	1	श्रीएम0एस0फर्सवाण	
			अनवाल	2	श्री मान सिंह दानू	
					श्रीमोहन सिंहरावत	
		,, बुईपातों	प0प्र0अ0	1	—	
			अनवाल	2	श्रीबहादुरसिंहसुमदिय	
					—	
		,, गांधीनगर	प0प्र0अ0	1	—	
			अनवाल	2	—	
					—	
		,, समकोट	प0प्र0अ0	1	—	
			अनवाल	2	—	सम्बद्व
					—	
		,, बोना	प0प्र0अ0	1	श्री बिरेन्द्र कुमार	
			अनवाल	2	—	
					—	
		,, नामिक	प0प्र0अ0	1	—	
			अनवाल	2	—	सम्बद्व
					—	
		,, जीमिया	प0प्र0अ0	1	—	
			अनवाल	2	श्री दुर्गा सिंहसुयाल	सम्बद्व.मुन
					—	
		,, केठी	प0प्र0अ0	1	—	
			अनवाल	2	श्रीउत्तमराम कोटाल	सम्बद्व
					—	
		,, होकरा	प0प्र0अ0	1	—	
			अनवाल	2	—	

1	2	3	4	5	6	7
	मुनस्यारी	मेढ़ा केन्द्र, उछैती	प0प्र0अ0	1	—	
			अनवाल	2	—	
					श्रीमती चनी देवी	
	मुनस्यारी	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बारापट्टा	प0चि0अ0	1	डा0 राजीव कुमार	
			प0प्र0अ0	1	श्रीकुवरसिंह मेहता	
			अनवाल		श्री दीवान सिह मेहता	
				1	श्री खीम राम	
				1	श्री शेर सिंह महर	
				1	श्री डिगर सिह बसेड़ा	
				1	श्री दान सिंह महर	
				1	श्री इन्द्र सिंह मर्तोलिया	
				1	श्रीमतीनदुली देवी	
				1	श्री दयान सिंह बृथवाल	
				1	श्री भगत सिह पापडा	

¼eSuqvy &10½

izR;sd vf/kdkjh vkSj deZpkjh

}kjk izkIr ekfld ikfjJfed vkSj

mlds fu/kkZj.k dh Ik)fr

fo'k; lwph

dz0 la0	fooj.k	i`"B uEcj
1	eq[; iktq fpfdRlkf/kdkjh ds vf/k'Bku esa dk;Zjr foHkkxh; vf/kdkfj;ksa@deZpkfj;ksa ds ekfld HkRrk fooj.k	12 ls 19

fcUnq 11& viuh iR;sd vf/kdkjh vkSj deZpkjh }kjk ikIr ekfld ikfjJfed vkSj mlds fu/kkZj.k dh i}fr ¼iz'kklu foHkkx tuin&fiFkkSjkx<+ ½

क0 सं0	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक माह 3／14	पारितोषिक ／ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्णय की पद्वति
1	2	3		5	6
1	डा0 जी0 एस0 धामी	मु0प0चि0अ0	73305.00	–	शासन द्वारा समय–2 पर गठित वेतन समिति के निर्णय की पद्वति के आधार पर
2	डा0 पी0 के0 जोशी	उ0मु0प0चि0अ0	60878,00	–	,,
3	डा0 त्रिभुवन सिंह	प0चि0अ0	67225.00	–	,,
4	डा0मनोज कुमार जोशी	,,	57978.00	–	,,
5	डा0 लाल सिंह सामन्त	,,	55393.00	–	,,
6	डा0 दीपा रिगंवाल	,,	36881.00	–	,,
7	डा0 राजीव कुमार	,,	80103.00	–	,,
8	डा0 मनीष नेगी	,,	64915.00	–	,,
9	डा0 वरूण कुमार	,,	68274.00	–	,,
10	डा0 दीप्ति पाण्डे	,,	volrfud	–	,,
11	डा0 मोहन आर्या	,,	66315-00	–	,,
12	डा0 संजय बसेडा	,,	54752.00	–	,,
13	डा0 सुनिल गिरी	,,	51426.00	–	,,
14	डा0 निलिमा जोशी	,,	-	–	,,
15	डा0 के0 के0 जोशी	,,	64262.00	–	,,
16	डा0 सुरेन्द्र सिह गर्ब्याल	प0चि0अ0	60220.00	–	,,
17	डा0 बीना बिष्ट	,,	48667.00	–	,,
18	डा0 सर्वेश्वर उनियाल	,,	48667.00	–	,,
19	डा0 दीप मणि गुप्ता	,,	55898.00	–	,,
20	डा0 तरूण कुमार गर्ग	,,	68274.00	–	,,
21	डा0 बिजयपाल प्रजापति	,,	57887.00	–	,,
22	डा0 मालिनी पन्त	,,	41360.00	–	,,
23	डा0 राजीव कुमार	,,	41200.00	–	,,
24	डा0 प्रणव अग्रवाल	,,	72032.00	–	,,
25	डा0 भूपेन्द्र सिह बिष्ट	,,	volrfud	–	,,
26	डा0 पी0 के0 द्विवेदी	,,	44905.00	–	,,
27	डा0 प्रणव अग्रवाल	,,	58261.00	–	,,

1	2	3	4	5	6
28	श्रीमती प्रमीला गोवाडी	,,	32030.00	—	शासन द्वारा समय–2 पर गठित वेतन समिति के निर्णय की पद्वति के आधार पर
29	श्री हरीश चन्द्र पन्त		vo|rfud	—	प्रशिक्षण में
30	,, केशव दत्त कापड़ी	,,	43389.00	—	,,
31	,, भूवन चन्द्र जोशी	,,	24849.00	—	,,
32	,, बी0डी0 भट्ट	,,	48193.00	—	,,
33	श्री सौरभ भट्ट	,,	29845.00	—	,,
34	श्रीमती ऋतु जोशी	,,	33149.00	—	,,
35	,, रमेश सिंह थापा	,,	34015.00	—	,,
36	,,एम0एस0 माहरा	,,	47782.00	—	,,
37	,, शेर सिंह जीमिवाल	,,	46657.00	—	,,
38	,, अनुज कपूर	प0प्र0अ0.	36546.00	—	,
39	श्री सतेन्द्र सिंह चुफाल	,,	31045.00	—	,,
40	श्री संजय कुमार	,,	31765.00	—	,,
41	श्रीमती लुब्ना पन्त	,,	33729.00	—	
42	,, सुरेश चन्द्र पाठक	,,	48155.00	—	,,
43	श्री देवेन्द्र प्रसाद पंत	प0प्र0अ0	48193.00	—	
44	श्री राजेश पाठक	,,	29845.00	—	शासन द्वारा समय–2 पर गठित वेतन समिति के निर्णय की पद्वति के आधार पर
45	,, देव राम चन्याल	,,	36126.00	—	,,
46	,, बी0डी0 जोशी	,,	45989.00	—	,,
47	,, उम्मेद सिंह बिष्ट	,,	42226.00	—	,,
48	,, शमशेर बहादुर सिंह	,,	47782.00	—	,,
49	,, कुवर सिंह मेहता	,,	48104.00	—	,,
50	,, एम0एस0फर्सवाण	,,	46793.00	—	,,
51	,, विक्रम सिंह गण्डी	,,	36695.00	—	,,
52	,, कलम सिंह धामी	,,	36666.00	—	,,
53	श्रीमती रमा आर्या	,,	31120.00	—	,,
54	श्री प्रमोद कुमार	,,	31765.00	—	,,
55	श्री शिवराज सिह	,,	42405.00	—	,,
56	श्री कबीर सिह धामी	,,	25569.00	—	,,
57	,, विनीत चन्द्र पंत	,,	23324.00	—	,,
58	,, बिरेन्द्र सिह पल्याल	,,	25569.00	—	,,
59	,, विनोद कुमार	,,	24349.00	—	,,
60	,, बिरेन्द्र कुमार आर्या	,,	24449.00	—	,,

61	,, अंकुश चौहान	,,	24904.00	—	,,
62	,, श्याम नारायण	,,	255690.00	—	,,
63	,, राजीव सिह	,,	255690.00	—	,,
64	श्रीमती हेमा जोशी	,,	23804.00	—	,,
65	श्री मनोज कुमार	,,	24924.00	—	,,
66	श्री अंकुश चौहान	,,	24904.00		,,

67	2	3	4	5	6
68	श्री सुरेन्द्र चन्द्र पन्त	लेखाकार.	30745.00	—	,,
69	,, कुन्दन सिंह नपलच्याल	मु0स0	36536.00	—	,,
70	,, के0 एन0 पुनेठा	प्र0अधि0	38001.00		,,
71	श्रीमती विमला वर्मा	प्रशा0अधि0	41942.00	—	,,
72	,, हीराबल्लभ फुलेरा	व0प्र0 अ0	42211.00	—	,,
73	श्रीमती सरिता टम्टा	प्र0स0	31218.00	—	,,
74	श्रीमती ज्योति भट्ट	,,	31638.00	—	,,
75	श्री नन्दन सिंह परिहार	,,	30765.00	—	,,
76	श्री राजेन्द्र सिह दुबडिया	क0स0	16968.00	—	अधिसंख्याक
77	श्री पवन कुमार	,,	20058.00	—	नियमित
78	श्री उमेश थापा	,,	19983.00	—	,,
79	,, महिपाल सिह	,,	19834.00	—	अधिसंख्याक
80	,, बृजेश कुमार कोहली	,,	17198.00	—	अधिसंख्यक
81	श्रीमती हंसुली देवी	,,	17198.00		,,
82	,, अरविन्द कुमार मिश्रा	सांख्यिकीय	45624.00	—	नियमित
83	,, डी0एस0 सजवाण	च0वि0अ0	53837.00	—	,,
84	,, मदन सिह	चालक	31784.00	—	,,
85	,, लक्ष्मण सिह	चालक	19964.00	—	,,
	—	मु0प0औ0	रिक्त	—	शासन द्वारा समय–2 पर गठित वेतन समिति के निर्णय की पद्वति के आधार पर
86	,, पुष्कर दत्त पंत	प0औ0	36562.00	—	,,
87	,, देवकी नन्दन पाण्डे	,,	37342.00	—	,,
88	,, भाष्कर दत्त पुनेठा	,,	39281.00	—	,,
89	,, रमेश चन्द्र मखौलिया	,,	38982.00	—	,,
90	,, प्रेम राम चन्याल	,,	39281.00	—	,,
91	,, मथुरा दत्त जोशी	,,	44994.00	—	,,
92	,, दिवानी राम	,,	36561.00	—	,,
93	,, रघुवर दत्त पाटनी	,,	39251.00	—	,,
94	,, कल्याण राम	,,	38902.00	—	,,
95	,, राजेन्द्र प्रसाद जोशी	,,	36142.00	—	,,
96	,, त्रिलोकमणि भट्ट	,,	29994.00	—	,,
97	,, महेन्द्र सिंह ह्यांकी	,,	37081.00	—	,,

1	2	3	4	5	6
98	,, उर्वादत्त उप्रेती	,,	36561.00	—	,,
99	,, चन्द्रशेखर पंत	,,	32019.00	—	,,
100	,, विपिन चन्द्र जोशी	प0औ0	30697.00	—	,,
101	,, ललिता प्रसाद पंत	,,	51672.0	—	,,
102	,, राजेन्द्र प्रसाद पंत	विद्युतकार	23565.00	—	,,
103	श्रीमती प्रेमा उप्रेती	च0श्रे0	23814.00	—	,,
104	,, बालकिशन जोशी	,,	25739.00	—	,,
105	,, हीरा सिह नेगी	,,	25688.00	—	,,
106	,, खुशाल सिंह फर्सवाण	,,	26893.00	—	,,
107	,, रमेश चन्द्र मखौलिया	,,	26703.00	—	,,
108	,, गोविन्द राम	,,	24494.00	—	,,
109	,, पूरन चन्द्र पंत	,,	23354.00	—	,,
110	,, महेन्द्र सिंह	,,	21514.00	—	,,
111	,,जगदीशचन्द्र नगरकोटी	,,	19225.00	—	,,
112	,, त्रिलोक सिंह, सौन	,,	20817.00	—	,,
113	,, गिरीश चन्द्र भट्ट	,,	22309.00	—	,,
114	श्री धरम सिहं मेंहरा	च0श्रे0	18081.00	—	,,
115	श्री गंगा सिंह नेगी	,,	18781.00	—	,,

1	2	3	4	5	6
115	,, प्रकाश चन्द्र कापड़ी	,,	25319.00	—	शासन द्वारा समय–2 पर गठित वेतन समिति के निर्णय की पद्वति के आधार पर
116	,, शंकर दत्त भट्ट	,,	26575.00	—	,,
117	,, हरीश चन्द्र पाण्डेय	,,	27466.00	—	,,
118	,, फकीर राम	,,	26459.00	—	,,
119	,, लालमणि फुलेरा	,,	25568.00	—	,,
120	,, नरी राम	,,	26149.00	—	,,
121	,, पिर राम	,,	26003.00	—	,,
122	,, जगदीश राम	,,	21406.00	—	,,
123	,, ललित मोहन पुनेड़ा	,,	24494.00	—	,,
124	,, चन्द्रशेखर कापड़ी 1	,,	24570.00	—	,,
125	,, चन्द्रशेखर कापड़ी 2	,,	23639.00	—	,,
126	,, विक्रम सिंह	,,	23481.00	—	,,
127	,, प्रेम सिंह ऐर	,,	21379.00	—	,,
128	,, पुष्कर सिंह विष्ट	,,	25419.00	—	,,
129	,, गिरीश चन्द्र कापडी,	,,	25490.00	—	,,
130	,, दिनेश सिंह महर	,,	17316.00	—	,,
131	श्री मनोज कुमार	,,	18712.00	—	,,
132	श्री श्याम सिह धामी	,,	25658.00	—	,,
133	,, उमेद सिंह मेहता	,,	26759.00	—	,,
134	,, जगत सिंह बसेडा	,,	26062.00	—	,,
135	,, मान सिंह दानू	,,	24978.00	—	,,
136	,, हुकुम सिंहकालाकोटी	,,	26459.00	—	,,
137	,, नन्दन सिंह चौहान	,,	24749.00	—	,,
138	,, खीम राम	,,	24256.00	—	,,
139	,, किशन सिंह रौतेला	,,	25339.00	—	,,
140	श्रीमती कुन्ती देवी	,,	19905.00	—	,,

1	2	3	4	5	6
141	—	,,	—	—	शासन द्वारा समय–2 पर गठित वेतन समिति के निर्णय की पद्वति के आधार पर
142	,, प्रेम सिह बृथवाल	,,	26459.00	—	,,
143	,, दुर्गा सिह नेगी	,,	19411.00	—	,,
144	श्री दुर्गा सिंह मेहता	,,	20321.00	—	,,
145	,, हयात सिंह बिष्ट	,,	22239.00	—	,,
146	,, उत्तम राम कोटाल	,,	25339.00	—	,,
147	श्री दीवान सिंह मेहता	,,	25339.00	—	,,
148	,, मोहन सिंह रावत	,,	20501.00	—	,,
149	,, आन सिंह चिलकोटी	,,	25339.00	—	,,
150	,, प्रताप गिरी	,,	23002.00	—	,,
151	,, हयात सिंह पापड़ा	,,	25586.00	—	,,
152	,, उजली राम	,,	24978.00	—	,,
153	,, पीताम्बर दत्त पाण्डेय	,,	26706.000	—	,,
154	,, चन्द्र सिंह मेहता	,,	21026.00	—	,,
155	,, धन सिंह पालिवाल	,,	24348.00	—	,,
156	,, जोगा राम	,,	23392.00	—	,,
157	,, मनोहर जोशी	,,	25254.00	—	,,
158	श्रीमती भागीरथी देवी	,,	23078.00	—	,,
159	श्री गंगा गिरी	,,	22109.00	—	,,
160	,, पुष्कर सिंह मेहता	,,	23772.00	—	,,
161	,, बीर सिंह धामी	,,	22964.00	—	,,
162	श्री सुरेश राम	,,	19601.00	—	,,
163	श्री राम सिंह मेहता	,,	21432.00	—	,,
164	श्रीमती चनी देवी	,,	22432.00	—	,,
165	,, भगवान सिंह कार्की	,,	23544.00	—	,,
166	,, बहादुर सिंह सुमत्याल	,,	24038.00	—	,,
167	,, मुन्ना लाल	,,	23639.00	—	,,
168	,, चन्द्र भुवन सिह धानिक	,,	21139.00	—	,,

1	2	3	4	5	6
169	,, शेर सिंह कोरंगा	,,	18514.00	—	शासन द्वारा समय–2 पर गठित वेतन समिति के निर्णय की पद्वति के आधार पर
170	,, हयात राम	,,	22964.00	—	,,
171	,, शेर सिंह महर–	,,	22128.00	—	,,
172	श्री शेर सिंह मेहता	,,	22204.00	—	,,
173	,, भीमजीत सिंह	,,	24864.00	—	,,
174	,, दयान सिंह बृथवाल	,,	22166.00	—	,,
175	श्री बाला सिंह विष्ट	,,	25984.00	—	,,
176	,, रतन सिंह	,,	22109.00	—	,,
177	,, हरी दत्त भटट	,,	22964.00	—	,,
178	श्रीमती नदुली देवी	,,	22812.00	—	,,
179	श्री सुरेन्द्र सिंह अल्मिया	,,	22204.00	—	,,
180	,, भगत सिंह पापड़ा	,,	22812.00	—	,,
181	,, दयान सिह मर्तोलिया	,,	24589.00	—	,,
182	,, दान सिंह महर	,,	19981.00	—	,,
183	श्री मोहन सिंह जंगपांगी	,,	24162.00	—	,,
184	,, डिगर सिंह बसेडा	,,	24864.00	—	,,
185	,, दुर्गा सिंह सुवाल	,,	25339.00	—	,,
186	,, राजेन्द्र प्रसाद	,,	22736.00	—	,,
187	श्रीमती कौशल्या देवी	,,	18879.00	—	,,
188	श्रीमती बसंती देवी	,,	18630.00	—	,,
189	श्री विनोद कुमार आर्या	,,	17910.00	—	,,
190	श्री केशव दत्त पाण्डेय	,,	18630.00	—	,,
191	श्री धनजीत कुमार	,,	19234.00	—	,,
192	श्री किशन राम	,,	Absent	—	,,
193	,, हरीश कुमार कशौदी	,,	18958.00	—	,,
194	,, गोपाल राम	,,	25378.00	—	,,
195	श्री रामी चन्द	,,	19501.00	—	,,
196	,, भूपाल सिंह	,,	22309.00	—	,,
197	श्रीमती राजुली देवी	,,	absent	—	एक साल से अनुपस्थित है

1	2	3	4	5	6
198	श्री नवीन चन्द्र कोठारी	,,	17892.00	—	शासन द्वारा समय–2 पर गठित वेतन समिति के निर्णय की पद्वति के आधार पर
199	श्रीजगदीशचन्द्रधारीयाल	,,	24658.00	—	,,
200	,, हरमल सिंह	,,	21349.00	—	,,
201	,, कुशाल सिंह रौतेला	,,	25550.00	—	,,
202	श्रीमती मुन्नी देवी	,,	15249.00	—	,,
203	,, हरीश लाल वर्मा	,,	Absent	—	,,
204	,, प्रकाश चन्द्र भट्ट	,,	19653.00	—	,,
205	,, इन्द्र सिंह मर्तोलिया	,,	22166.00	—	,,
206	,, किशोरी लाल	स्वच्छक	23749.00	—	,,
207	,, रंजीत लाल	,,	23555.00	—	,,
208	,, प्रवेश कुमार	,,	22584.00	—	,,
209	,, बाबू लाल	,,	23845.00	—	,,
210	श्री सन्नू लाल	,,	23639.00	—	,,
211	,, हरपाल	,,	25206.00	—	,,
212	श्रीमती पिंकी देवी	,,	19058.00	—	,,
213	,, अमित कुमार	,,	18423.00	—	,,
214	,, मुकेश कुमार	,,	18423.00	—	,,
215	,, सतेन्द्र कुमार	,,	18423.00	—	,,
216	,, धीरज भारती	स्वच्छक	Absent	—	,,
217	,, दीप चन्द्र	,,	19148.00	—	,,
218	श्रीमती संतोष	,,	16596.00	—	
219	श्री मुकेश कुमार	,,	17496.00	—	,,
220	श्री हरलाल	,,	24163.00	—	,,
221	श्री राजवीर सिह	,,	23126.00	—	,,
222	श्रीमती शारदा देवी	,,	20741.00	—	,,
223	श्री जगदीश लाल	,,	25739.00	—	,,

¼MkO th0 ,l0 /kkeh ½
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पिथौरागढ़ ।

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e

2005

ds

eSuqvy 11]12 ,oa 13 dk

0;kSjk

Hkkx&5

¼eSuqvy &11½

lHkh ;kstukvksa] izLrkfor O;;ksa vkSj fd;s x;s lafork.kksZ ij] fjiksVZ dh fof kf"V;ka minf kZrk djrs gq;s vius izR;sd vfHkdj.k dks vkofVr ctV

fo'k; lwph

d0 l0	fooj.k	i`"B uEcj
1	vk;kstukxr ,oa vk;kstusRrj ;kstuk vUrxZr 05&06 esa ikIr vkoaVu ,oa O;;	1 ls 8
2	i'kqikyu foHkkx ds fofHkUu enksa dh HkkSfrd izxfr	9 ls 10

3	i k fpfdRlky; okj HkkSfrd i xfr	11

¼euqvy &12½

lgkf;dh dk;ldzeksa ds fu'iknu dh jhfr ftlesa vkofVr jkf'k vkSj ,sls dk;ldzeksa ds Qk;nkxfg;ksa ds C;kSjs lfEefyr gSa

&2&

eSuqvy&12 Hkkx&5

fo"k; lwph

lgkf;dh dk;ldzeksa ds fu'iknu dh jhfr ftlesa vkofVr jkf'k vkSj ,sls dk;ldzeksa ds Qk;nkxfg;ksa ds C;kSjs lfEefyr gSa A

क0सं0	विवरण
12.1	कार्यक्रमों के निष्पादन, रीति आंवटन धनराशि का विवरण
12.2	स्वरोजगार परक योजना बजट (बैकयार्ड कुक्कुट पालन/बछिया पालन योजना)
12.3	अनुदान राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की नीति

12.4	अनुसूचित जनजातियों के लिये स्वरोजगार योजनाओं का शासनादेश
12.5	यू0एल0डी0बी0कार्यक्रमों के कियान्वयन की नीति
12.6	यू0एस0डब्लू0डी0बी0के कार्यक्रमों के कियान्वयन की निति

¼eiuvy&12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है ।

योजना कार्यक्रमों के निष्पादन की रिति	अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये स्वरोजगार योजना के अर्न्तगत बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना
बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना	(अ) ग्राम प्रधान– अध्यक्ष (ब) ग्राम विकास अधिकारी–सदस्य (स) पशुधन प्रसार अधिकारी–सदस्य, सचिव योजना की आर्थिक नीति निम्न प्रकार है :– 1. 50/100 काईलर चूजे 10 रू0 प्रति चूजे की दर से धनराशि रू0 500.00 रू0 1000.00 2. चूजों को लाभार्थी के द्वार तक ढुलान रू0 100.00 3. तार बाढ तैयार करने के लिये सहायता रू0 200.00 4. दो सप्ताह तक चूजा आहार चूजा रू0 5. अन्य व्यय रू0 60.00 योजनान्तर्गत एक ग्राम में 20 लाभार्थी चयनित किये जायेंगे प्रति लाभार्थी को 50 काईलर चूजे की यूनिट स्थापित की जायेगी।
बछिया पालन योजना	इस योजना के अर्न्तगत लाभार्थियों का चयन जनपद में दुध मार्गो की दुग्ध समितियों के अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं/पुरूषों में से की जायेगी । लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में सम्बन्धित क्षेत्र में पशु चिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी की उपस्थिति में की जायेगी ।

	योजना के अर्न्तगत लाभार्थियों को प्रथम ब्यात की क्रासब्रीड बछिया लगभग 10ली0 प्रति दिन उत्पादन वाली उपलब्ध करायी जायेगी · पशु हेतु समिति गठन निम्न प्रकार है :– 1. सम्बन्धित क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी 2. दुग्ध संघ का पशु चिकित्सक 3. सम्बन्धित विकास खण्ड का खण्ड विकास अधिकारी 4. जिला हरिजन एंव समाज कल्याण अधिकारी का प्रतिनिधि 5. लाभार्थी इस योजना के अर्न्तगत पशु क्रय हेतु निर्धारित राशि रू0 15]000.00 निर्धारित की गयी है, रू0 15,000.00 का 25 प्रतिशत रू0 3]750.00 की धनराशि लाभार्थी से वसूल की जायेगी तथा शेष धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी ।
राष्ट्रीय गौ एंव महिषवंशीय योजना एंव नैसर्गिक अभिजनन योजना	यह योजना यू0एल0डी0बी0 के द्वारा विश्व बैंक की सहायता से उत्तरांचल के सभी जनपदों में चलाई जा रही है , इस योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा 10 वर्ष है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में पशुधन के प्रजनन एंव प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा बढ़ावा देना है, एंव पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना है ।
चारा विकास कार्यक्रम	यू0एल0डी0बी0की नीतियों के निर्धारण में सहभागिता हेतु दुग्ध संधों के प्रतिनिधि गौ शालाओं के प्रतिनिधि, एन0जी0ओ0 के प्रतिनिधि पशुधन विशेषज्ञ, चारा विशेषज्ञ शासन द्वारा नामित किया जाता है ।

¼3½ dDdV fodkl %&

अण्डा व कुक्कुट मांस की बढती हुई मांग को पूरा करने हेतु वृहद प्रयास किये जा रहे हैं। जनपद में वर्तमान एक राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, विण में कार्यरत है। जिसमें 1500 क्रायलर पक्षियों का पेरेन्ट स्टाक उपलब्ध है । प्रक्षेत्र पर एक दिवसीय कुक्कुट चूजों का उत्पादन कर जनपद पिथौरागढ के अतिरिक्त चम्पावत,बागेश्वर,उद्यमसिहनगर को भी वित्तीय वर्ष 2005–2006 में 1 लाख से अधिक एक दिवसीय चूजे इच्छुक कुक्कुट पालको को वितरित किये गये हे । यही नही जिला स्तर पर जिला प्रशासन के सहयोग से रेडक्रास योजना के लाभार्थियों को नगद धनराशि के स्थान पर उनके आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए कुक्कुट चूजे उपलब्ध करायें गये है । प्रक्षेत्र पर कुक्कुट पालन व्यवसाय के इच्छुक कुक्कुट पालको को कुक्कुट प्रशिक्षण भी दिया जाता है । जंनता की सुविधा हेतु प्रक्षेत्र पर 10.00 रू0 तथा घर द्वार पर 12.00 रू0 पर प्रतिचूजा उपलब्ध कराने की योजना है । इस प्रकार अब जनपद के अर्न्तगत कुक्कुट पालन में जंनता की रूचि बढने लगी है तथा इस उद्योग को अपनाने वाले लोगो के आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ रहा है ।

¼4½ HkkM ,o Åu fodkl dk;dze :–

उत्तरांचल राज्य में भेड पालन का स्थान भौगोलिक एंव व्यवसायिक दृष्टि से लाभदायक है । जनपद में भेडों की नस्ल सुधारने के उद्देश्य से 18 भेड एंव ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित किये गये हैं । जहॉ पर शुद्ध एंव रेम्बुले /क्रास ब्रीड की मेढे/भेडें व्यवस्थित की जाती हैं, तथा भेड़ पालको को ऋतुकाल में मेढों का वितरण कर भेड पालकों की भेडों को प्रजनन सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह कार्य जनपद के तहसील धारचूला एवं मुनस्यारी में व्यवस्थित है । इसी उददेश्य से इन तहसीलों में दो भेड प्रजनन प्रक्षेत्र पागू एव बारापटटा स्थापित है जहॉ पर शुद्व विदेशी मेढ़ो का आयात कर उनसे स्थानीय भेडों के प्रजनन कार्य करना कर क्रास ब्रीड नश्ल के मेढे उत्पन्न किये जाते है । जिन्हें स्थानीय भेड़ पालको को निःशुल्क समय–समय पर उपलब्ध कराया जाता है । अब यह कार्य यू0एस0डब्लू0डी0बी0 उत्तरॉचल शीप द्वारा चलाया जा रहा है यही नही बोर्ड द्वारा भेड़

पालन प्रबन्धन में प्रशिक्षण उन्नत नश्ल के नर मेढे,भेड़ों की ऊन कटिग एवं ग्रेडिग तथा विपणन की व्यवस्था भी निःशुल्क प्रदत्त की जा रही है । इसके अतिरिक्त बुग्याल प्रवास के दौरान इनकी चिकित्सा,दवापान,दवास्नान आदि की भी व्यवस्था बोर्ड द्वारा सम्पन्न की जा रही है ।

(5½ vxkjk fodkl %&

अंगोरा शशक पालन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों के 4500 से 5000 फीट की ऊॅचाई बहुत अनुकुल है । जनपद में इस उद्देश्य के विकास खण्ड डीडीहाट में अंगोरा शावक रियरिग केन्द्र की स्थापना शासन से स्वीकृत है इस हेतु डीडीहाट में भवन निमार्ण हो चुका है । योजना का प्रारम्भ करने हेतु उत्तरॉचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड देहरादून को पत्र लिखा गया है । जिसका प्रारम्भ निकट भविष्य में होने की सम्भावना है । योजना के प्रारम्भ होने के उपरान्त जनपद के इच्छुक पशु पालकों को शशक पालन प्रशिक्षण देकर उन्हें अंगोरा शशक पालन कार्यक्रम में प्रोत्साहित कर उन्नत नश्ल के अंगोरा शावक उपलब्ध कराये जायेगें तथा उनसे प्राप्त ऊन के विपणन आदि की सुबिधा भी उपलब्ध कराई जायेगी । जिससे कास्तकारों की आर्थिक स्थिति सुदृण होगी ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना का सांराश–

पशुपालन विभाग जनपद पिथौरागढ़ (लाख रूपये में)

क्र0 सं0	वर्ष	संकर दुधारू गाय पालन योजना		वैक्यार्ड क्रायलर पालन योजना		कुल प्रस्तावित धनराशि
		कुल यूनिट	धनराशि	कुल यूनिट	धनराशि	
1	2005–06	205	43.05	820	20.50	63.55
2	2006–07	210	44.10	840	21.00	65.10
3	2007–08	215	45.15	860	21.50	66.65
4	2008–09	230	48.30	920	23.00	71.30
5	2009–10	235	49.35	940	23.50	72.85
6	2010–11			325	4-55	
7	2011–12			350	5-61	
8	2012–13					
	कुल योग	1095	229.95			

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पिथौरागढ़ ।

Li: ky dEikuUV lyku ;ktuk d: vUrxr l:dj n/kk: xk; ikyu ;ktuk&
i kikyu foHkkx tuin fiFkkjkx< mRrjk[k.M

1&iLrkouk& जनपद पिथौरागढ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोगार उपलब्ध कराने हेतु स्पेशल प्लान के अर्न्तगत संकर दुधारू गाय पालन की योजना प्रस्तावित की जा रही है ।

2&mnn: ;& योजना के प्रमुख उददेश्य निम्नवत हैः–

(अ)जनपद के सभी 8 विकास खण्डों के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ग्रामों के लाभार्थियों का चयन कर उन्हे स्वरोजगार उपलब्ध कराया ।

(ब) दुध आदि के विपणन से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना/रोजगार हेतु ग्रामों से शहरों की ओर रोजगार की खोज में हो रहे पलायन पर अकुश लगाना ।

3&;ktuk dh vof/k–यह येाजना 5 वर्ष (वर्ष 2005–2006 से वर्ष 2009–2010 तक) हेतु प्रस्तावति की जा रही है ।

4&;ktuk dk y{;& योजना के अर्न्तगत विकास खण्डवार लक्ष्य निम्नानुसार प्रस्तावित किये जा रहे है :–

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	50प्रतिशत से अधिक अनु0जाति वाले ग्रामों की संख्या	वर्षवार चयनित ग्रमों की संख्या				
			05–06	06–07	07–08	08–09	09–010
1	मुनस्यारी	18	3	3	4	4	4
2	धारचूला	8	1	1	1	1	–

3	बेरीनाग	51	10	10	10	10	11
4	डीडीहाट	20	4	4	4	4	4
5	कनालीछीना	24	4	4	4	6	6
6	गंगोलीहाट	71	14	14	14	14	15
7	विण	17	3	3	3	4	4
8	मूनाकोट	14	2	3	3	3	3
योग		219	41	42	43	46	47
1	कुल डेरी यूनिट संख्या दर 5 यूनिट प्रति ग्राम (कुल यूनिट 1095)		205	210	215	230	235

5&ykHkkFkhZ p;u& क्षेत्र पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत से अधिक सनुसूचित जाति ग्रामों से बी0पी0एल0 परिवारों की वरीयता देते हुये लाभार्थियों का चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा । चयन उपरान्त सूची का अनुमोदन जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा । समिति की संरचना विकास खण्ड स्तर पर निम्नांनुसार होगी :–

1–प्रमुख क्षेत्र पंचायत — अध्यक्ष
2–विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्साधिकारी — सचिव
3–खण्ड किवास अधिकारी — सदस्य
4–संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान — सदस्य

6&i'kq d\; 0;oLFkk&योजना हेतु संकर दुघारू गायों का क्रय क्रय समिति द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों को वरीयता देते हुये स्थानीय बाजार से किया जायेगा पशु उपलब्ध न होने की स्थिति में पश्चिमी उ0प्र0 हरियाणा,पंजाब आदि प्रदेशों से भी पशु का बीमा 5 वर्ष हेतु निर्धारित बीमा कम्पनी द्वारा सम्मपन्न कराया जायेगा । पशु के क्रय उपरान्त लाभाथी को हस्तान्तरण करने से पूर्व लाभार्थी द्वारा विभागीय नियमानुसार रू0 100.00 के नान जुडिशियल बान्ड पेपर पर अनुबन्ध भरना अनिवार्य होगा । पशु क्रय समिति की संचरना निम्नांनुसार होगी :–

1–संबंधित विकास खण्ड स्तर का पशु चिकित्साधिकारी– अध्यक्ष
2–संबंधित खण्ड किवास अधिकारी/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि– सदस्य
3–समाज कल्याण अधिकारी/उनके द्वारा नामित– प्रतिनिधि सदस्य
4–चयनित लाभार्थी स्वयं/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि– सदस्य

7&;kstuk dk foRrh; fooj.k& विकास खण्डवार 5 वर्षो हेतु (वर्ष 2005–2006 से वर्ष 2009–2010 तक) निम्न विवरणानुसार धनराशि प्रस्तावित की जा रही है । 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में लाभार्थी पशु हेतु आवारा व्यवस्था आदि करेगा ।

क्र0सं0	वर्ष	डेरी यूनिटों की संख्या	लागत प्रति यूनिट (रू0 लाख में)	कुल धनराशि (रू0 लाख में)	अन्य विवरण

1	2006–07	205	0.21	43.05	योजना संलग्न है
2	2006–07	210	0.21	44.10	
3	2007–08	215	0.21	45.15	
4	2008–09	230	0.21	48.30	
5	2009–2010	235	0.21	49.35	
	कुलयोग	1095	0.21	229.95	

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पिथौरागढ़ ।

lsdj n/kk: xk; ikyu dh ;kstuk&¼1 ;wfuV½

ifr ;wfuV O;;&

1–संकर दूधारू गाय का मूल्य – रू015000.00
2–परिवहन पर व्यय– रू02500.00
3–बीमा पर व्यय– दर 8.44ः 5 वर्ष हेतु रू01270.00
4–दो माह हेतु संतुलित पशु आहार 25 कुन्तल दर रू0 534.00 प्रति कु0 एवं रू0 150.00 प्रति कुन्तल ढुलान सहित (4 किग्रा राशन/दिन)
5–अन्य व्यय (रस्सी,जंजीर,बाल्टी, आदि) रू0500.00

कुल योग– रू0 20980.00
अथवा रू0 21000.00

आवर्ती व्यय प्रति यूनिट (8 माह हेतु)ः–

1–भूसे पर व्यय– 6 किग्रा प्रति पशु दर रू0 4.00 प्रति किग्रा रू0 36000.00
2–संतुलित आहार पर व्यय– रू0 6840.00
3–अन्य व्यय (दवा,वैक्सीन आदि)– रू01000.00

कुल योग रू 13600.00

प्रति यूनिट आय (10 माह लैक्टेशन मानते हुये)ः–

1–दुध विक्रय से आय 10 ल0 प्रति दिन दर रू0 12.00 प्रति लीटर रू0 3600.00
2–बछिया/बछडा विक्रय से आय (1.5 वर्ष आयु पर) रू0 4000.00
3–खाद/खाली बोरों के विक्रय से आय– रू0 500.00
कुल योग रू0 40500.00

लाभः– आय–आवर्ती व्यय़त्र रू0 26900.00
प्रतिमाह लाभ–रू0 2242.00 अथवा रू0 2240.00 (रू0दो हजार दो सौ चालिय मात्र)

मुख्य पशु चिकित्यसधिकारी,
पिथौरागढ ।

Li ky dEikuUV lyku ;ktuk d vUrxr cd;kM dk;yj ikyu ;ktuk&
i kikyu foHkkx tuin fiFkkjkx< ¼mRrjk[k.M½

1&iLrkouk&tuin fiFkkjkx< e vulfpr tkfr d 0;fDr;k dk Lojktxkj miyC/k djku grq Li ky dEikuUV lyku d vUrxr cd;kM dk;yj ikyu dh ;ktuk iLrkfor dh tk jgh g A

2&mnn ;& योजना के प्रमुख उददेश्य निम्नवत हैः–

(अ)जनपद के सभी 8 विकास खण्डों के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ग्रामों के लाभार्थियों का चयन कर उन्हे स्वरोजगार उपलब्ध कराया ।

(ब)मांस एवं अण्डा के विपणन से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना/रोजगार हेतु ग्रामों से शहरों की ओर रोजगार की खोज में हो रहे पलायन पर अंकुश लगााना । साथ ही अण्डा/मास के उपयोग से भी उनके सामान्य स्वास्य में सुधार होगा ।

3&;ktuk dh vof/k&;g योजना 5 वर्ष (वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–2010 तक) हेतु प्रस्तावित की जा रही है ।

4&;ktuk dk y{;&योजना के अर्न्तगत विकास खण्डवार लक्ष्य निम्नानुसार प्रस्तावित किये जा रहे हैः–

क्र0सं0	विकास खण्ड का	50 प्रतिशत से अधिक अनु0जाति वाले ग्रामों की	वर्षवार चयनित ग्रमों की संख्या

	नाम	संख्या					
			05–06	06–07	07–08	08–09	09–010
1	मुनस्यारी	18	3	3	4	4	4
2	धारचूला	4	1	1	1	1	–
3	बेरीनाग	51	10	10	10	10	11
4	डीडीहाट	20	4	4	4	4	4
5	कनालीछीना	24	4	4	4	6	6
6	गंगोलीहाट	71	14	14	14	14	15
7	विण	17	3	3	3	4	4
8	मूनाकोट	14	2	3	3	3	3
योग		219	41	42	43	46	47
1	कुल कायलर यूनिट संख्या दर 20 यूनिट प्रति ग्राम (कुल यूनिट 4380)		820	480	860	920	940

5&ykHkkFkh p;u%& क्षेत्र पंचायत स्तर पर 50प्रशित से अधिक अनुसूचित जाति ग्रामों से बी0पी0एल0 परिवारो को वरीयता देते हयु लाभार्थियों का चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा, चयन उपरान्त सूची का अनुमोइन जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर मुख्य विकास अध्किाारी द्वारा किया जायेगा । समिति की संचरना विकास खण्ड स्तर पर निम्नानुसार होगी :–

1–प्रमुख क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष
2–विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्साधिकारी सचिव
3–खण्ड किवास अधिकारी सदस्य
4–संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान सदस्य

6&dk;yj ptk dh miyC/krk%&योजना के अर्न्तगत 50 एक दिवसीय कायलर चूजे राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र विण (पिथौरागढ़) द्वारा विभागीय दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा आहार दवा एवं उपकरण स्थानीय बाजार से कय विभागीय कय नियमों के अर्न्तगत किया जायेगा ।

7&;kstuk dk foRrh; fooj.k%&विकास खण्डवार 5 वर्षो हेतु (वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–2010 तक) निम्न विवरणानुसार धनराशि प्रस्तावित की जा रही है 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में लाभार्थी विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री से अपना श्रमाश लगाकर बाडा निमार्ण करेगा ।

क0सं0	वर्ष	कायलर यूनिटों	लागत प्रति	कुल धनराशि	अन्य विवरण

		की संख्या	यूनिट (रू0 लाख में)	(रू0 लाख में)	
1	2006–07	820	0.025	20.5	योजना संलग्न है
2	2006–07	840	0.025	21.0	
3	2007–08	860	0.025	21.5	
4	2008–09	920	0.025	23.0	
5	2009–2010	940	0.025	23.5	
	कुलयोग	4380	0.025	109.5	

cd;kM dk;yj ikyu ;kstuk ¼50 i{kh½&

ifr ;fuV ykxr&

1–बाडा निमार्ण (स्थानीय सामग्री में)– 1500.00

2–दाना पानी के वर्तनों पर व्यय– 100.00

3–आहार पर व्यय(ब्रूडिग अवधि में 20 किग्रा दर रू0 10.00 प्रति कि0– 200.00

4– एक दिवसीय कायलर चूजों की कीमत ढुलान सहित रू0 12.00 प्रति 600.00

5–अन्य व्यय(दवा आदि)– 100.00

कुल योग– 2500.00

प्रति यूनिट आय:

1–3 माह के 25 पक्षी विक्रय से आय (वजन 1.5 किग्रा प्रति पक्षी दर

रू0 60.00 प्रति किग्रा) 2250.00

2–अण्डा विक्रय से आय (1250 अण्डे) 50 अण्डे प्रति पक्षी प्रति वर्ष दर रू0 2ण्00 प्रति अण्डा)– 2500.00

3–72 सप्ताह बाद 25 कल्र्ड पक्षी विक्रय से आय वजन 3.5 किग्रा प्रति पक्षी दर रू0 60.00 प्रति किग्रा– 5250.00

कुल योगः– रू0 10000.00

लाभः–(आय–लागत)त्ररू0 7500.00(रू0 सात हजार पा ाच सौ मात्र)

e|[; i k fpfdRlkf/kdkjh]
fiFkkSjkx<A

Vkb;cy lc lyku ;kstuk dk lkjk k%&
i kikyu foHkkx tuin fiFkkSjkx< ¼mRrjk[k.M½ ¼:0 yk[k e½

क0 सं0	वर्ष	खच्चर पालन योजना		बैकयार्ड कायलर पालन योजना		भेड पालन योजना		कुल प्रस्तावित धनराशि
		कुल यूनिट	धनराशि	कुल यूनिट	धनराशि	कुल यूनिट	धनराशि	
1	2006–07	24	7.44	240	6.00	10	5.40	18.84
2	2006–07	22	6.82	220	5.50	10	5.40	17.72
3	2007–08	24	7.44	240	6.00	11	5.94	19.38
4	2008–09	26	8.06	260	6.50	12	6.48	21.04
5	2009–2010	24	7.44	280	6.00	12	6.48	19.92
6	2010–11							
7	2011–12							
8	2012–13							

	कुलयोग							

%& Vªkbcy lc lyku ;kstuk d vUrxr [kPpj ikyu ;kstuk %&
i kikyu foHkkx tuin fiFkkjkx< ¼mRrjk[k.M½

1&iLrkouk%& जनपद पिथौरागढ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु ट्राईबल सब प्लान योजना के अर्न्तगत खच्चर पालन की योजना प्रस्तावित की जा रही है ।

2&mnn ;%& योजना के प्रमुख उददेश्य निम्नवत हैः–

(अ)जनपद के सभी 4 विकास खण्डों के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ग्रामों के लाभार्थियों का चयन कर उन्हे स्वरोजगार उपलब्ध कराया ।

(ब)मांल ढुलान आदि से प्राप्त आय द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना/रोजगार हेतु ग्रामों से शहरों की ओर रोजगार की खोज में हो रहे पलायन पर अंकुश लगााना ।

3&;kstuk dh vof/k%&;g योजना 5 वर्ष (वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–2010 तक) हेतु प्रस्तावित की जा रही है ।

4&;kstuk dk y{;%&योजना के अर्न्तगत विकास खण्डवार लक्ष्य निम्नानुसार प्रस्तावित किये जा रहे हैः–

क0सं0	विकास खण्ड का	50 प्रतिशत से अधिक अनु0जनजाति वाले	वर्षवार चयनित ग्रमों की संख्या

	नाम	ग्रामों की संख्या					
			05–06	06–07	07–08	08–09	09–010
1	मुनस्यारी	28	5	5	6	6	6
2	धारचूला	27	5	5	5	6	6
3	बेरीनाग	4	1	1	1	1	–
4	डीडीहाट	1	1	–	–	–	–
	योग	60	12	11	12	13	12
1	कुल कायलर यूनिट संख्या दर 20 यूनिट प्रति ग्राम (कुल यूनिट 4380)		24	22	24	26	24

5&ykHkkFkh p;u%& क्षेत्र पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति जाति ग्रामों से बी0पी0एल0 परिवारो को वरीयता देते हुये लाभार्थियों का चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा, चयन उपरान्त सूची का अनुमोदन जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा । समिति की संचरना विकास खण्ड स्तर पर निम्नानुसार होगी :–

1–प्रमुख क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष
2–विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्साधिकारी सचिव
3–खण्ड विकास अधिकारी सदस्य
4–संबंधित ग्राम पंचायत का प्रधान सदस्य

6&i k d ; 0;oLFkk:–योजना हेतु खच्चर का क्रय क्रय समिति द्वारा उत्तरॉवल से विभिन्न जनपदों को वरीयता देतगे हुये स्थानीय बाजार से किया जायेगा । पशु उपलब्ध न होने की स्थिति में पश्चिमी उ0प्र0 हरियाणा,पंजाब आदि प्रेदशों से भी पशु क्रय की व्यवस्थ्था की जायेगी । पशु क्रय उपरान्त क्रय स्थल पर ही पशु का बीमा 5 वर्ष हेतु निर्धारित बीमा कम्पनी द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा । पशु के क्रय उपरान्त लाभार्थी को हस्तान्तरण करने से पूर्व लाभार्थी द्वारा विभागीय नियमानुसार रू0 100००0 के नान जुडिशियल बान्ड पेपर अनुबन्ध भरना अनिवार्य होगा । पशु क्रय समिति की संरचना नियमानुसार होगी :–

1–संबंधित विकास खण्ड स्तर का पशु चिकित्साधिकारी – अध्यक्ष
2–संबंधित खण्ड विकाास अधिकारी/उनके द्वारा नामित

प्रतिनिधि– सदस्य

3–समाज कल्याण अधिकारी/उनके द्वारा नामित–
प्रतिनिधि सदस्य

4–चयनित लाभार्थी स्वयं/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि– सदस्य

7&;kstuk dk foRrh; fooj.k%& विकास खण्डवार 5 वर्षो हेतु (वर्ष 2005–2006 से वर्ष 2009–2010 तक) निम्न विवरणानुसार धनराशि प्रस्तावित की जा रही है । 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में लाभार्थी पशु हेतु आवास व्यवस्था आदि करेगा ।

क0सं0	वर्ष	खच्चर यूनिटों की संख्या	लागत प्रति यूनिट (रू0 लाख में)	कुल धनराशि (रू0 लाख में)	अन्य विवरण
1	2005–06	24	0.31	7.44	योजना संलग्न है
2	2006–07	22	0.31	6.82	
3	2007–08	24	0.31	7.44	
4	2008–09	26	0.31	8.06	
5	2009–2010	24	0.31	7.44	
	कुलयोग	120	0.31	37.20	

e[; i'kq fpfdRlkf/kdkjh]
fiFkkSjkx<+ A

[kPpj ikyu ;kstuk%&¼1 ;wfuV½
ifr ;wfuV 0;;&

1–खच्चर का मूल्य का मूल्य – रू025000.00
2–परिवहन पर व्यय– रू03000.00
3–बीमा पर व्यय– दर 8.44ः 5 वर्ष हेतु रू021100.00
4–अन्य व्यय (रस्सी,,बाल्टी, आदि) रू0 1000.00
कुल योग– रू0 31110.00
अथवा रू0 31000.00

vkorh 0;; ifr ;wfuV ¼1 o'k gsrq½&
1–राशन पर व्यय– चना 2 किग्रा0 प्रति दिन दर रू0 20.00 प्रति किग्रा

तथा ढूठा 3 किग्रा प्रति दिन 5 रू0 प्रति किग्रा0 रू0 20075.00
2–सूखी घास पर व्यय– 8 ग्रिा प्रति खच्चर दर 4.00 प्रति किग्रा रू0 11680.00
3–हरी घास (लाभार्थी स्व्यं चुगाान आदि से निःशुल्क व्यवस्था करेगें)
4–अन्य व्यय (दवा मिनरल मिक्चर आदि)– रू0 1000.00
कुल येाग रू 32755.00

ifr ;fuV vk; ¼1 o’k ckn)
1–खच्चर द्वारा सामग्री ढुलान से आय रू0 200.00 प्रति दिन प्रति खच्चर रू0 73000.00

ykHk¼& आय–आवर्ती व्यय़त्र रू0 40245.00
प्रतिमाह लाभ–रू0 3354.00 (रू0 तीन हजार तीन सौ चौव्वन मात्र)

मुख्य पशु चिकित्यसधिकारी,
पिथौरागढ ।

& Vªkbcy lc Iyku ;kstuk ds vUrxZr cSd;kMZ dk;yj ikyu ;kstuk ¼&
i kikyu foHkkx tuin fiFkkSjkx<+ ¼mRrjkk.M½

1& iLrkouk¼& जनपद पिथौरागढ में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु ट्राईबल सब प्लान योजना के अर्न्तगत बैकयार्ड क्रायलर पालन की योजना प्रस्तावित की जा रही है ।

2&mnns ;¼& योजना के प्रमुख उददेश्य निम्नवत हैः–
(अ)जनपद के सभी 4 विकास खण्डों के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ग्रामों के लाभार्थियों का चयन कर उन्हे स्वरोजगार उपलब्ध कराना ।
(ब)मांस एवं अण्डा के विपणन से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना/रोजगार हेतु ग्रामों से शहरों की ओर रोजगार की खोज में हो रहे पलायन पर अंकुश लगााना । साथ अएडा मांस के/मांस के उपरयोग से ीाी उनके सामान्य स्वास्थ्य सुधार होगा ।

3&;kstuk dh vof/k:–यह योजना 5 वर्ष (वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–2010 तक) हेतु प्रस्तावित की जा रही है ।

4&;kstuk dk y{;¼&योजना के अर्न्तगत विकास खण्डवार लक्ष्य निम्नानुसार प्रस्तावित किये जा रहे हैः–

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	50 प्रतिशत से अधिक अनु0जनजाति वाले ग्रामों की संख्या	वर्षवार चयनित ग्रमों की संख्या

			05–06	06–07	07–08	08–09	09–010
1	मुनस्यारी	28	5	5	6	6	6
2	धारचूला	27	5	5	5	6	6
3	बेरीनाग	4	1	1	1	1	–
4	डीडीहाट	1	1	–	–	–	–
	योग	60	12	11	12	13	12
1	कुल कायलर यूनिट संख्या दर 20 यूनिट प्रति ग्राम (कुल यूनिट 4380)		240	220	240	260	240

5&ykHkkFkh p;u&% क्षेत्र पंचायत स्तर पर 50 प्रशित से अधिक अनुसूचित जनजाति जाति ग्रामों से बी0पी0एल0 परिवारो को वरीयता देते हुये लाभार्थियों का चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा, चयन उपरान्त सूची का अनुमोदन जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा । समिति की संचरना विकास खण्ड स्तर पर निम्नानुसार होगी :–

1–प्रमुख क्षेत्र पंचायत	अध्यक्ष
2–विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्साधिकारी	सचिव
3–खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
4–संबंधित ग्राम पंचायत का प्रधान	सदस्य

6&dk;yj ptk dh miyC/krk%& योजना के अर्न्तगत 50 एक दिवसीय कायलर चूजे राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र विण (पिथौरागढ) द्वारा विभागीय दरो पर उपलब्ध करायें जायेगें । आहार दवा एवं उपकरण स्थानीय बाजार से कय विभागीय कय नियमों के अर्न्तगत किया जायेगा ।

7&;kstuk dk foRrh; fooj.k%& विकास खण्डवार 5 वर्षो हेतु (वर्ष 2005–2006 से वर्ष 2009–2010 तक) निम्न विवरणानुसार धनराशि प्रस्तावित की जा रही है । 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में लाभार्थी विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री अपना श्रमांश लगाकर बाडा निर्माण करेगा ।

क0सं0	वर्ष	कायलर यूनिटों की संख्या	लागत प्रति यूनिट (रू0 लाख में)	कुल धनराशि (रू0 लाख में)	अन्य विवरण
1	2005–06	240	0.025	6.00	योजना संलग्न है
2	2006–07	220	0.025	5.50	
3	2007–08	240	0.025	6.00	
4	2008–09	260	0.025	6.50	
5	2009–2010	240	0.025	6.00	

	कुलयोग	1200	0.025	30.00	

e[; i k fpfdRlkf/kdkjh]
fiFkkjkx< A

%&cd;kM dk;yj ikyu ;kstuk ¼50 i{kh½ %&

प्रति यूनिट लागतः–

1–बाडा निमार्ण (स्थानीय सामग्री सेे) –	1500.00
2–दाना पानी के वर्तनों पर व्यय–	100.00
3–आहार पर व्यय(ब्रूडिग अवधि में 20 किग्रा दर रू0 10.00 प्रति कि0–	200.00
4– एक दिवसीय कायलर चूजों की कीमत ढुलान सहित रू0 12.00 प्रति	600.00
5–अन्य व्यय(दवा आदि)–	100.00
कुल योग–	2500.00

ifr ;fuV vk;%

1–3 माह के 25 पक्षी विक्रय से आय (वजन 1.5 किग्रा प्रति पक्षी दर रू0 60.00 प्रति किग्रा)	2250.00
2–अ.डा विक्रय से आय (1250 अण्डे) 50 अण्डे प्रति पक्षी प्रति वर्ष दर रू0 2.00 प्रति अण्डा)–	2500.00
3–72 सप्ताह बाद 25 कर्ल्ड पक्षी विक्रय से आय वजन 3.5 किग्रा प्रति पक्षी दर रू0 60.00 प्रति किग्रा–	5250.00
कुल योगः– रू0	10000.00

लाभः–(आय–लागत)त्ररू0 7500.00(रू0 सात हजार पॉच सौ मात्र)

e[; i k fpfdRlkf/kdkjh]
fiFkkjkx< A

%&Vkbcy lclyku ;ktuk d vUrxr HkM ikyu ;ktuk%&
i kikyu foHkkx tuin fiFkkjkx<¼mRrjk[k.M½

iLrkouk%& जनपद पिथौरागढ में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु ट्राईबल सब प्लान के अर्न्तगत भेड़पालन की योजना प्रस्तावित की जा रही है ।

2&mnn ;%& योजना के प्रमुख उददेश्य निम्नवत हैः–

(अ)जनपद के सभी 2 विकास खण्डों के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ग्रामों के लाभार्थियों का चयन कर उन्हे स्वरोजगार उपलब्ध कराना ।

(ब) ऊन मैमने आदि के विक्रय से प्राप्त आय द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना/रोजगार हेतु ग्रामों से शहरों की ओर रोजगार की खोज में हो रहे पलायन पर अंकुश लगाना ।

3&;ktuk dh vof/k:–यह योजना 5 वर्ष (वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–2010 तक) हेतु प्रस्तावित की जा रही है ।

4&;ktuk dk y{;%&योजना के अर्न्तगत विकास खण्डवार लक्ष्य निम्नानुसार प्रस्तावित किये जा रहे हैः–

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	50 प्रतिशत से अधिक अनु0जनजाति वाले ग्रामों की संख्या	वर्षवार चयनित ग्रमों की संख्या

			05–06	06–07	07–08	08–09	09–010
1	मुनस्यारी	28	5	5	6	6	6
2	धारचूला	27	5	5	5	6	6
	योग	55	10	10	11	12	12
1	कुल भेड यूनिट संख्या दर 1 यूनिट प्रति वर्ष प्रति ग्राम (कुल यूनिट 55)	10	210	11	12	12	

5&ykHkkFkh p;u%& क्षेत्र पंचायत स्तर पर 50 प्रशित से अधिक अनुसूचित जनजाति जाति ग्रामों से बी0पी0एल0 परिवारो को वरीयता देते हुये लाभार्थियों का चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा, चयन उपरान्त सूची का अनुमोदन जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा । समिति की संचरना विकास खण्ड स्तर पर निम्नानुसार होगी :–

1–प्रमुख क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष
2–विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्साधिकारी सचिव
3–खण्ड विकास अधिकारी सदस्य
4–संबंधित ग्राम पंचायत का प्रधान सदस्य

6&i k dz; 0;oLFkk:–योजना हेतु भेड़ों का क्रय क्रय समिति द्वारा उत्तराखण्ड से विभिन्न जनपदों को वरीयता देते हुये स्थानीय बाजार से किया जायेगा । पशु उपलब्ध न होने की स्थिति में हिमांचल आदि प्रदेशों से भी पशु क्रय की व्यवस्क्था की जायेगी । पशु क्रय उपरान्त क्रय स्थल पर ही पशु का बीमा 5 वर्ष हेतु निर्धारित बीमा कम्पनी द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा । पशु के क्रय उपरान्त लाभार्थी को हस्तान्तरण करने से पूर्व लाभार्थी द्वारा विभागीय नियमानुसार रू0 100.00 के नान जुडिशियल बान्ड पेपर अनुबन्ध भरना अनिवार्य होगा । पशु क्रय समिति की संरचना नियमानुसार होगी :–

1–संबंधित विकास खण्ड स्तर का पशु चिकित्साधिकारी – अध्यक्ष
2–संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि– सदस्य
3–समाज कल्याण अधिकारी/उनके द्वारा नामित– प्रतिनिधि सदस्य
4–चयनित लाभार्थी स्वयं/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि– सदस्य

7&;kstuk dk foRrh; fooj.k%& विकास खण्डवार 5 वर्षो हेतु (वर्ष 2005–2006 से वर्ष 2009–2010 तक) निम्न विवरणानुसार धनराशि प्रस्तावित की जा रही है । 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में लाभार्थी पशु हेतु आवास व्यवस्था आदि करेगा ।

क्र0सं0	वर्ष	भेड़ यूनिटों की संख्या	लागत प्रति यूनिट (रू0 लाख में)	कुल धनराशि (रू0 लाख में)	अन्य विवरण
1	2005–06	10	0.54	5.40	योजना संलग्न है
2	2006–07	10	0.54	5.40	
3	2007–08	11	0.54	5.94	
4	2008–09	12	0.54	6.48	
5	2009–2010	12	0.54	6.48	
	कुलयोग	55	0.54	29.70	

HkkM ikyu ;kstuk%&½20 ekuk1 uj½

ifr ;fuV 0;;&

1–एक नर का मूल्य – रू02200.00
2–20 भेड़ो का मूल्य–दर मूल्य 1800रू0प्रति भेड) रू0 36000.00
3–परिवहन पर व्यय–(दर 600.00 प्रति भेड) रू0 12600.00
4–बीमा पर व्यय– दर 6.19: 5 वर्ष हेतु रू02365.00
4–अन्य व्यय (रस्सी,,बाल्टी, आदि) रू0 1000.00
कुल योग– रू0 54165.00
अथवा रू0 54000.00

vkorh 0;; ifr ;fuV %&

1–घास पर व्यय– (निःशुल्क चुगान आदि के द्वारा)
2–भेड आहार पर व्यय (300 ग्राम प्रति भेड प्रतिदिन दर रू 7.00प्रति किग्रा 6 माह हेतु ढुलान रू0 150.00 प्रति कुन्तल की दर से) रू0 9640.00

4–अन्य व्यय (दवा बैक्सीन ऊन कटाई आदि)– रू0 500.00

कुल येाग रू 10140.00

i.fr ;fuV vk; ¼1 o'kZ ckn ½

1–30 मैमनेा के विक्रय से आय (15 पर दर रू0 1800.00 प्रति तथा 15 मादा पर रू0 1600.00प्रति) रू0 51000.00

2–ऊन विक्रय से आय(2.5 किग्रा प्रति भेड प्रति वर्ष दर रू0 35.00 प्रति किग्रा0 रू0 1838.00

कुल योग रू0 52838.00

ykHk& आय–आवर्ती व्यय़त्र रू0 42698.00

प्रतिमाह लाभ–रू0 3558.00 अथवा रू0 3560.00 (रू0 तीन हजार पॉच सौ साटी मात्र)

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पिथौरागढ ।

¼euuvy &13½

vius }kjk vuqnRr fj;k;rksa]

vuqKki=ksa rFkk izkf/kdkjksa

ds izkfLrdrkvksa dh

fof'kf'B;k

eSuqvy&13] Hkkx&5

fo"k; lwph

क0सं0	विवरण

1	योजनाओं का विवरण
2	यू0एल0डी0बी0द्वारा जनपद में वितरित किये गये सांडो का विवरण
3	उत्तरॉचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा वितरित किये गये उन्नतशील नश्ल के मेढो का विवरण

योजना कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति	अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये स्वरोजगार योजना के अर्न्तगत बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना
बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना	(अ) ग्राम प्रधान– अध्यक्ष (ब) ग्राम विकास अधिकारी–सदस्य (स) पशुधन प्रसार अधिकारी–सदस्य, सचिव योजना की आर्थिक नीति निम्न प्रकार है :– 6. 50/100 काईलर चूजे 10 रू0 प्रति चूजे की दर से धनराशि रू0 500.00 रू0 1000.00

	7. चूजों को लाभार्थी के द्वार तक ढुलान रू0 100.00 8. तार बाढ तैयार करने के लिये सहायता रू0 200.00 9. अन्य व्यय रू0 100.00 योजनार्न्तगत एक ग्राम में 20 लाभार्थी चयनित किये जायेंगे प्रति लाभार्थी को 50 ब्राईलर चूजे की यूनिट स्थापित की जायेगी।
बछिया पालन योजना	इस योजना के अर्न्तगत लाभार्थियों का चयन जनपद में दुध मार्गो की दुग्ध समितियों के अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं/पुरूषों में से की जायेगी । लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में सम्बन्धित क्षेत्र में पशु चिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी की उपस्थिति में की जायेगी । योजना के अर्न्तगत लाभार्थियों को प्रथम ब्यात की क्रासब्रीड बछिया लगभग 10ली0 प्रति दिन उत्पादन वाली उपलब्ध करायी जायेगी पशु हेतु समिति गठन निम्न प्रकार है :– 6. सम्बन्धित क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी 7. दुग्ध संघ का पशु चिकित्सक 8. सम्बन्धित विकास खण्ड का खण्ड विकास अधिकारी 9. जिला हरिजन एंव समाज कल्याण अधिकारी का प्रतिनिधि 10. लाभार्थी इस योजना के अर्न्तगत पशु क्रय हेतु निर्धारित राशि रू0 15,000.00 निर्धारित की गयी है, रू0 15,000.00 का 25 प्रतिशत रू0 3,750.00 की धनराशि लाभार्थी से वसूल की जायेगी तथा शेष धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
राष्ट्रीय गौ एंव महिषवंशीय योजना एंव नैसर्गिक अभिजनन योजना	यह योजना यू0एल0डी0बी0 के द्वारा विश्व बैंक की सहायता से उत्तरांचल के सभी जनपदों में चलाई जा रही है , इस योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा 10 वर्ष है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में पशुधन के प्रजनन एंव प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा बढ़ावा देना है, एंव पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना है ।
चारा विकास कार्यक्रम	यू0एल0डी0बी0की नीतियों के निर्धारण में सहभागिता हेतु दुग्ध संधों के प्रतिनिधि गौ शालाओं के प्रतिनिधि, एन0जी0ओ0 के प्रतिनिधि पशुधन विशेषज्ञ, चारा विशेषज्ञ शासन द्वारा नामित किया जाता है ।
उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेनट बोर्ड	उत्तरांचल भेड पालकों को उनकी भेड़ों में प्रजनन हेतु मेढों का वितरण राज्य में पशुपालन विभाग के भेड प्रजनन प्रक्षेत्र से किया जाना प्रस्तावित है, मेढा वितरण हेतु लाभार्थियों की ब्लाक स्तर पर एक कमेटी गठित की गयी है, जिसमें ब्लाक के पशु चिकित्साधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी या नामित प्रतिनिधि व पशुधन प्रसार अधिकारी तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधान सम्मलित होगें और चयनित सूची का अनुमोदन ब्लाक प्रमुख से कराया जायेगा ।

forfjr fd;k x;k ;kd lkM o'k 2008&09 fodkl [k.M eqUL;kjh

1– श्री भगत सिह पसाई ग्राम क्वीटी जिमिया पो0 साईपोलू विकास खण्ड मुनस्यारी पिथौरागढ़ ।
2– मोहन सिह सुमत्क्याल ग्राम पो0 लीलम मुनस्यारी पिथौरागढ़ ।

forfjr fd;k x;k xnHk lkM o'k 2008&09 fodkl [k.M eqUL;kjh

1– श्री लक्ष्मण सिह निरखुपा पुत्र श्री धरम सिह ग्राम पो0 दरकोट पिथौरागढ़
2– श्री आन्नद राम पुत्र श्री लालू राम ग्राम मर्तोली पो0 सुरिग मुनस्यारी पिथौरागढ़ ।
3– श्री कुलदीप सिह गुंज्याल पुत्र निरर्मल सिंह गुंज्याल ग्राम गुजी विकास खण्ड धारचूला

4– श्री दिवान सिह यरसौ, पुत्र कलेसी सिंह ,ग्राम सिर्द्वाग पो0 सिखा, विकास खण्ड धारचूला

c/d;kM dDd/V ikyu ;ktuk 2013&14

fodkl [k.M dk uke	d0 l0	ykHkkFkhZ dk uke] firk@ifr lfgr	xzke	miyC/k djk;h x;h /kujkf'k :0 esa	miyC/k djk;k x;k vuqnku :0 esa
cjhukx ,l0lh0ih0	1	श्री दिवानी रामपु0 नैन राम	वोकलकतिया	1800-00	1800-00
	2	श्री कुश राम पु0 अन राम	वोकलकतिया	1800-00	1800-00
	3	श्रीमती गीता देवीपत्नी ललितजवाल	वोकलकतिया	1800-00	1800-00
	4	श्री चेतन राम पु0 बची राम	बोगाड़	1800-00	1800-00
	5	श्री उदय राम पु0 हिम्मज राम राम	बन्तोलीबोगाड़	1800-00	1800-00
	6	श्री दनी राम पु0 लालू राम	बन्तोलीबोगाड़	1800-00	1800-00
	7	श्री राजेन्द्र प्रसाद पु0 बहादुर राम	बन्तोली	1800-00	1800-00
	8	श्री कल्याण राम पु0 प्रताप राम	बन्तोली	1800-00	1800-00
	9	श्री रमी राम पु0 लालू राम	बन्तोली	1800-00	1800-00
	10	श्री पनी राम पु0 शोबन राम	बन्तोली	1800-00	1800-00
	11	श्री गिरीश राम पु0 चन्द्र राम	ओडयूडा	1800-00	1800-00
	12	श्रीमती कमला देवी पत्नी अन राम	ओडयूडा	1800-00	1800-00
	13	श्री चनर राम पु0 नाथू राम	ओडयूडा	1800-00	1800-00
	14	श्री दिनेश राम पु0 जीत राम	च्यूनी	1800-00	1800-00
	15	श्री गोपाल राम पु0 मोहन राम	भातेरात	1800-00	1800-00
	16	श्री किशन राम पु0 राम लाल	ओडयूडा	1800-00	1800-00
	17	श्री भगत राम पु0 जैन राम	च्यूनी	1800-00	1800-00
	18	श्री चनर राम पु0 लछम राम	च्यूनी	1800-00	1800-00
	19	श्री गोपाल राम पु0 लछम राम	च्यूनी	1800-00	1800-00
	20	श्रीमती मोतिमा देवी पत्नी देव राम	ओडयूडा	1800-00	1800-00
	21	श्रीमती हीरा देवी पत्नीबहादुर राम	पॉखूसेरा	1800-00	1800-00
	22	श्री अमर राम पु0 मघन राम	पॉखूसेरा	1800-00	1800-00
	23	श्री बची राम पु0 मघन राम	पॉखूसेरा	1800-00	1800-00
	24	श्रीमती गोबिन्दी देवीपत्नीकिशन राम	पॉखूसेरा	1800-00	1800-00
	25	श्रीमती नीमा देवी पत्नी जगत राम	पॉखूसेरा	1800-00	1800-00
	26	श्रीमती बिमला देवी पत्नी हर राम	पॉखूसेरा	1800-00	1800-00
	27	श्री गुमन राम पु0 देव राम	पॉखूसेरा	1800-00	1800-00
	28	श्री मनी राम पु0 बहादुर राम	पॉखूसेरा	1800-00	1800-00
	29	श्री किशन राम पु0 धरम राम	पॉखूसेरा	1800-00	1800-00
	30	श्रीमती गोपा देवी पत्नी जमन राम	पॉखूसेरा	1800-00	1800-00
	31	श्री देव राम पु0 चन्द्र राम	बना	1800-00	1800-00
	32	श्री मोहन राम पु0 नर राम	बना	1800-00	1800-00
	33	श्री जगदीश राम पु0 नर राम	बना	1800-00	1800-00
	34	श्री फकीर राम पु0 दुर्गा राम	बना	1800-00	1800-00
	35	श्री मदन राम पु0 दौलत राम	बना	1800-00	1800-00
	36	श्री जोगा राम पु0 किशन राम	बना	1800-00	1800-00
	37	श्री नवीन राम पु0 कुश राम	बना	1800-00	1800-00
	38	श्री मोहन राम पु0 हर राम	बना	1800-00	1800-00
	39	श्री चन्द्र राम पु0 मोती राम	बना	1800-00	1800-00
	40	श्री गुसाई राम पु0 तिल राम	बना	1800-00	1800-00
	41	श्री केशर राम पु0 डुल राम	बना	1800-00	1800-00

	42	श्री दीपक कुमार पु0 गमालू राम	बना	1800-00	1800-00
	43	श्री भूपाल राम पु0 विर राम	बना	1800-00	1800-00
	44	श्री गणेश राम पु0 बची राम	बना	1800-00	1800-00
	45	श्रीमती हेमा देवी पत्नी लक्ष्मी प्रसाद	बना	1800-00	1800-00
	46	श्री प्रसाद राम पु0 माधो राम	बना	1800-00	1800-00
	47	श्री फकीर राम पु0 देव राम	बना	1800-00	1800-00
	48	श्री फकीर राम पु0 नैन राम	बना	1800-00	1800-00
	49	श्रीमती कुसुली देवी पत्नी धरम राम	बना	1800-00	1800-00
	50	श्री गंगा राम पु0 नैन राम	बना	1800-00	1800-00
	51	श्री गोपाल राम पु0 फकीर राम	खोलागॉव	1800-00	1800-00
	52	श्री नन्दन राम पु0 बहादुर राम	खोलागॉव	1800-00	1800-00
	53	श्री महेश राम पु0 नारायण राम	खोलागॉव	1800-00	1800-00
	54	श्रीमती धनुली देवी पत्नी बची राम	खोलागॉव	1800-00	1800-00
	55	श्रीमती आनन्दीदेवीपत्नीबलवन्त राम	खोलागॉव	1800-00	1800-00
	56	श्री भगवान राम पु0 पनी राम	खोलागॉव	1800-00	1800-00
	57	श्री दिवानी राम पु0 नर राम	खोलागॉव	1800-00	1800-00
	58	श्री ललित राम पु0 करम राम	खोलागॉव	1800-00	1800-00
	59	श्री देव राम पु0 करम राम	खोलागॉव	1800-00	1800-00
	60	श्री सरजीत राम पु0 प्रसाद राम	खोलागॉव	1800-00	1800-00
	61	श्री हयात राम पु0 मोहन राम	अगडियागाड़ा	1800-00	1800-00
	62	श्री नरी राम पु0 गोपाल राम	अगडियागाड़ा	1800-00	1800-00
	63	श्री रमेश राम पु0 ठगी राम	अगडियागाड़ा	1800-00	1800-00
	64	श्री विक्रम राम पु0 कालू राम	नैनी	1800-00	1800-00
	65	श्री गोविन्द राम पु0 केशर राम	अगडियागाड़ा	1800-00	1800-00
	66	श्री लछी राम पु0 धनी राम	अगडियागाड़ा	1800-00	1800-00
	67	श्रीमतीसंगीता देवीपत्नीललित प्रसाद	सैलीपाख	1800-00	1800-00
	68	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी हरीश राम	सैलीपाख	1800-00	1800-00
	69	श्रीमती दीपा देवी पत्नी नरेश कुमार	सैलीपाख	1800-00	1800-00
	70	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी दिवान राम	सैलीपाख	1800-00	1800-00
	71	श्री राजन राम पु0 खीम राम	सैलीपाख	1800-00	1800-00
	72	हरी राम पु0 फकीर राम	सैलीपाख	1800-00	1800-00
	73	श्री शंकर लाल पु0 जगत राम	सैलीपाख	1800-00	1800-00
	74	श्री रमेश राम पु0 गणेश राम	चौनाला	1800-00	1800-00
	75	श्री जगदीश राम पु0 बिशन राम	बुडेरा	1800-00	1800-00
	76	श्री बहादुर राम पु0 चनी राम	बुडेरा	1800-00	1800-00
	77	श्री गणेश राम पु0 खडक राम	बुडेरा	1800-00	1800-00
	78	श्री सुरेश राम पु0 दरपान राम	बुडेरा	1800-00	1800-00
	79	श्री सुनील कुमार पु0 उमेद राम	बुडेरा	1800-00	1800-00
	80	श्री जगदीश राम पु0 उमेश राम	बुडेरा	1800-00	1800-00
	81	श्री गिरीश कुमार पु0 दीलू राम	थल	1800-00	1800-00
	82	श्री बिनोद कुमार पु0 सोबन राम	थल	1800-00	1800-00
	83	श्रीमती गोमती देवी पत्नीतेज राम	थल	1800-00	1800-00
	84	श्रीमती उदिमा देवी पु0 ढीलू राम	थल	1800-00	1800-00
eukdkV ,l0lh0ih0	85	श्री नवीन राम पु0 परदेशी राम	विचकोली	1800-00	1800-00
	86	श्री ज्ञानी राम पु0 कीडा राम	थ्वचकोली	1800-00	1800-00
	87	श्री गोपाल राम पु0 कीडा राम	विचकोली	1800-00	1800-00
	88	श्री चन्द्र प्रकाश पु0 गणेश राम	चिचकोली	1800-00	1800-00
	89	श्री मोहन राम पु0 धनी राम	विचकोली	1800-00	1800-00
	90	श्री सुरेन्द्र राम पु0 लालू राम	बैन्नी	1800-00	1800-00

	91	श्री त्रिलोक राम पु0 लालू राम	बैन्नी	1800-00	1800-00
	92	श्री गणेश राम पु0 भानू राम	शकुन	1800-00	1800-00
	93	श्री रामी राम पु0 केदार राम	शकुन	1800-00	1800-00
	94	श्री दिवानी राम पु0 भानू राम	शकुन	1800-00	1800-00
	95	श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी पुष्कर राम	शकुन	1800-00	1800-00
	96	श्री नर राम पु0 रामी राम	शकुन	1800-00	1800-00
	97	श्री प्रेम राम पु0 काशी राम	शकुन	1800-00	1800-00
	98	श्री केसर राम पु0 रामी राम	शकुन	1800-00	1800-00
	99	श्री चंचल राम पु0 हरक राम	शकुन	1800-00	1800-00
	100	श्री चन्द्रशेखरराम पु0 किशन राम	नारमू	1800-00	1800-00
	101	श्री सुभाष राम पु0 किशन राम	नारमू	1800-00	1800-00
	102	श्री जीवन राम पु0 होशियार राम	नारमू	1800-00	1800-00
	103	श्री दिनेश राम पु0 बद्री प्रसाद	नारमू	1800-00	1800-00
	104	श्री नरेश राम पु0 जगत लाल	सिमलकोट	1800-00	1800-00
	105	श्रीमती जानकीदेवीपत्नी नारायण राम	नरमू	1800-00	1800-00
	106	श्री नवीन राम पु0 झुस राम	उखलखोला	1800-00	1800-00
	107	श्री लच्छी राम पु0 दानी राम	खोनीगैर	1800-00	1800-00
	108	श्री बसन्त राम पु0 दौल राम	तल्लागॉव	1800-00	1800-00
	109	श्री खडक राम पु0 कल्याण राम	झालपानी	1800-00	1800-00
	110	श्री विनोद कुमार पु0 नवीन कुमार	लोदगाड़	1800-00	1800-00
	111	श्री शिव राम पु0 भूरा राम	भैसिया	1800-00	1800-00
	112	श्री रमेश राम पु0 जीत राम	औड़	1800-00	1800-00
	113	श्री जमन राम पु0 रतन राम	गैरखोली	1800-00	1800-00
	114	श्री शिव राम पु0 गोपाल राम	गैरखोली	1800-00	1800-00
	115	श्री मोहन राम पु0 जम्मन राम	गैरखोली	1800-00	1800-00
	116	श्री शंकर राम पु0 प्रताप राम	दुर्गानगर	1800-00	1800-00
	117	श्री रमेश राम पु0 कुशल राम	दुर्गानगर	1800-00	1800-00
	118	श्री रमेश राम पु0 बहादुर राम	दुर्गानगर	1800-00	1800-00
	119	श्री कैलाश राम पु0 जोगा राम	दुर्गानगर	1800-00	1800-00
	120	श्री केदार राम पु0 हरी राम	हलतस्या	1800-00	1800-00
	121	श्री हरी राम पु0 फकीर राम	सौनगांव	1800-00	1800-00
	122	श्री पुष्कर राम पु0 फकीर राम	सौनगांव	1800-00	1800-00
	123	श्री होशियार राम पु0 रूप राम	सौनगांव	1800-00	1800-00
	124	श्री बसन्त राम पु0 किशन राम	सौनगांव	1800-00	1800-00
	125	श्री देव राम पु0 केशर राम	सौनगांव	1800-00	1800-00
	126	श्री भुवन राम पु0 चंचल राम	सौनगांव	1800-00	1800-00
	127	श्री अर्जुन राम पु0 हरी राम	सौनगांव	1800-00	1800-00
	128	श्री मदन राम पु0 बहादुर राम	सौनगांव	1800-00	1800-00
	129	श्री नरी राम पु0 पटक राम	सौनगांव	1800-00	1800-00
	130	श्री ललित मोहन पु0 बजीर राम	सौनगांव	1800-00	1800-00
	131	श्री मोहन राम पु0 श्यामू राम	भटेडी	1800-00	1800-00
	132	श्री सुन्दर राम पु0 गुन्जा राम	भटेडी	1800-00	1800-00
	133	श्री किशन राम पु0 प्रेम राम	गौरीहाट	1800-00	1800-00
	134	श्री महेश राम पु0 जीत राम	गौरीहाट	1800-00	1800-00
	135	श्री शंकर राम पु0 महन्त राम	गौरीहाट	1800-00	1800-00
	136	श्री टीका राम पु0 देव राम	गौरीहाट	1800-00	1800-00
	137	श्री दलीप राम पु0 झुस्या राम	गौरीहाट	1800-00	1800-00
	138	श्री पुष्कर राम पु0 केशर राम	गौरीहाट	1800-00	1800-00
	139	श्री कल्याण राम पु0 नैन राम	गौरीहाट	1800-00	1800-00
	140	श्री तिलक राम पु0 खडक राम	कानडी	1800-00	1800-00

	141	श्रीमती देवकी देवी पत्नी शैमल राम	कानडी	1800-00	1800-00
	142	श्री सुरेश राम पु0 रमेश राम	कानडी	1800-00	1800-00
	143	श्रीमती देवकी देवी पत्नी शेर राम	कानडी	1800-00	1800-00
	144	श्री मानी राम पु0 नन्द राम	कानडी	1800-00	1800-00
	145	श्रीमती कलावती देवीपत्नीमानी राम	कानडी	1800-00	1800-00
	146	श्री जय राम पु0 धनी रामे	कानडी	1800-00	1800-00
	147	श्री रामी राम पु0 हरमल राम	कानडी	1800-00	1800-00
	148	श्री डम्मर राम पु0 ढिम्मर राम	कानडी	1800-00	1800-00
	149	श्री महावीर राम पु0 मनी राम	विषखोली	1800-00	1800-00
	150	श्री दिनेश लाल पु0 रामी राम	विषखोली	1800-00	1800-00
	151	श्री भवानी राम पु0 गोबिन्द राम	रज्यूडा	1800-00	1800-00
	152	श्री जगदीश राम पु0 जीत राम	रज्यूडा	1800-00	1800-00
	153	श्रीमती रेखा देवी पत्नी उमेद राम	रज्यूडा	1800-00	1800-00
	154	श्री शमशेर राम पु0 बहादुर राम	दोली	1800-00	1800-00
	155	श्री प्रकाश राम पु0 गोबिन्द राम	दोली	1800-00	1800-00
xkxkyhgkV , l0 l h0 i h0	156	श्री देवा लाल पु0 कुँवर राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	157	श्री दीपक राम पु0 मुसी राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	158	श्री खुशाल राम पु0 हिम्मत राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	159	श्री हुक्कम राम पु0 रतन राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	160	श्री अनिल राम पु0 जीत राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	161	श्री अशोक राम पु0 इन्दर राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	162	श्री मोहन राम पु0 केसी राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	163	श्री मदन राम पु0 अमर राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	164	श्री राम लाल पु0 अमर राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	165	श्री मुसी राम पु0 धरम राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	166	श्री बिशन राम पु0 अमर राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	167	श्री मोहन राम पु0 प्रयाग राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	168	श्री प्रकाश राम पु0 बिशन राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	169	श्री धनी राम पु0 हर राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	170	श्री आन्नद राम पु0 हर राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	171	श्री मोहन राम पु0 रतन राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	172	श्री हरीश राम पु0 बची राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	173	श्री रमेश राम पु0 गुसाई राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	174	श्री रामू राम पु0 गुसाई राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	175	श्री शेर राम पु0 कमल राम	चुनौली	1800-00	1800-00
	176	श्रीमती गीता देवी प0 हरीश राम	खेतीगाड़ा	1800-00	1800-00
	177	श्रीमती देवकी देवी प0 चनर राम	खेतीगाड़ा	1800-00	1800-00
	178	श्रीमती पार्वती देवी प0 रमेश राम	खेतीगाड़ा	1800-00	1800-00
	179	श्री जोगा राम पु0 कुसी राम	खेतीगाड़ा	1800-00	1800-00
	180	श्री ललित कुमार पु0 नन्द किशोर	खेतीगाड़ा	1800-00	1800-00
	181	श्री मोहन राम पु0 हरी राम	खेतीगाड़ा	1800-00	1800-00
	182	श्रीमती गंगा देवी प0 गोपाल राम	खेतीगाड़ा	1800-00	1800-00
	183	श्री हीरा राम पु0 भनी राम	चतुरापानी	1800-00	1800-00
	184	श्री दीपक राम पु0 रमेश राम	पुनौली	1800-00	1800-00
	185	श्री इन्द्र राम पु0 दुर्गा राम	पुनौली	1800-00	1800-00
	186	श्री दानी राम पु0 धरम राम	पुनौली	1800-00	1800-00
	187	श्री महेश राम पु0 बची राम	पुनौली	1800-00	1800-00
	188	श्री किशन राम पु0 रतन राम	पुनौली	1800-00	1800-00
	189	श्रीमती खिमुली देवी प0 गणेश राम	पुनौली	1800-00	1800-00

	190	श्री दिवानी राम पु0 तेज राम	पुनौली	1800-00	1800-00
	191	श्री रमेश राम पु0 जगत राम	नैनी	1800-00	1800-00
	192	श्री बहादुर राम पु0 नैन राम	नैनी	1800-00	1800-00
	193	श्री लालू राम पु0 त्रिलोक राम	नैनी	1800-00	1800-00
	194	श्री लच्छी राम पु0 नैन राम	नैनी	1800-00	1800-00
	195	श्री गोपाल राम पु0 शिव राम	नैनी	1800-00	1800-00
	196	श्री हिम्मत राम पु0 दिवानी राम	नैनी	1800-00	1800-00
	197	श्री जोगा राम पु0 गंगा राम	नैनी	1800-00	1800-00
	198	श्री देव राम पु0 रतन राम	नैनी	1800-00	1800-00
	199	श्री ठाकुर राम पु0 शोबन राम	नैनी	1800-00	1800-00
	200	श्री मोहन राम पु0 मदन राम	नैनी	1800-00	1800-00
	201	श्री जीवन राम पु0 विजय राम	नैनी	1800-00	1800-00
	202	श्री पूरन राम पु0 जगत राम	नैनी	1800-00	1800-00
	203	श्री हीरीश राम पु0 सुन्दर राम	नैनी	1800-00	1800-00
	204	श्री दलीप राम पु0 राजन राम	नैनी	1800-00	1800-00
	205	श्री पु0 केशर राम	नैनी	1800-00	1800-00
	206	श्री कृष्ण राम पु0 बहादुर राम	धराडी	1800-00	1800-00
	207	श्री गोकुल राम पु0 प्रताप राम	धराडी	1800-00	1800-00
	208	श्री आन्नद राम पु0 देव राम	धराडी	1800-00	1800-00
	209	श्री मथुरा प्रसाद पु0 बहादुर राम	धराडी	1800-00	1800-00
	210	श्री पूरन राम पु0 उमेद राम	धराडी	1800-00	1800-00
	211	श्री राजन राम पु0 नैन राम	धराडी	1800-00	1800-00
	212	श्रीमतीनिर्मला देवी पत्नीभगवान राम	धराडी	1800-00	1800-00
	213	श्री जोगा राम पु0 धुसी राम	धराडी	1800-00	1800-00
	214	श्री माधव राम पु0 खीम राम	धराडी	1800-00	1800-00
	215	श्री बलवन्त राम पु0 जीत राम	धराडी	1800-00	1800-00
	216	श्री हीरीश राम पु0 भवानी राम	धराडी	1800-00	1800-00
	217	श्री राजन राम पु0 हरमल राम	धराडी	1800-00	1800-00
	218	श्री विनोद राम पु0 केशर राम	धराडी	1800-00	1800-00
	219	श्री धरम राम पु0 खीम राम	धराडी	1800-00	1800-00
	220	श्री राजन राम पु0 मोहन रामे	धराडी	1800-00	1800-00
MhMhgkV , l0 lh0 ih0	221	श्री नारायण राम पु0 पिरोज राम	बजानी	1800-00	1800-00
	222	श्री किशन राम पु0 जीत राम	महतगांव	1800-00	1800-00
	223	श्री ललित राम पु0 चन्द्र राम	ठूलागांव	1800-00	1800-00
	224	श्री जगत राम पु0 गम्भीर राम	दुर्लेख	1800-00	1800-00
	225	श्री बहादुर राम पु0 रूप राम	अजेडा	1800-00	1800-00
	226	श्री मनोज कुमार पु0 सुन्दर राम	अजेडा	1800-00	1800-00
	227	श्री आन्नद राम पु0 नैन राम	अजेडा	1800-00	1800-00
	228	श्री भूपाल राम पु0 मोती राम	खेतार जैतबूंगा	1800-00	1800-00
	229	श्री त्रिलोक राम पु0 देव राम	खेतार	1800-00	1800-00
	230	श्री गंगा राम पु0 फकीर राम	कूटा	1800-00	1800-00
	231	श्री पूरन राम पु0 बहादुर राम	कूटा	1800-00	1800-00
	232	श्री हिम्मत राम पु0 चन्द राम	बसैडी	1800-00	1800-00
	233	श्री रूप राम पु0 जोगा राम	बसौरा	1800-00	1800-00
	234	श्री लक्ष्मण राम पु0 मोहन राम	जैतबूंगा	1800-00	1800-00
	235	श्री महेश राम पु0 फुन्ता राम	बांकू	1800-00	1800-00
	236	श्रीमती नीमा देवी प0चंचल राम	बांकू	1800-00	1800-00
	237	श्री कालू राम पु0 बहादुर राम	गोबराडी	1800-00	1800-00
	238	श्रीमती पुष्पा देवी प0 नाथू राम	चौबाटी	1800-00	1800-00

	239	श्री रमेश राम पु0 मदन राम	बिचकोट	1800-00	1800-00
	240	श्रीमती पार्वती देवी प0 राजेन्द्र प्रसाद	हुनैरा	1800-00	1800-00
	241	श्री रूद्र राम पु0 धरम राम	हुनैरा	1800-00	1800-00
	242	श्री जगत राम पु0 चन्द्र राम	वार्ड डीडीहाट	1800-00	1800-00
	243	श्री सुरेन्द्र प्रसाद पु0 धनी राम	लोहारगांव	1800-00	1800-00
	244	श्री गणेश राम पु0 जोगा राम	GICवा0 डीडीहाट	1800-00	1800-00
	245	श्री महेश प्रसाद पु0 शेर राम	लोहारगांव	1800-00	1800-00
	246	श्रीमती इन्द्रा देवी प0 हरीश राम	GICवा0 डीडीहाट	1800-00	1800-00
	247	श्रीमती भानमती देवी प0 प्रताप राम	GICवा0 डीडीहाट	1800-00	1800-00
	248	श्रीमती बसन्ती देवी प0 लक्ष्मण राम	नयाबस्ती	1800-00	1800-00
	249	श्री नन्दन प्रसाद पु0 रतन राम	नयाबस्ती	1800-00	1800-00
	250	श्री किशन राम पु0 कुवर राम	लधडा	1800-00	1800-00
	251	श्रीमती बिशना देवी प0 पानू राम	नयाबस्ती	1800-00	1800-00
	252	श्री धरम राम पु0 अनी राम	छनपट्टा	1800-00	1800-00
	253	श्री जीवन राम पु0 फकीर राम	हाटथर्प	1800-00	1800-00
	254	श्रीमती भागरथी देवी प0 पदी राम	ओडमाथा	1800-00	1800-00
	255	श्री कालू राम पु0 दौलत राम	धनियारवान	1800-00	1800-00
	256	श्री देवेन्द्र राम पु0 हरीचरण	तहसील वार्ड	1800-00	1800-00
	257	श्री शंकर राम पु0 मनी राम	GICवार्ड	1800-00	1800-00
	258	श्रीमती धौला देवी प0 चन्द राम	लोहारगांव	1800-00	1800-00
	259	श्री हरीश राम पु0 शेर राम	सिरौली	1800-00	1800-00
	260	श्रीमती जमुना देवी प0 हयात राम	तहसील वार्ड	1800-00	1800-00
	261	श्री त्रिलोक राम पु0 चन्द राम	कौली	1800-00	1800-00
	262	श्री नर राम पु0 केशर राम	सगलतड	1800-00	1800-00
	263	श्री बहादुर राम पु0 धन राम	कौली	1800-00	1800-00
	264	श्री किशन राम पु0 जगत राम	कटारकौली	1800-00	1800-00
	265	श्री फकीर राम पु0 हर राम	गोलपट्टा	1800-00	1800-00
	266	श्री उदय राम पु0 जम्फल राम	गौकुणी	1800-00	1800-00
	267	श्री प्रताप राम पु0 तारा राम	तल्लासैण	1800-00	1800-00
	268	श्री नन्दन राम पु0 कुडकी राम	जाजरकौली	1800-00	1800-00
	269	श्री नरेन्द्र प्रसाद पु0 हंस राम	जाजरकौली	1800-00	1800-00
	270	श्री हरी राम पु0 दूर्गा राम	गौकूणीकौली	1800-00	1800-00
	271	श्री गोपाल राम पु0 गगन राम	हल्दूगाडीकौली	1800-00	1800-00
	272	श्री चन्द्र राम पु0 झूसाल राम	हुडकीकौली	1800-00	1800-00
	273	श्री रतन राम पु0 खीम राम	हुडकीकौली	1800-00	1800-00
	274	श्री श्याम राम पु0 भूर राम	हुडकीकौली	1800-00	1800-00
	275	श्री प्रताप राम पु0 दलीप राम	हुडकीकौली	1800-00	1800-00
	276	श्री विशन राम पु0 तुला राम	हुडकीकौली	1800-00	1800-00
	277	श्री रामी राम पु0 रतन राम	हुडकीकौली	1800-00	1800-00
	278	श्री बहादुर राम पु0 मांगी राम	ठूलरौना	1800-00	1800-00
	279	श्री दुर्गा राम पु0 बुढ़ राम	जाजरकौली	1800-00	1800-00
	280	श्री रमेश प्रसाद पु0 परी राम	जाजरकौली	1800-00	1800-00
	281	श्री शंकर राम पु0 भवानी राम	जाजरकौली	1800-00	1800-00
	282	श्री चिमराम पु0 शेर राम	सगलतड	1800-00	1800-00
	283	श्री रामी राम पु0 जस राम	सगलतड	1800-00	1800-00
	284	श्री प्रताप राम पु0 जया राम	सगलतड	1800-00	1800-00
	285	श्री विरभान राम पु0 धन राम	कौली	1800-00	1800-00
	286	श्री नर राम पु0 दुर्गा राम	कौली	1800-00	1800-00
	287	श्री कृष्ण राम पु0 जग राम	कटाल	1800-00	1800-00
	288	श्री कालू राम पु0 रगी राम	सिमार	1800-00	1800-00

	289	श्री उदय राम पु0 जम्फल राम	गौकुणी	1800-00	1800-00
	290	श्री श्याम राम पु0 भुर राम	किमुसेना	1800-00	1800-00
	291	श्री कुवर राम पु0 पनी राम	गर्जिला	1800-00	1800-00
	292	श्रीमतीलीला देवी पत्नी गोबिन्द राम	ओखलगांव	1800-00	1800-00
	293	श्री गिरीश कुमार पु0 दिलू राम	जगुडाथल	1800-00	1800-00
	294	श्री दिवानी राम पु0 प्रताप राम	ओखलगांव	1800-00	1800-00
	295	श्री जगदीश राम पु0 भोला राम	ओखलगांव	1800-00	1800-00
	296	श्रीमती मोहनी देवी पु0 किशन राम	ओखलगांव	1800-00	1800-00
	297	श्री पुष्कर राम पु0 भूपाल राम	दिगडामुवानी	1800-00	1800-00
	298	श्री प्रेम राम पु0 देव राम	मसमोली	1800-00	1800-00
	299	श्री राजन राम पु0 करन राम	अमतड़	1800-00	1800-00
	300	श्री रामलाल पु0 जोगा राम	लेजम	1800-00	1800-00
	301	श्री रमेश राम पु0 बहादुर राम	लेजम	1800-00	1800-00
	302	श्री बहादुर राम पु0 लच्छी राम	लेजम	1800-00	1800-00
	303	श्री किशन राम पु0 बहादुर राम	लेजम	1800-00	1800-00
	304	श्री शंकर राम पु0 लच्छी रामे	नयलसपौली	1800-00	1800-00
	305	श्री रमेश राम पु0 हजारी राम	नयलसपौली	1800-00	1800-00
	306	श्री हरी राम पु0 गोपाल राम	नयलसपौली	1800-00	1800-00
	307	श्री प्रेम राम पु0 दिवानी राम	नयलसपौली	1800-00	1800-00
	308	श्री पंकज कुमार पु0 आन्नद राम	नयलसपौली	1800-00	1800-00
	309	श्री खडक राम पु0 गुलाब राम	आमथल	1800-00	1800-00
	310	श्री प्रेम राम पु0 मनोहर राम	आमथल	1800-00	1800-00
	311	श्री भरत राम पु0 राम प्रसाद	आमथल	1800-00	1800-00
	312	श्रीमतीकलावती देवी पत्नीजोगा राम	आमथल	1800-00	1800-00
	313	श्री गणेश राम पु0 मोहन राम	दिगडामुवानी	1800-00	1800-00
	314	श्री पुरन राम पु0 भूपाल राम	लेजम	1800-00	1800-00
	315	श्रीमतीजानकीदेवीपत्नीजगदीशप्रसाद	ओखलगांव	1800-00	1800-00
	316	श्रीमतीगोमती देवी पत्नी तेज राम	गर्जिला	1800-00	1800-00
fo.k ,l0lh0ih0	317	श्री किशन राम पु0 केशी राम	निगलानीनाकोट	1800-00	1800-00
	318	श्री सुरेश राम पु0 धनी राम	निगलानीनाकोट	1800-00	1800-00
	319	श्री भूपाल राम पु0 बच्ची राम	नाकोट	1800-00	1800-00
	320	श्री मनोहर राम पु0 रामी राम	जगतड	1800-00	1800-00
	321	श्री लक्ष्मण राम पु0 प्रेम राम	जगतड	1800-00	1800-00
	322	श्रीमतीअनीता देवी पत्नी रामलाल	जगतड	1800-00	1800-00
	323	श्री महेश राम पु0 जगत राम	जगतड	1800-00	1800-00
	324	श्री वीरेन्द्र कुमार पु0 विश राम	घटयूनी	1800-00	1800-00
	325	श्री कैलाश राम पु0 जोगा राम	भुरमुनी	1800-00	1800-00
	326	श्री गोकुल राम पु0 सुन्दर राम	जगतड	1800-00	1800-00
	327	श्री शमशेर राम पु0 कुर राम	घटयूनी	1800-00	1800-00
	328	श्री भूपाल राम पु0 बच्ची राम	नाकोट	1800-00	1800-00
	329	श्री हेम राम पु0 शेर राम	डुगरा	1800-00	1800-00
	330	श्री बसन्त राम पु0 दिवानी राम	डुगरा	1800-00	1800-00
	331	श्री रामी राम पु0 हिम्मत राम	डुगरा	1800-00	1800-00
	332	श्रीमती सुमन देवी पत्नी जस राम	डुगरा	1800-00	1800-00
	333	श्री रामी राम पु0 जय राम	डुगरा	1800-00	1800-00
	334	श्री अनिल कुमार पु0 राम कुमार	बांस	1800-00	1800-00
	335	श्री अर्जुन राम पु0 मदन राम	मझेडा	1800-00	1800-00
	336	श्री पुष्कर राम पु0 शेर राम	जजराली	1800-00	1800-00
	337	श्री मोहन राम पु0 दिवानी राम	जजराली	1800-00	1800-00
	338	श्री रमेश राम पु0 विशन राम	जजराली	1800-00	1800-00

	339	श्री गणेश राम पु0 रतन राम	जजराली	1800-00	1800-00
	340	श्री बच्ची राम पु0 नैन राम	जजराली	1800-00	1800-00
	341	श्री मनमहेश पु0 कृपाल राम	निगलानीनाकोट	1800-00	1800-00
	342	श्रीमती नीला देवीपत्नीफकीर राम	मटियाल	1800-00	1800-00
	343	श्री सुन्दर राम पु0 लक्ष्मण राम	मटियाल	1800-00	1800-00
	344	श्री अशोक कुमार पु0 दानी राम	मटियाल	1800-00	1800-00
	345	श्री फकीर राम पु0 लालू राम	मटियाल	1800-00	1800-00
	346	श्रीमती जोग्यानी देवीपत्नीगोबिन्दराम	मटियाल	1800-00	1800-00
	347	श्री दीवान राम पु0 रूप राम	मटियाल	1800-00	1800-00
	348	श्री कन्हैया लाल पु0 दिवानी राम	मटियाल	1800-00	1800-00
	349	श्रीमतीकलावती देवी पत्नी गोपालराम	मटियाल	1800-00	1800-00
	350	श्री हरूवा राम पु0 केसरी राम	मटियाल	1800-00	1800-00
	351	श्री घुधुरा देवी पु0 जय राम	मटियाल	1800-00	1800-00
	352	श्री लच्छी राम पु0 अनी राम	मटियाल	1800-00	1800-00
	353	श्री दानी राम पु0 केदार राम	मटियाल	1800-00	1800-00
	354	श्रीमतीप्रतिमा देवी पत्नी कैलाश राम	भल्या	1800-00	1800-00
	355	श्रीमती पार्वती देवी पत्नी अनी राम	भल्या	1800-00	1800-00
	356	श्री हरी राम पु0 विश राम	भल्या	1800-00	1800-00
	357	श्री वासुदेव पु0 हरक राम	भल्या	1800-00	1800-00
	358	श्रीमती नंदा देवीपत्नी गोप राम	भल्या	1800-00	1800-00
	359	श्रीमती जानकीदेवी पत्नी पूरन राम	भल्या	1800-00	1800-00
	360	श्रीमती शकुन्तलादेवीपत्नीनवीन कुमार	भल्या	1800-00	1800-00
	361	श्री गणेश राम पु0 दानी राम	उपरतोला	1800-00	1800-00
	362	श्री नारायण राम पु0 गुसाई राम	उपरतोला	1800-00	1800-00
	363	श्री कैलाश राम पु0 गणेश राम	उपरतोला	1800-00	1800-00
	364	श्री प्रकाश राम पु0 मदन राम	उपरतोला	1800-00	1800-00
	365	श्री मोहन राम पु0 हरी राम	उपरतोला	1800-00	1800-00
	366	श्री रोशन राम पु0 केशर राम	उपरतोला	1800-00	1800-00
	367	श्री उमेद राम पु0 दिल राम	उपरतोला	1800-00	1800-00
	368	श्री फकीर राम पु0 हरबल राम	उपरतोला	1800-00	1800-00
	369	श्री अर्जुन राम पु0 गुसाई राम	उपरतोला	1800-00	1800-00
	370	श्री ब्रह्मानन्द पु0 जोगा राम	उपरतोला	1800-00	1800-00
	371	श्री नारद राम पु0 केदारी राम	उपरतोला	1800-00	1800-00
/kkjpyk , l0l h0i h0	372	श्री वीर रामपु0 बहादुर राम	दूतीबगड	1800-00	1800-00
	373	श्री कालू राम पु0 लालू राम	दूतीबगड	1800-00	1800-00
	374	श्रीमती वेलू देवी पत्नी देव राम	दूतीबगड	1800-00	1800-00
	375	श्री विश राम पु0 खलिया राम	दूतीबगड	1800-00	1800-00
	376	श्री नरेन्द्र राम पु0 जय राम	दूतीबगड	1800-00	1800-00
	377	श्री भानी राम पु0 जगी राम	दूतीबगड	1800-00	1800-00
	378	श्री ओम प्रकाश पु0 हनी राम	दूतीबगड	1800-00	1800-00
	379	श्री हरीश राम पु0 हनी राम	दूतीबगड	1800-00	1800-00
	380	श्री सुरेश राम पु0 अनी राम	गौरीगांव	1800-00	1800-00
	381	श्री भूपेन्द्र राम पु0 मनी राम	रौकोट	1800-00	1800-00
	382	श्री पूरन राम पु0 हरी राम	बलुवाकोट	1800-00	1800-00
	383	पूरन राम पु0 जय राम	रौकोट	1800-00	1800-00
	384	खीम राम पु0 फकीर राम	छारछुम	1800-00	1800-00
	385	श्री किशन राम पु0 खीम राम	छारछुम	1800-00	1800-00
	386	श्री धनी राम पु0 परी राम	छारछुम	1800-00	1800-00
	387	श्री रमेश राम पु0 धनी राम	छारछुम	1800-00	1800-00

	388	श्री मनीष कुमार पु0 रोशन राम	बरम	1800-00	1800-00
	389	श्री पूरन राम पु0 भवान राम	बरम	1800-00	1800-00
	390	श्री मनोज राम पु0 त्रिलोक राम	बरम	1800-00	1800-00
	391	श्री लक्ष्मण राम पु0 लालू राम	बरम	1800-00	1800-00
	392	श्री प्रेम राम पु0 नर राम	बरम	1800-00	1800-00
	393	श्री राम प्रसाद पु0 कालू राम	बरम	1800-00	1800-00
	394	श्री तारा राम पु0 शेर राम	बरम	1800-00	1800-00
	395	श्री प्रताप राम पु0 धनी राम	मैथिली	1800-00	1800-00
/kkjpyk Vh0,l0ih0	1	श्री शैलेन्द्र सिह पु0 सीमान सिह	कुटी		
	2	श्री चैत सिह पु0 मोहन सिह	कुटी		
	3	श्री कुन्दन सिंह पु0 उदय सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	4	श्री विका सिह पु0 उदय सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	5	श्री केदार सिह पु0 चन्द्र सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	6	श्री सन्तोष सिह पु0 दयाल सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	7	श्रीमती बसन्ती देवीपत्नी गगन सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	8	श्री नैन सिह पु0 मेल सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	9	श्रीमती ठमस्या देवीपत्नी भीम सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	10	श्री बहादुर सिह पु0 ज्ञान सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	11	श्री राजेन्द्र सिह पु0 आन सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	12	श्रीमती रूकमा देवीपत्नी नैन सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	13	श्री विजय सिह पु0 किशन सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	14	श्री देव सिह पु0 दलीप सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	15	श्री टिका सिह पु0 हुडक्या सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	16	श्री नॅन सिह पु0 भवान सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	17	श्री लाभ सिह पु0 नैन सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	18	श्री भीम सिह पु0 सुनपाल सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	19	श्री कल्याण सिह पु0 फिलम सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	20	श्री नारायण सिह पु0 भवान सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	21	श्री डमर सिह पु0 किशन सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	22	श्री दान सिह पु0 परम सिंह	दातू	1800-00	1800-00
	23	श्री नैन सिंह पु0 रूकम सिह	बलुवाकोट	1800-00	1800-00
	24	श्रीमती आवती देवीपत्नी धर्म सिह	गो	1800-00	1800-00
	25	श्रीमतीकाली देवीपत्नीसन्तोष सिह	गो	1800-00	1800-00
	26	श्री राकेश सिंह पु0 मोहन सिह	गो	1800-00	1800-00
	27	श्री मोहन सिह पु0 ह्रदय सिंह	बलुवाकोट	1800-00	1800-00
	28	श्री जीवन सिह पु0 दान सिह	बलुवाकोट	1800-00	1800-00
	29	इन्द्र सिह पु0 भुप सिह	गो	1800-00	1800-00
	30	श्री कल्याण सिह पु0 मंगल सिह	गो	1800-00	1800-00
	31	श्री रतन सिह पु0 दलीप सिह	ढाकर	1800-00	1800-00
	32	श्री दौलत सिह पु0 उपर सिह	ढाकर	1800-00	1800-00
	33	श्री सन्तोष सिह पु0 दान सिह	ढाकर	1800-00	1800-00
	34	श्री मगन सिह पु0 लाल सिह	गो	1800-00	1800-00
	35	चन्द्र सिह पु0 लाल सिह	गो	1800-00	1800-00
	36	जगदीश सिह पु0 हरक सिह	गो	1800-00	1800-00
	37	गणेश सिह पु0 मान सिह	गो	1800-00	1800-00
	38	पुष्कर सिह पु0 मदन सिह	गो	1800-00	1800-00
	39	श्री गणेश सिह पु0 जीवन सिह	गो ढाकर	1800-00	1800-00
	40	श्री शंकर सिह पु0 सूपो सिह	गो	1800-00	1800-00
	41	श्री नारायण सिह पु0 हरीश सिह	गो	1800-00	1800-00

	42	श्री सुन्दर सिह पु0 लाल सिह	गो	1800-00	1800-00
	43	श्री जसपाल सिंह पु0 कुमेर सिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	44	श्री मुकेश सिंह पु0 प्रताप सिह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	45	श्री देवेन्द्र सिंह पु0 पान सिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	46	श्रीमतीदवेती देवीपु0जसपाल सिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	47	श्री कुन्दन सिह पु0 जसमल सिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	48	श्री नारायण सिंह पु0 दलीप सिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	49	श्रीमतीद्रोपदीदेवीपत्नी मोहन सिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	50	श्रीमतीगंगोत्रीदेवीपत्नी नाथो सिह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	51	श्री खुशाल सिंह पु0 गोवर्धन सिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	52	श्री लक्ष्मण सिंह पु0 पान सिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	53	श्री बहादुर सिंह पु0 बहादुर सिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	54	श्रीमती मथुरादेवीपत्नी अमर सिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	55	श्रीमती पनी देवीपत्नी तेज सिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	56	श्री जगत सिंह पु0 लक्ष्मण सिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	57	श्री धीरेन्द्र सिंह पु0 त्रिलोक सिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	58	श्रीमतीजयन्तीदेवीपत्नी लक्ष्मणसिंह	बंगापानी	1800-00	1800-00
	59	श्री लक्ष्मण सिंह पु0 राम सिंह	लुम्ती	1800-00	1800-00
	60	श्री प्रलाद सिंह पु0 खडक सिंह	लुम्ती	1800-00	1800-00
	61	श्री खुशाल सिंह पु0 राम सिंह	लुम्ती	1800-00	1800-00
	62	श्री रणवीर सिंह पु0 खडक सिंह	लुम्ती	1800-00	1800-00
euL;kjh Vh0,l0ih0	63	श्रीमती दीपा देवी प0 नरेन्द्र सिह	तल्लाभैसकोट	1800-00	1800-00
	64	श्रीमती कमला देवी प0 राम सिह	तल्लाभैसकोट	1800-00	1800-00
	65	श्रीमती शशी देवी प0 नारायण सिह	नाचनी	1800-00	1800-00
	66	श्रीमती बिमला देवी प0 प्रह्लाद सिह	नाचनी	1800-00	1800-00
	67	श्री रविन्द सिह पु0 दयान सिह	खेत भराड	1800-00	1800-00
	68	श्रीमती सरला देवी प0 कुवर सिह	खेत भराड	1800-00	1800-00
	69	श्रीमती शान्ति देवी प0 कुन्दन सिह	खेत भराड	1800-00	1800-00
	70	श्री ईश्वर सिह पु0 कुवर सिह	तल्लाभैसकोट	1800-00	1800-00
	71	श्रीमती कला धर्मशक्तू प0यतेन्दधर्मशक्तू	नाचनी	1800-00	1800-00
	72	श्रीमती कौशल्या देवी प0 मंगल सिंह	तल्लाभैसकोट	1800-00	1800-00
	73	श्रीमती मीना देवी प0प्रेम सिंह	तल्लाभैसकोट	1800-00	1800-00
	74	श्रीमती कौशल्या देवी प0दुर्गा सिंह	टिमटियॉ	1800-00	1800-00
	75	श्रीमती दयमन्ती देवी प0 रमेश सिंह	दरकोट	1800-00	1800-00
	76	श्रीमती पुष्पा देवी प0 हरीश सिंह	दरकोट	1800-00	1800-00
	77	श्री हिमालय सिह पु0 मोहन सिह	दरकोट	1800-00	1800-00

1– एस0सी0पी0 ईकाइया– 395
2– टी0एस0पी0 इकाइया –77
कुल स्थापित इकाइयों की संख्या –472

(डा0जी0एस0धामी)
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,

पिथौरागढ़।

ykd lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 ds eu vy

14 ls 17 rd dk C;kjk

¼Hkkx &6½

¼eSuqvy&14½

fdlh bysDVªkfud :i esa lwpuk ds lEcU/k esa C;kSjs tks mldks miyC/k gks ;k mlds }kjk /kkfjr gks %&

eSuqvy &14

dz0l0	fooj.k
1	इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे
2	जनपद स्तरीय तथा खण्ड स्तरीय लोक सूचना अधिकारियों की सूचना

i'kqikyu foHkkx tuin fiFkkSjkx<+ ds yksd lwpuk vf/kdkfj;ksa dh lwph ,oa cSclkbV@bZ0esy

लोक सूचना अधिकारी के पते	लोक सूचना अधिकारियों के बैबसाइट / ई0मेल
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	cvopth@yahoo.in

nkfjUnz i}fr ij fu%'kqYd mUur cdjk lkaMk dk forj.k o’kZ 2013&14

tuin dk uke	foHkkx dk uke	fodkl [k.M dk uke	d0 l0	ykHkkFkh dk uke] firk@ifr lfgr	xke	miyC/k djk;h x;h /kujkf k :0 e	miyC/k djk;k x;k vunku :0 e
vunku l[;k 28 lekU;							
]]	]]	MhMhgkV	1	श्री नैत्र राम पुत्र श्री राम सिंह	डीडीहाट	,,	,,
]]	]]	dukyhNhuk	2	श्री रंजीत कुमार पुत्र श्री जोगा राम	सिरोली सीमार	,,	,,
		xxkyhgkV	3	श्री हरी राम पुत्र बहादूर राम	कोठेरा	,,	,,
]]	]]	cjhukx	4	श्री जोगा सिह पुत्र श्री नारायण सिह	बटगल	,,	,,
]]	]]	/kkjpyk	5	श्री माया सिह दुग्ताल पुत्र श्री कुन्दन सिह	ग्राम राथी	,,	,,

(डा0जी0एस0धामी)
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पिथौरागढ़।

ykd lpuk vf/kdkj d: i e: i kikyu foHkkx l: lcf/kr bykDVkfud : i e: fuEu lpuk iLrqr dh tk jgh g%&

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय में टेलीफोन संयत्रंक कम्प्यूटर तथा फैक्स और ई–मेल सुविधा उपलब्ध है । इसी प्रकार जनपद के अर्न्तगत पशु चिकित्सालयों कुक्कुट प्रक्षेत्र पर दूरभाष संयंत्र व्यवस्थित है । जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	संस्था का नाम	दूरभाष नम्बर	फैक्स नम्बर तथा ई–मेल ऐडरस
1	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पिथौरागढ	05664–225319	225319, 224166, ई–मेल ऐडरस cvopth@yahoo.in
2	पशु चिकित्सालय पिथौरागढ	05964–255159	
3	पशु चिकित्सालय मूनाकोट	5964–266422	
4	पशु चिकित्सालय झूलाघाट	05964–259349	
5	पशु चिकित्सालय डीडीहाट	05964–232126	
6	पशु चिकित्सालय मुनस्यारी	05964–222211	
7	पशु चिकित्सालय धारचूला	05964–222248	
8	पशु चिकित्सालय गंगोलीहाट	05964–242431	
9	पशु चिकित्सालय बेरीनाग	05964–244033	
10	पशु चिकित्सालय प्रक्षेत्र विण	05964–225279	फैक्स नम्बर–05964–225279
11	पशु चिक्त्सिालय तेजम	05964–274773	

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e]2005

लोक प्राधिकारी इकाईयों में लोक सूचना अधिकारियों सहायक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का विवरणः–

विभाग का नाम–पशुपालन विभाग पिथौरागढ़ ।

क्र0 सं0	लोक प्राधिकारी इकाईयॉ	सक्षम अधिकारी	अपीली अधिकारी
1	2	3	4

1	पशु सेवा केन्द्र/ग्राम पंचायत /न्याय पंचायत स्तर	पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु चिकित्सा अधिकारी(संबंधित)
2.	पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सा अधिकारी	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
3.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	मण्डलीय उप निदेशक
4.	उप निदेशक कार्यालय	उप निदेशक	अपर निदेशक,पशुपालन विभाग
5.	कार्यालय केन्द्रीय भेड एंव ऊन अनुसंधान संस्थान पशुलोक	उप निदेशक	अपर निदेशक पशुपालन विभाग
6.	विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र,भराडीसैंण चमोली	प्रभारी अधिकारी	अपर निदेशक,पशुपालन विभाग
7.	भेड प्रजनन प्रक्षेत्र,मक्कू	परियोजना निदेशक	अपर निदेशक,पशु पालन विभाग
8.	राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र,पशुलोक	मुख्य तकनीकी अधिकारी	उप निदेशक,पशुलोक
9.	राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र,बिण एंव हवलबाग	क्षेत्र प्रबन्धक	सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
10.	भेड प्रजनन प्रक्षेत्र,अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र/अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र	प्रक्षेत्र प्रबन्धक	सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी /मुख्य अधिशासी अधिकारी,उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून ।
11	अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र चम्पावत	प्रायोजना अधिकारी	अपर निदेशक,पशुपालन विभाग
12	कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग	अपर निदेशक	सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

उत्तराखण्ड लाइव स्टाक डेवलपमेन्ट

13	कार्यालय यू0एल0डी0बी0 देहरादून	अपर प्रबन्धक (ब्रीडिग)	मुख्यअधिशासी अधिकारी। यू0एल0डी0बी0टी स्टेट, बंजारावाला,निकट विद्युत सब स्टेशन पो0ओ0 बंजारावाला देहरादून

कार्यालय – मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,पिथौरागढ़ ।

पत्राक /स्था0–लोक सूचना अधिकार/2012–13 दिनांकः

प्रतिलिपि समस्त पशु चिकित्साधिकारी,जनपद पिथौरागढ़ को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(डा0 जी0 एस0 धामी)
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पिथौरागढ़ ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपील अधिकारियों का विवरणः–

प्रशासकीय स्तर पर लोक सूचना अधिकार

जिला पिथौरागढ़ ।

पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन/ई–मेल
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय पिथौरागढ	225319

विभागीय अपील अधिकारियों का विवरणः–

सब डिवीजन	तहसील	विकास खण्ड/अन्य निम्न स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत सहायक लोक सूचना अधिकारियों का विवरण
पशु चिकित्सालय	गंगोलीहाट	पशु चिकित्सालय दशाईथल (विकास खण्ड स्तर) फोन नम्बर–242431
		पशु चिकित्सालय गणाई गंगोली
		पशु चिकित्सालय पव्वाधार
पशु चिकित्सालय	उप तहसील बेरीनाग	पशु चिकित्सालय बेरीनाग (विकास खण्ड स्तर)244033
		पशु चिकित्सालय पॉखू
		पशु चिकित्सालय थल
पशु चिकित्सालय	डीडीहाट	पशु चिकित्सालय डीडीहाट (विकास खण्ड स्तर) 222126
		पशु चिकित्सालय भागीचौरा
		पशु चिकित्सालय कनालीछीना विकास खण्ड स्तर)टेलीफोन संयंत्र नही है ।
		पशु चिकित्सालय पीपली
		पशु चिकित्सालय अस्कोट
पशु चिकित्सालय	मुनस्यारी	पशु चिकित्सालय मुनस्यारी (विकास खण्ड स्तर) 222211
		पशु चिकित्सालय मदकोट
		पशु चिकित्सालय तेजम
		पशु चिकित्सालय नाचनी
पशु चिकित्सालय	धारचूला	पशु चिकित्सालय धारचूला (विकास खण्ड स्तर) 222248
		पशु चिकित्सालय खेत
		पशु चिकित्सालय बलूवाकोट
		पशु चिकित्सालय जौलजीबी
		पशु चिकित्सालय बरम
पशु चिकित्सालय	पिथौरागढ	पशु चिकित्सालय पिथौरागढ़ (विकास खण्ड स्तर) 225159
		पशु चिकित्सालय सिन्तोली
		पशु चिकित्सालय जाखपुरान
		पशु चिकित्सालय मूनाकोट विकास खण्ड स्तर) 266422
पशु चिकित्सालय	झूलाघाट	पशु चिकित्सालय झूलाघाट 259349

lpuk vfHkik; djus ds fy, ukxfjdks dks miyC/k lfo/kkvks dk fooj.k fdlh iLrdky; ;k

okpu d{k dh ;fn ykd mi;kx ds fy, 0;oLFkk dh xbZ gk] rks mldk Hkh fooj.k

0सं0	संगठन का नाम	सूचना का विवरण
1	इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे	इलैक्ट्रोनिक के रूप में अधिकार अधिनियम 2005 धारा 4(1) के अर्न्तगत निम्न सूचना के ब्यौरे है, जो उसमें उपलब्ध होगी । 1. संगठन की विशिष्ठियां कृत्य और कर्तव्य 2. अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य 3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया एंव पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व 4. कर्तव्यों के र्निवहन के लिये स्थापित मानक 5. दस्तावेजों का विवरण जो नियंत्रणाधीनहै। 6. व्यवस्था की विशिष्ठियां बोर्डो परिषदो का विवरण 7. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा समय समय विकास कार्यो एवं योजनाओं की जानकारी हेतु निम्न व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है ।

1– विभागीय कार्यो के संबंध में जनपद के विभिन्न स्थानों पर पशु चिकित्सा शिविर सम्पन्न किये जा रहे है ।

2– विभागीय गति विधियों के बारे में शिविर में पशु पालकों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है । जैसे पशु चिकित्सा,पशु रेाग नियंत्रण, टीकाकरण, नश्ल सुधार कार्यक्रम,कुक्कुट विकास कार्यक्रम,चारा विकास कार्यक्रम,भेड विकास कार्यक्रम आदि ।

3– पशुपालन से संबंधित विभिन्न बोर्डो के द्वारा संचालित जानकारी दी जाती है ।

4– जनपद स्तर पर जिला अधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न बहुउददेशीय शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है । जहॉ पर विभाग की सभी प्रकार की गति–विधियों के बारे में जंनता को अवगत किया जाता है तथा स्थल पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है ।

5–इसके अतिरिक्त विभिन्न रेखीय विभागों के द्वारा बहुउददेशीय शिविरों में विभाग की उपस्थिति रहती है तथा जंनता के विभाग से संबंधित कार्यक्रम सम्पन्न किये जा रहे है ।

6–अब तक पशु पालन विभाग का केवल एक प्रकरण तहसील मुनस्यारी में माह जनवरी में प्राप्त हुआ जिसकी धनराशि तहसील स्तर पर जमा होने के उपरान्त उप लोक सूचना अधिकारी (पशु चिकित्साधिकारी मुनस्यारी) द्वारा प्रश्न का उत्तर देकर प्रकरण का निस्तारण किया गया है ।

7–जनपद स्तर पर समय–सयम पर पशु चिकित्साधिकारियो ,पशुधन प्रसार अधिकारियों वैटनरी फार्मासिस्टों की आयोजित बैठक में लोक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के समीक्षा/जानकारी की जाती है तथा उन्हें निर्देश दिये जाते है कि जंनता द्वारा इस संबंध में मांगी गई सूचना को यथा समय उपलब्ध करा दिया जाय । ताकि प्रकरण लम्बित न रहने पावें ।

8–विभाग द्वारा लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की 7 बिन्दुओं पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना संबंधित उच्चाधिकारियो तथा मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही है ।

9–विभाग द्वारा विभागीय प्राप्ति रसीद 385 कोषागार पिथौरागढ़ से प्राप्त की जा चुकी है जिन्हे सम्बन्धित विकास खण्ड के पशु चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा लोक सूचना अधिकार सूचना पट तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

10–विभाग के पास वाचनालय या पुस्तकालय की सुबिधा वर्तमान में उपलब्ध नही है फिर भी कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे के मध्य सूचना प्राप्तकर्ता मैनुअलों की हस्तपुस्तिका का अवलोकन करके नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकता है ।

11– उक्त के अतिरिक्त विभाग के द्वारा जनपद स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी एक पुस्तक के रूप में तैयार की जाती है तथा उन्हें जनपद स्तर पर लगने वाले विभिन्न शिविरो (जिनका विवरण उक्त है) में जनप्रतिनिधियों,प्रधान, पशु पालकों आदि को उपलब्ध कराया जा रहा है । जिसके अनुसार पशुपालक पशुओं में फैलने वाले रोगों के बारे में ,नश्ल सुधार, कुक्कुट विकास,चारा विकास कार्यक्रम,साड वितरण,टीकाकरण कार्यक्रम, पशुपालन प्रबन्धन तथा स्वरोजगार कार्यक्रम के बारे में योजनाओं से लाभान्वित हो रहे है ।

¼eSuqvy &16½

yksd lwpuk vf/kdkjh ds uke] inuke

vkSj vU; fof kf"V;k¡

The names, designations and other particulars of the public Information officers.

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधायें की विशिष्टियॉ	1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अर्न्तगत पशुपालन विभाग में निम्न सुविधा उपलब्ध की गयी है । अ) निदेशालय स्तर पर निदेशक पशुपालन, लोक सूचना अधिकारी ब) मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, लोक सूचना अधिकारी स) जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लोक सूचना अधिकारी द) ब्लाक स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी थ) ग्राम पंचायत स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी सभी लोक सूचना एंव सहायक लोक सूचना अधिकारियों के पास जनता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए 16 मैनुअल उपलब्ध होगें तथा सूचना लेने के लिए रसीद बही भी उपलब्ध होगी । 2. सूचना प्राप्त करने के लिये जिला स्तर पर ई0मेल की सुविधा भी उपलब्ध है। 3. पशुपालन विभाग के समस्त सूचनायें एन0आई0सी0 की बैबसाइट .ua.nic.in पर भी उपलब्ध होगी ।
पुस्तकालय, वाचन कक्ष की सुविधा	कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे के मध्य सूचना प्राप्तकर्ता मैनूअलों की हस्तपुस्तिका का अवलोकन करके नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकता है ।

l|puk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005

ykd ikf/kdkjh bdkb;k e: ykd l|puk vf/kdkfj;k]lgk;d ykd l|puk vf/kdkfj;k ,o foHkkxh; vf/kdkfj;k dk fooj.kh&

क्र0सं0	लोक प्राधिकारी इकाईयों	सक्षम अधिकारी	अपीली अधिकारी
1	2	3	4
1	पशु सेवा केन्द्र/ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत स्तर	पशुधन प्रसार	पशु चिकित्सा अधिकारी (संबंधित)
2	पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्साधिकारी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
3	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	मण्डलीय उप निदेशक
4	उप निदेशक कार्यालय	उप निदेशक	अपर निदेशक पशुपालन विभाग
5	कार्यालय केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पशुलाक ऋषिकेश	उप निदेशक	अपर निदेशक पशुपालन विभाग
6	कवदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैड चमोली	प्रभारी	अपर निदेशक पशुपालन विभाग
7	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मक्कू	परियोजना निदेशक	अपर निदेशक पशुपालन विभाग
8	राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र पशुलोक	मुख्य तकनीकी अधिकारी	उप निदेशक पशुलोक
9	राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र विण एवं हवालवाग	क्षेत्र प्रबन्धक	संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
10	भेड प्रजनन प्रक्षेत्र,अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र/अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र	क्षेत्र प्रबन्धक	संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी मुख्य अधिशासी अधिकारी उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड देहरादून
11	अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र चम्पावत	प्रायोजना अधिकारी	अपर निदेशक पशुपालन विभाग
12	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग	अपर निदेशक	सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन देहरादून
13	कार्यालय यू0एल0डी0बी0 देहरादून	अपर प्रबन्धक (ब्रीडिग)	मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एल0डी0बी0 देहरादून
14	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय मु0प0चि0अ0 पिथौरागढ़	कार्यालय मु0प0चि0अ0 पिथौरागढ़
	अपीलीय अधिकारी		

शासन के पत्रसंख्या 1732/xv-1/13/3(7/08) दिनांक 28 नवम्बर 2013 के क्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी,वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय/लोक सूचना अधिकारी का दायित्व निर्वहन करने के निर्देश दिये गये है ।

tuin fiFkkjkx< d i kikyu l lcf/kr ykd lpuk vf/kfu;e 2005 d lc/k e lpuk d 0;kj ftul lpuk ikIr dh tk ldrh g %&

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	संस्था का नाम	दूरभाष नम्बर	विवरण
1	विकास खण्ड विण	मु0प0चि0अ0 पिथौरागढ	225319 224166	जिला लोक सूचना अधिकारी
2		प0चि0अ0 पिथौरागढ	225159	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
3		कुक्कुट पक्षेत्र विण	225279	–
4	विकास खण्ड मूनाकोट	प0चि0मूनाकोट	266422	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
5		प0चि0झूलाघाट	259349	–
6	विकास खण्ड डीडीहाट	प0चि0डीडीहाट	232126	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
7	विकास खण्ड धारचूला	प0चि0 धारचूला	222248	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
8	विकास खण्ड मुनस्यारी	प0चि0 मुनस्यारी	222211	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
9	विकास खण्ड गंगोलीहाट	प0चि0 गंगोलीहाट	242431	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
10	विकास खण्ड बेरीनाग	प0चि0 बेरीनाग	244033	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड स्तर
11	विकास खण्ड कनालीछीना	प0चि0 कनालीछीनास	259050	सहायक लोक सूचना अधिकारी विकास खण्ड, स्तर

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पिथौरागढ़ ।

EkSuqvy&17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय

lpuk d vf/kdkj vf/kfu;e d fd;kUo;u l lEcfU/kr tuin Lrj ij ykd lpuk vf/kdkfj;k rFkk vU; foHkkxh; vihy vf/kdkfj;k dk fooj.k
lLFkk dk uke %& i'kikyu foHkkx] tuin fiFkkjkx<

प्रशासकीय स्तर	पदनाम/नाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0नं0/ई0मेल
जनपद स्तर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय मुख्य `पशु चिकित्साधिकारी	05964–225319/ cvo Pithorgarh @yahoo.co.in
विकास खण्ड स्तर पर	पशु चिकित्साधिकारी	कार्या0 पशु चिकित्साधिकारी	
ग्राम पंचायत स्तर पर	पशुधन प्रसार अधिकारी	कार्या0 पशुधन प्रसार अधिकारी	

पशु चिकित्सालय एंव अन्य संस्थाओं के दूरभाष नं0

	d0l0	njHkk'k u0
1-	e0i0fp0v0 njHkk"k u0	05964&225319 QDl u- 05964&224166
2.	i0fp0fiFkkjkx<	05964&225159
3.	i0fp0emukdkV	05964&266422
4.	d0i0fo.k	05964&225279
5.	i0fp0>yk?kkV	05964&259349
6.	i0fp0MhMhgkV	05964&232126
7.	i0fp0euL;kjh	05961&222211
8.	i0fp0/kkjpyk	05967&222248
9.	i0fp0xxkyhgkV	05964&242431
10.	i0fp0cjhukx	05964&244033
11-	i0fp0 rite	05964&274773

QDl u0&05964&224166
njHkk'k u0&05964&225319

¼Mk0 th0 ,l0 /kkeh½
e[; i k fpfdRlkf/kdkjh]
fiFkkjkx< A

सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अधिकारियों का विवरण (निगम /निकाय/ संस्था/प्राधिकरण स्वायत्तशाली इकाईयों के संबंध में)
विभाग का नाम–पशुपालन विभाग–उत्तराखण्ड प्रत्येक लोक प्राधिकारी के संबंध में अलग सूची बनायी जानी है ।
प्राधिकरण का नाम उत्तराखण्ड पशुपालन बोर्ड

शासकीय स्तर	लोक सूचना अधिकारी	विभागीय अपील अधिकारी	विवरण			
	पदनाम	कार्यालय का पूरा पता	टेलीफोन न0/ई–मेल	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन न0/ई–मेल
उत्तराखण्ड राज्य	मुख्य अधिशासी अधिकारी	उत्तराखण्ड लाईवस्टाक डेवलपमेन्ट 233/1 बसन्त विहार देहादून	0135–2761735, 2764411	सचिव पशुपालन	सचिवालय उत्तराखण्ड शासन देहरादून	01352711718
,,	मुख्य अधिशासी अधिकारी	यू0एस0डब्लू0डी0बी0 शास्त्रीनगर देहरादून	01352666046 01352666045	सचिव पशुपालन	सचिवालय उत्तराखण्ड शासन देहरादून	0352711718
,,	सचिव पशु कल्याण बोर्ड	उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड 12 डिस्पेन्सरी रोड देहरादून	0135242052	सचिव पशुपालन	सचिवालय उत्तराखण्ड शासन देहरादून	01352711718

(डा0 जी0 एस0 धामी)
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पिथौरागढ़ ।